वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
दिसंबर 2016

(अंक चौदहवां)

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

अंक चौदहवां

भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 2016

©भारतीय रिज़र्व बैंक
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्रोत को दर्शाया जाए।

यह प्रकाशन इंटरनेट में **http://www.rbi.org.in** पर भी उपलब्ध है।

कृपया इसके संबंध में प्रतिक्रिया **fsu@rbi.org.in** को भेजें।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा अल्को कॉरपोरेशन, गाला सं. ए-25, ए विंग, तल मंज़िल, वीरवानी इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, गोरेगांव पूर्व, मुंबई-400 063 द्वारा अभिकल्पित एवं मुद्रित।

आमुख

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट(एफएसआर) का यह अंक जो इस श्रृंखला का 14वां अंक है ऐसे समय में जारी हो रहा है जब विश्व में अनिश्चितताओं का दौर बढ़ता जा रहा है। अमरीका में ब्याज दरों के ऊपर चढ़ने से तथा कुछ वस्तुओं की कीमतें, खासतौर से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाने से फैलने वाला जोखिम उभरते बाज़ारों में बढ़ जाएगा। घरेलू स्तर पर समष्टि-आर्थिक स्थितियां स्थिर बनी रहेंगी क्योंकि महंगाई में काफी कमी आ गई है, यद्यपि हाल के समय में संवृद्धि की रफतार धीमी पड़ गई है। चालू खाते का घाटा सामान्य बना हुआ है। इसके अलावा, किए गए संरचनागत सुधार जैसे पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर तथा शोधन-अक्षमता क़ानून लागू करने से अर्थव्यवस्था की समुत्थानशक्ति बढ़ेगी। विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को हटा लेने से आगे चलकर इसके दूरगामी परिवर्तन दिखाई देंगे। यह आशा की जाती है कि इससे घरेलू अर्थव्यवस्था में भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, हालांकि इससे अर्थव्यस्था के कुछ भागों में थोड़े समय के लिए व्यवधान उत्पन्न हो सकता है या फिर जनसामान्य को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद यह बदलाव अधिक मध्यस्थता, कौशल-प्राप्ति, जवाबदेही तथा पारदर्शिता के रूप में दिखाई देगा जो भुगतान के डिजिटल तरीके को ज्यादा से ज्यादा अपनाने से प्राप्त होगा। समग्र रूप से देखें तो इतना करने के बाद अभी भी आत्मसंतोष की गुंजाइश कम है और यह ज़रूरी है कि वित्तीय बाज़ार में होने वाली छिटपुट अस्थिरता की रक्षा की जाए।

इस बीच हम विश्व के विनियामकीय मानकों का भी पालन करते रहे हैं जिसमें घरेलू बाध्यताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया गया है। वित्तीय स्थिरता को मज़बूती प्रदान करने के लिए पूरे विश्व में अनेक प्रकार के विनियामकीय परिवर्तन किए जा रहे हैं। साथ ही, विश्व में हुए वित्तीय संकट ने विनियामकों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे बैंकों से कहें कि वे दबाव परीक्षण करें ताकि यह पता लग सके कि जोखिम उठाने की लालसा उनकी जोखिम उठाने की क्षमता के समान है। इसके लिए भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा करना और उसके बाद सुधारात्मक उपाय किया जाना इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। जहां घरेलू बैंकिंग क्षेत्र लगातार अत्यधिक दबाव का सामना कर रहा है, जिसमें कुछ हद तक विरासती मुद्दे भी शामिल हैं, कुल मिलाकर इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह बात उभरकर सामने आती है कि बढ़ी हुई पारदर्शिता की स्थिति ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को बल प्रदान किया है।

इस पृष्ठभूमि में देखें तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के इस अंक में वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य की समीक्षा प्रस्तुत की गई है तथा हाल ही में किए गए विनियामकीय एवं उपभोक्ता संरक्षण संबंधी उपायों का उल्लेख करते हुए प्रणाली के लिए उभरते हुए कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उर्जित आर. पटेल
गवर्नर
29 दिसंबर 2016

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
आमुख		
संक्षेपाक्षरों की सूची		**i-iii**
विहगावलोकन		**1**
अध्याय I	**: समष्टि स्तर पर वित्तीय जोखिम**	**3-17**
	वैश्विक परिदृश्य	3
	घरेलू अर्थव्यवस्था	7
	कारपोरेट क्षेत्र	14
अध्याय-II	**: वित्तीय संस्थाएँ : सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति**	**18-39**
	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	18
	कार्यनिष्पादन	18
	जोखिम	23
	समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण	23
	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	32
	कार्य निष्पादन	32
	समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण	32
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	33
	कार्य निष्पादन	33
	समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण	34
	परस्पर संबद्धता	34
अध्याय III	**: वित्तीय क्षेत्र विनियमन**	**40-58**
	अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विनियामकीय गतिविधियां	40
	अन्य गतिविधियां	
	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	48
	बैंकिंग क्षेत्र	48
	भुगतान और निपटान प्रणालियां	50
	ऋण-शोधन अक्षमता और समाधान ढांचे का उदय	53
	पूंजी बाजार	55
	बीमा क्षेत्र	56
	पेंशन क्षेत्र	57
	उपभोक्ता सुरक्षा	57
अनुबंध 1: प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण		**59**
अनुबंध 2: कार्यप्रणालियां		**63**

पृष्ठ सं.

बॉक्सों की सूची

1.1 प्रतिचक्रीय विचारधारा 6
1.2 सिस्टम डी 8
3.1 टीबीटीएफ - किसे लाभ मिल रहा है? 41
3.2 विनियामक प्रौद्योगिकी (रेग टेक) 52
3.3 वित्तीय समाधान और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक 2016 54

चार्ट की सूची

1.1 नीतिगत अनिश्चितता सूचकांक - वैश्विक प्रवृत्ति 3
1.2 अमरीकी फेड फंड दरों में परिवर्तन को लेकर की गई प्रत्याशाएं 4
1.3 जोखिम वहन करने की क्षमता वैश्विक उच्च प्रतिफल सूचकांक 4
1.4 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादकता में धीमापन 5
1.5 विश्व व्यापार की प्रवृत्तियां 5
1.6 चुनिंदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कारपोरेट बचत 6
1.7 आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक- भारत 7
1.8 भारत के निर्यात और आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति 9
1.9 मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति 9
1.10 भारत का बाह्य क्षेत्र संकेतक 10
1.11 भारत में आने वाले विप्रेषणों के प्रवाह की प्रवृत्ति 11
1.12 बैंक और गैर-बैंक स्रोतों से संसाधनों का संग्रहण 11
1.13 प्राथमिक बाज़ार से जुटाई गई निधियां 12
1.14 भारतीय इक्विटी बाज़ार का तुलनात्मक प्रतिफल एवं अस्थिरता की स्थिति 12
1.15 भारत के बांड बाज़ार और मुद्रा बाज़ार की प्रवृत्ति 13
1.16 एफपीआई प्रवाह और यूएसडी-आईएनआर 13
1.17 आवासीय संपत्ति के मूल्यों की प्रवृत्ति 13
1.18 एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियां : 'कमजोर' कंपनियां - वर्तमान प्रवृत्ति 15
1.19 चुनिंदा उद्योगों के ऋण 16
1.20 चुनिंदा उद्योगों का जोखिम प्रोफाइल 16
1.21 ऋण लिखत के क्रेडिट जोखिम की प्रवृत्ति 17
1.22 कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता संकेतक और मानचित्र 17
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिन्दा कार्यनिष्पादन संकेतक 19
2.2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के चुनिन्दा आस्ति गुणवत्ता संकेतक 20
2.3 बड़े उधारकर्ताओं के चुनिन्दा आस्ति गुणवत्ता संकेतक 22
2.4 बैंकिंग स्थिरता संकेतक 23

पृष्ठ सं.

2.5	बैंकिंग स्थिरता मानचित्र	23
2.6	समष्टि आर्थिक परिदृश्य परिकल्पना	23
2.7	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रणाली स्तरीय जीएनपीए और सीआरएआर का अनुमान	24
2.8	बैंक समूह-वार जीएनपीए अनुपात और सीआरएआर का अनुमान	24
2.9	विभिन्न परिदृश्यों के तहत अनुमानित क्षेत्रकीय एनपीए	25
2.10	अनुमानित हानियाँ - बैंक समूह-वार	25
2.11	हानियों का अनुमान : बैंक-वार :सितंबर 2016	26
2.12	क्रेडिट जोखिम - आघात और प्रभाव	27
2.13	बैंकों का सीआरएआर अनुसार वितरण	27
2.14	क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम : वैयक्तिक उधारकर्ता - दबावग्रस्त अग्रिम	28
2.15	क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम : वैयक्तिक उधारकर्ता - एक्सपोजर	28
2.16	क्षेत्रकीय क्रेडिट जोखिम : आधारभूत संरचना - आघात और प्रभाव	29
2.17	चलनिधि जोखिम - आघात और प्रभाव (चलनिधि समर्थन के लिए एचक्यूएलए का उपयोग करते हुए)	31
2.18	चलनिधि जोखिम - आघात और प्रभाव	31
2.19	कुल व्युत्पन्नियों के एमटीएम-सितंबर 2016	32
2.20	दबाव परीक्षण- चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी संविभागों पर आघातों का असर	32
2.21	एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता	34
2.22	अंतर-बैंक बाज़ार का आकार (टर्नओवर)	35
2.23	अंतर-बैंक बाज़ार में विभिन्न बैंक-समूहों का हिस्सा	35
2.24	निधि आधारित अंतर-बैंक बाज़ार में दीर्घावधि और अल्पावधि एक्सपोजर का हिस्सा	35
2.25	अल्पावधि निधि आधारित अंतर-बैंक बाज़ार की रचना	36
2.26	दीर्घावधि निधि आधारित अंतर-बैंक बाज़ार की रचना	36
2.27	भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क की संरचना - सितंबर 2016	36
2.28	बैंकिंग प्रणाली के संयोजकता संबंधी आंकड़े	37
2.29	वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट	37
2.30	संस्थाओं द्वारा निवल ऋण (धनात्मक)/ उधार (ऋणात्मक) - मार्च की तुलना में सितंबर 2016	38
2.31	एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों का बैंकों को एक्सपोजर (कुल प्राप्य)	38
2.32	पेन्शन निधियों का कुल एक्सपोजर (प्राप्य)	39
2.33	अधिकतम संक्रामकता प्रभाव सहित शीर्ष 5 बैंक	39
3.1	समूह 1 के बैंकों के लिए चयनित पूंजी और चलनिधि अनुपात	42
3.2	भुगतान प्रणालियों में विभिन्न श्रेणियों की हिस्सेदारी	50
3.3	क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के प्रयोग की प्रवृत्ति	51
3.4	म्यूचुअल फंडों का जुटाव एवं मोचन	55

पृष्ठ सं.

सारणियों की सूची

1.1	चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों के निष्पादन के वित्तीय अनुपात	14
1.2	एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियां : कारपोरेट ऋण में परिवर्तन	14
1.3	एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियां: कारपोरेट लिवरेज में टेल जोखिम	15
2.1	क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम : समूह उधारकर्ता - एक्सपोजर	29
2.2	ब्याज दर जोखिम - बैंक समूह - आघात और प्रभाव	30
2.3	एनबीएफसी क्षेत्र का समेकित तुलन पत्र : साल-दर-साल संवृद्धि	33
2.4	एनबीएफसी क्षेत्र के चुनिन्दा अनुपात	33
3.1	महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण और उपभोक्ता संरक्षण उपाय और उनका औचित्य जुलाई-दिसंबर 2016	43
3.2	सेबी द्वारा पारित अंतरिम एवं अंतिम आदेश	58

चयनित संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध
एआईएफ़	वैकल्पिक निवेश निधि
एआईएफ़आई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
एएमसी	आस्ति प्रबंध कंपनी
एएमसी-एमएफ	म्यूचुअल फंडों का प्रबंध करने वाली आस्ति प्रबंध कंपनियां
एएमएल	धन-शोधन निवारक
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एएससीएल	समग्र स्वीकृत ऋण सीमा
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयूसी	अभिरक्षाधीन आस्ति
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीएसई	बंबई शेयर बाजार
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता संकेतक
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीईआरटी-इन	भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया दल
सीआईयू	सामूहिक निवेश का उपक्रम
सीपीसी	केंद्रीय वेतन आयोग
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरए	साख निर्धारण एजेंसी
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसआईटीई	साइबर सुरक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसपी	रक्षित सेवा प्रदाता
डीबी	प्रसार बोर्ड
डीईआर	इक्विटी की तुलना में कर्ज अनुपात
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीपीआई	मानद सार्वजनिक निर्गम
डी-एसआईबी	घरेलू प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक
ईबीआईटी	ब्याज एवं कर पूर्व आमदनी
ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधन पूर्व आमदनी
ईसीबी	यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईएलसी	विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध कंपनियां
ईएमई	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं
ईयू	यूरोपीय संघ
एफएएलएलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा
एफबी	विदेशी बैंक
एफ़सीए	वित्तीय आचार प्राधिकरी
एफ़सीएनआर (बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
एफ़डीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफ़डीएमसी	वित्तीय आंकड़ा प्रबंध केंद्र
एफ़ईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफपीआई	विदेशी संविभाग निवेशक
एफ़आरडीआई	वित्तीय समाधान एवं जमा राशि बीमा
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफ़एसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफ़एसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएमसी	संवृद्धि और उभरते बाज़ारों से संबंधित समिति
जीएफ़सीई	अंतिम सरकारी उपभोग व्यय
जीएफ़एसआई	वैश्विक वित्तीय दबाव सूचकांक
जीएफ़एसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीआईसी	साधारण बीमा निगम
जीएनपीए	सकल अनर्जक अग्रिम
जी-एसआईबी	वैश्विक प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंक
जी-एसआईआई	वैश्विक प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचएफटी	व्यापार के लिए धारित
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियां

एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
आईएआईएस	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संस्थान
आईसीआर	ब्याज कवरेज अनुपात
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईआईएफ़	अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएनडीएएस	भारतीय लेखा मानक
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईआरएसी	आय स्वीकृति, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरआरबीबी	बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम केवाईसी अपने ग्राहक को जानिए
एलसी	जीवन चक्र
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एलई	बड़े एक्सपोजर
एलटीए	लुक थ्रू दृष्टिकोण
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमएफ	म्युचुअल फंड
एमओएफ़	वित्त मंत्रालय
एमएससीआई	मोर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल
एमएसएमई	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीएफसी-डी	जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीएफसीएस-एनडी	जमाराशि स्वीकार न करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीएफसीएस-एनडी-एसआई	जमाराशि स्वीकार न करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनजीएनएफ	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनपीएलएल	सामान्यतः अनुमत उधार सीमा
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
एनटीएनआई	गैर-परंपरागत गैर-बीमा
ओडीआई	सीमापार व्युत्पन्नी लिखत
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओपीईसी	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीसीई	आंशिक ऋण बढ़ोत्तरी
पीएफसीई	निजी अंतिम खपत व्यय
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमजेएसबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना
पीएमएलए	धन शोधन निवारण अधिनियम
पीएन	सहभागिता नोट
पीओएस	बिक्री केंद्र
पीपीआई	पूर्वदत्त भुगतान लिखत
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
पीएसएस	भुगतान एवं निपटान प्रणाली
पीवीबी	निजी क्षेत्र का बैंक
क्यूई	मात्रात्मक सहजता
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसीएपी	विनियामकीय संगतता मूल्यांकन कार्यक्रम
आरसी	पुनर्निर्माण कंपनियां
आरओए	आस्तियों से प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी से प्रतिफल
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान प्रणाली
एस एंड पी	स्टैंडर्ड एंड पूअर
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एसबीएन	विनिर्दिष्ट बैंक नोट
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक

एससी	प्रतिभूतिकरण कंपनी
एसडी	मानक विचलन
एसईबीआई(सेबी)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसआईएफ़आई	प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं
एसआईटी	विशेष जांच दल
एसएलसीसी	राज्य स्तरीय समन्वय समितियां
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमए	विशेष उल्लेख खाता
एसपीएआरसी	जोखिम एवं पूंजी आकलन से संबंधित पर्यवेक्षी कार्यक्रम
एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
एसडब्ल्यूआईएफटी	विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी
टीबीटीएफ़	इतने बड़े कि फेल नहीं हो सकते
टीएलएसी	हानि वहन करने की कुल क्षमता
टीएलटीआरओ	लक्षित अपेक्षाकृत दीर्घावधि पुनर्वित्तीयन परिचालन
वाई-ओ-वाई	वर्ष-दर-वर्ष

विहगावलोकन

समष्टिगत-वित्तीय जोखिम

विश्व अर्थव्यवस्था और बाजार

व्यापार में मंदी और उत्पादकता में धीमेपन के चलते संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच विश्व में आर्थिक बहाली की स्थिति कमजोर बनी रही है। ब्रेक्ज़िट जनादेश और अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के परिणामों से उबरते हुए दर्शाई गई समुत्थानशक्ति के बावजूद वैश्विक वित्तीय बाजारों को निरंतर बढ़ी हुई अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

जहां गैर-पारंपरिक मौद्रिक नीतिगत उपाय अब तक अपना लक्षित उद्देश्य पाने में विफल रहे हैं, वहीं वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले उल्लेखनीय प्रभाव के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा उपर्युक्त गैर-पारंपरिक नीति के अचानक समाप्त करने की संभावना नहीं है, क्योंकि वित्तीय स्थिरता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने के प्रति चिंताएं बनी हुई हैं और वैकल्पिक उपाय के रूप में राजकोषीय उपायों के प्रयोग की संभावना काफी सीमित प्रतीत होती है। तथापि, अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी से उत्पन्न होने वाले तीव्र झोकों से वित्तीय बाजारों का जूझना जारी रहेगा।

घरेलू अर्थव्यवस्था और बाजार

मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट आने के साथ ही घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियां स्थिर बनी रहीं। इसके अतिरिक्त, नीतिगत अस्थिरता में कमी आने और विधायी तथा कराधान संबंधी सुधारों जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और दिवाला कानूनों को लागू करने से मजबूत समष्टिगत-सिद्धांतो से होने वाले फ़ायदों को और सुदृढ़ बनाएंगे। विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की वैधता समाप्त कर देने से घरेलू अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हो सकती है। 2016-17 में कारपोरेट सेक्टर के समग्र जोखिम में जहां कमी आई है वहीं टर्नओवर कम रहने का जोखिम बना हुआ है।

भारत के बाह्य क्षेत्र में चालू खाता घाटे में कमी आने के संदर्भ में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है तथापि, विप्रेषण अंतर्वाहों में कमी आना चिंताजनक हो सकता है। हालांकि, 2013 के अंत में जुटाई गई विदेशी मुद्रा जमाराशियों के मोचन का प्रबंधन संगत रूप से सरलतापूर्वक किया गया था, फिर भी वैश्विक घटनाओं से उत्पन्न पूंजी प्रवाहों में होने वाले उतार-चढ़ाव विनिमय दर दबावों को बढ़ा सकते हैं।

अक्तूबर 2016 से घरेलू और ईक्विटी बाजारों से विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशों का बहिर्वाह देखा गया जो अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में की जाने वृद्धि की संभावना दर्शाता है। घरेलू म्यूचुअल फंड विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशकों को प्रति-संतुलित करने के रूप में सामने आए हैं क्योंकि उन्होंने अपने निवल निवेशों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी की है।

वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति

बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई) दर्शाता है कि आस्ति गुणवत्ता में निरंतर गिरावट, कम लाभप्रदता और चलनिधि के कारण बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम का स्तर लगातार ऊँचा ही बना रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कारोबारी वृद्धि कमजोर बनी रही जिसके साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अपने समकक्ष निजी क्षेत्र के बैंकों से निरंतर पीछे ही बने रहे। 2016-17 की पहली छमाही में प्रणाली स्तर पर कर पश्चात लाभ में (पीएटी) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कमी आई।

एससीबी का जीएनपीए (सकल गैर-निष्पादन आस्तियां) अनुपात मार्च के 7.8 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2016 में 9.1 प्रतिशत हो गया जिससे समस्त दबावग्रस्त अग्रिमों का अनुपात 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया। बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

दबाव परीक्षण और नेटवर्क विश्लेषण

समष्टि दबाव परीक्षण दर्शाता है कि परिकल्पित बेस-लाइन परिदृश्यों के तहत एससीबी के जीएनपीए अनुपात में और अधिक वृद्धि हो सकती है। पीएसबी उच्चतम जीएनपीए अनुपात और पूंजी के प्रति न्यूनतम जोखिम-भारित आस्ति अनुपात दर्ज कर सकते हैं, हालांकि प्रणाली और बैंक-समूह-वार स्तरों पर सीआरएआर न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा से अधिक रह सकता है। चूंकि नुकसान बहुत हुआ है इसलिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक

आगे भविष्य में जोखिम उठाने से बचेंगे क्योंकि इस समय वे अपने तुलनपत्र को स्वच्छ बनाने पर फोकस कर रहे हैं और उनकी पूंजी की स्थिति आगे ऋण की अधिक वृद्धि को सहारा देने में अपर्याप्त रह सकती है।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की आस्ति गुणवत्ता भी और अधिक खराब हुई है।

बैंकिंग प्रणाली में संयोजकता अनुपात द्वारा मापा जाने वाला अंतर-संबद्धता का दर्जा गिरावट का रुझान दर्शाता है। इसमें एससीबी प्रमुख खिलाड़ी थे जिनकी कुल द्विपक्षीय एक्सपोज़र में 59 प्रतिशत की भागीदारी थी और उसके बाद एनबीएफसी की थी। निवल आधार पर, म्यूच्युअल फंडों का प्रबंधन करने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी-एमएफ) और उसके बाद बीमा कंपनियां प्रणाली में सबसे बड़ी निधि प्रदाता रहीं जबकि एनबीएफसी के बाद एससीबी सबसे अधिक निधियां प्राप्त करने वाले थे।

वित्तीय क्षेत्र विनियमन और इन्फ्रास्ट्रक्चर

वैश्विक विनियामकीय सुधारों को लागू करने के साथ ही बैंक पूंजी और चलनिधि के संदर्भ में और अधिक आघात सहने योग्य हो गए हैं। तथापि, विदेशी वित्तीय संस्थानों के विभेदकमूलक व्यवहारों के बीच चुनौतीपूर्ण वैश्विक मानकों से भटकाव के जोखिम में वृद्धि होती प्रतीत होती है। विनियामकीय और लाभप्रदता चिंताओं के मद्देनज़र कुछ प्रमुख वैश्विक बैंकों द्वारा प्रतिनिधि बैंकिंग गतिविधि में की गई कटौती, वित्तीय सेवाओं से वंचित विश्व के भागों में औपचारिक वित्तीय मध्यस्थता माध्यमों को हतोत्साहित कर सकती है। इसी प्रकार, बढ़ी हुई विनियामकीय संवीक्षा तथा बैंकों हेतु बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकताओं के कारण बैंकों में निहित कुछ जोखिम वित्तीय बाजारों के कुछ अन्य क्षेत्रों में अंतरित हो सकते हैं।

आंशिक क्रेडिट वृद्धि से संबंधित विनियामकीय उपाय जहां भारत में कारपोरेट बांड बाजार को मदद प्रदान करेंगे, वहीं बाजार प्रक्रिया और बड़े एक्सपोज़रों से संबंधित दिशानिर्देश बड़े कारपोरेट के प्रति बैंकों के एक्सपोज़रों को कम करने में सहायक होंगे। आशा है कि समष्टि विवेकपूर्ण और अन्य विनियामकीय उपायों से वित्तीय बाजारों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता में वृद्धि होगी और ग्राहकों के पास उत्पादों का अत्यधिक विकल्प होगा एवं शिकायत निवारण हेतु अधिक प्रभावी प्रक्रिया बन सकेगी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं- साख-निर्धारण एजेंसियों (सीआरए) द्वारा अपनाई जा रही नीतियों और प्रक्रियाओं में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए अनधिकृत व्यापार के मानदंडों को कठोर बनाया गया है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ परिचालन संबंधी पहलुओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया है जैसे बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की निगरानी, शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदन तथा विभिन्न प्रकार के निवेशकों की धारिता की उच्चतम सीमा का निर्धारण।

ग्राहकों की संख्या और प्रबंधित आस्तियों (एयूएम) के संदर्भ में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में तेजी जारी रही। आशा है कि दो नई जीवन चक्रीय निधियों को लागू करने और वैकल्पिक निवेश के लिए अलग आस्ति श्रेणी बनाने से पेंशन योजनाओं में निवेशकों को और अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे।

प्रणालीगत जोखिम का मूल्यांकन

भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी रही है। बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर, पीएसबी में दबाव उल्लेखनीय रूप से बना हुआ है। अक्तूबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नवीनतम प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले वैश्विक जोखिम 'मध्यम' जोखिम के रूप में परिकल्पित किए गए हैं और अगली तिमाही के दौरान क्रेडिट की औसत गुणवत्ता अपरिवर्तित बनी रहने की संभावना है।

अध्याय I

समष्टि स्तर पर वित्तीय जोखिम

ब्रेक्सिट जनमतसंग्रह और अमरीकी चुनाव के परिणामों के प्रति समुत्थानशक्ति के बावजूद विश्व के वित्तीय बाज़ारों को बढ़ती हुई अनिश्चितता का सामना लगातार करना पड़ रहा है। जहां गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति अपने अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने से थोड़ा-सा पीछे रह गई है, वहीं उन्नत राष्ट्रों के अधिकांश केंद्रीय बैंकों के लिए यह संभव नहीं हो पाएगा कि वे उसे एकाएक समाप्त कर दें क्योंकि इस संबंध में राजकोषीय उपाय करने की गुंजाइश बहुत सीमित है। इसके अलावा, उत्पादकता तथा विश्व व्यापार में मंदी की हालत से उत्पन्न नकारात्मक फीडबैक की पाश और बढ़ते संरक्षणवाद से वैश्विक बहाली के प्रति निराशाजनक परिदृश्य को और बढ़ावा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, अमरीकी ब्याज दरों में मामूली बढ़ोतरी ने उभरते वित्तीय बाजारों के लिए काफी जोखिम पैदा करती है।

जहां विश्व में होने वाली घटनाओं का घरेलू अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव बना रहेगा, वहीं कर एवं विधायी सुधार से नीतिगत अनिश्चितता में आई कमी से सुदृढ़ समष्टि-आर्थिक आधारभूत सिध्दांतों सहित मिलने वाले लाभ को हासिल करने में सहायता मिलेगी। पूरे देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रसारित हो जाने का यह लक्ष्य है कि इसका सीपीआई पर प्रभाव न्यूनतम पड़े, यहां तक कि यदि विश्व में वस्तुओं की कीमतों में कोई विपरीत स्थिति पैदा होती है तो उसे समग्र समष्टि-आर्थिक नीति की मीमांसा में सावधानीपूर्वक शामिल करना होगा। इस दिशा में की गई अन्य पहल जैसे निर्दिष्ट बैंक नोटों की वैधता समाप्त कर देने से घरेलू अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आ सकता है। जहां कारपोरेट क्षेत्र के वित्तीय कार्यनिष्पादन में 2016-17 में सुधार हुआ है, वहीं टर्नओवर कम रहने का जोखिम बना हुआ है। बाहय क्षेत्र में चालू खाते का घाटा कम होना अंशतः व्यापार की वृद्धि धीमी होने में पड़े बाहय प्रभाव-विस्तार को दर्शाता है। विप्रेषणों के आने वाले प्रवाह में गिरावट आना भी चिंता का एक विषय है। इसके अलावा, व्यापार से अधिक पूंजी प्रवाह विनिमय दरों को प्रभावित कर सकता है।

वैश्विक परिदृश्य

1.1 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2016 का अंक ब्रेक्सिट जनमतसंग्रह (रेफरेंडम) के आसपास जारी किया गया था, लगभग उसी समय अमरीका में चुनाव की अनिश्चितताओं से विश्व के वित्तीय बाज़ार में घबराहट पैदा हो गई थी जो अब शांत हो रही है। हालांकि ब्रेक्सिट जनमतसंग्रह के अप्रत्याशित नतीजों के तुरंत बाद विश्व के समस्त वित्तीय बाज़ार प्रभावित हुए थे किंतु वह हलचल थोड़े समय के लिए थी। 'ब्रेक्सिट धमाका' का श्रेय प्राधिकारियों द्वारा, मुख्यतया केंद्रीय बैंकों द्वारा समय पर सूचना देने तथा प्रभावी आकस्मिक योजनाएं अपनाए जाने को जाता है। इसी प्रकार की समुत्थानशक्ति अमरीका में चुनाव के बाद विश्व के वित्तीय बाज़ार में दिखाई दी थी। बाद में, दिसंबर 2016 की शुरूआत में ऐसा लगा कि इटली में सांविधिक सुधार के बारे में जनमतसंग्रह के परिणामों के चलते बाजारों पर इसका प्रभाव न्यूनतम हो गया था। तथापि, इन बड़ी घटनाओं एवं अन्य भू-राजनैतिक चुनौतियों से अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि उनका दीर्घकालीन प्रभाव कितना पड़ेगा (चार्ट 1.1)।

चार्ट 1.1: नीतिगत अनिश्चितता सूचकांक - वैश्विक प्रवृत्ति

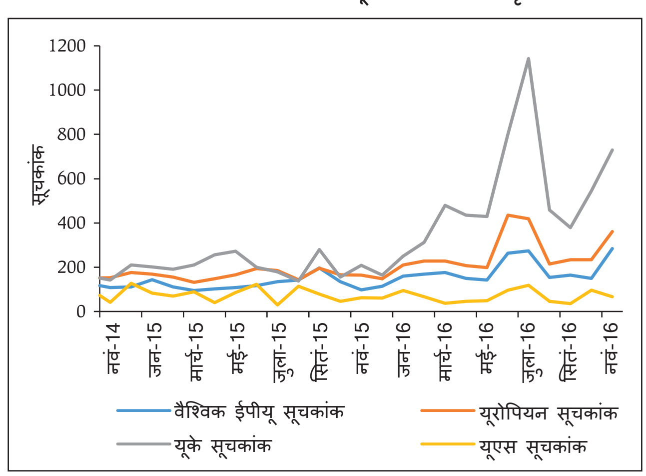

स्रोतः ब्लूमबर्ग।

1.2 अमरीकी फेड ने अपनी ओर से, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अधिकांश केंद्रीय बैंक अपने स्तर पर बाज़ारों के वर्तमान मौद्रिक नीति रुख को उलटने के लिए बाजारों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि बाजार की अतिशय प्रतिक्रिया के बीच वित्तीय स्थिरता से संबंधित चिंताएं मौद्रिक नीति के निर्णयों को प्रभावित करती देखी जा सकती हैं। दिसंबर 2016 में उसके द्वारा अंतत: ब्याज दरों को बढ़ाने का निर्णय अपेक्षाकृत यह स्पष्ट मान्यता लेकर आया कि श्रमिक बाजार और आर्थिक संवृद्धि की संभावनाओं में सुधार हुआ है। यह विचारणीय है कि दिसंबर 2015 में हुई पिछली वृद्धि से लगभग एक वर्ष तक यह प्रवृत्ति रही थी कि पिछले मार्गदर्शन के आधार पर अपेक्षित प्रगति की वापसी होगी जो आर्थिक आँकड़ों से जुड़ी हुई है। हालांकि, एफओएमसी के दिसंबर 2016 के वक्तव्य को आक्रामक माना गया है। अनिश्चितता को समान अवधि के दौरान ब्याज दर में हुए बदलाव की संभावना की अस्थिरता में दर्शाया गया है (चार्ट 1.2)।

1.3 स्थिति यह है कि आस्तियों की कीमतें अधिक प्रतिफल के लिए जोखिम उठाने की क्षमता (चार्ट 1.3) अत्यधिक प्रभावित होती दिखाई दे रही है। यद्यपि, दिसंबर 2016 में फेड की बैठक के बाद अमरीका में प्रतिफल अर्जन कम हो गया है, 10 वर्षीय अमरीकी ट्रेजरी पर प्रतिफल का अर्जन 2013 के 'टेपर टैंट्रम' के दौरान के स्तर से भी नीचे बना हुआ है। विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में बांडों के मूल्य राजनैतिक जोखिम के कारण भिन्नता लिए हुए हैं, जिसे अफ्रीकी चुनाव के बाद तथा यूके में ब्रेक्सिट के बाद देखा जा सकता है।

1.4 इसी बीच यह बहस छिड़ गई है कि मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता की एक सीमा होती है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजकोषीय नीति पर फोकस किया जाए। उदाहरण के लिए, जापान में दिए गए मौद्रिक नीति प्रोत्साहन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह जापान में सारे रास्ते बंद कर दे रहा है तथा यूरोज़ोन बैंक लक्ष्यित दीर्घकालिक पुनर्वित्त परिचालन (टीएलटीआरओ)[1] में बहुत कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बावजूद इसके कि यूरोपियन केंद्रीय बैंक (ईसीबी) उधार लेने वाले बैंकों को काफी प्रोत्साहन दे रहा है। इस प्रकार के उदाहरण से यह भी पता चलता है कि अपेक्षित तरीके से मौद्रिक नीति के प्रसारण में वित्तीय टकराव पैदा हो रहा है। दूसरी ओर, अनेक अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय गुंजाइश की बाध्यता देखी जा रही है जिसके लिए - बहुत बड़े राजकोषीय

[1] लक्ष्यित दीर्घकालिक पुनर्वित्त परिचालन (टीएलटीआरओ-II)

चार्ट 1.2: अमरीका फेड फंड दरों में परिवर्तन को लेकर की गई प्रत्याशाएं

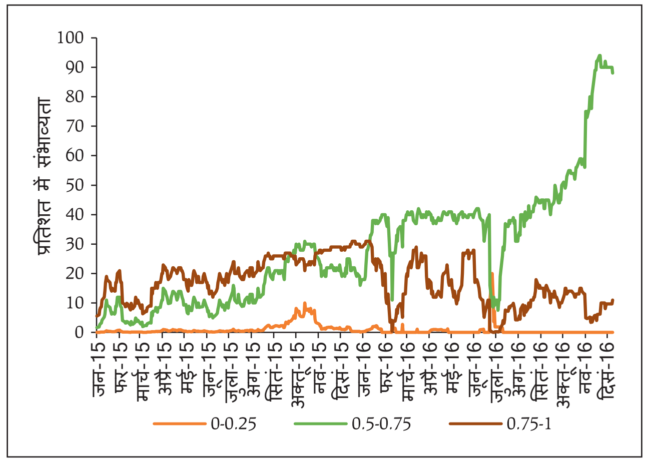

टिप्पणीः आंकड़ों का अद्यतन 9 दिसंबर, 2016 के अनुसार किया गया है।
स्रोतः ब्लूमबर्ग।

चार्ट 1.3: जोखिम वहन करने की क्षमता वैश्विक उच्च प्रतिफल सूचकांक*

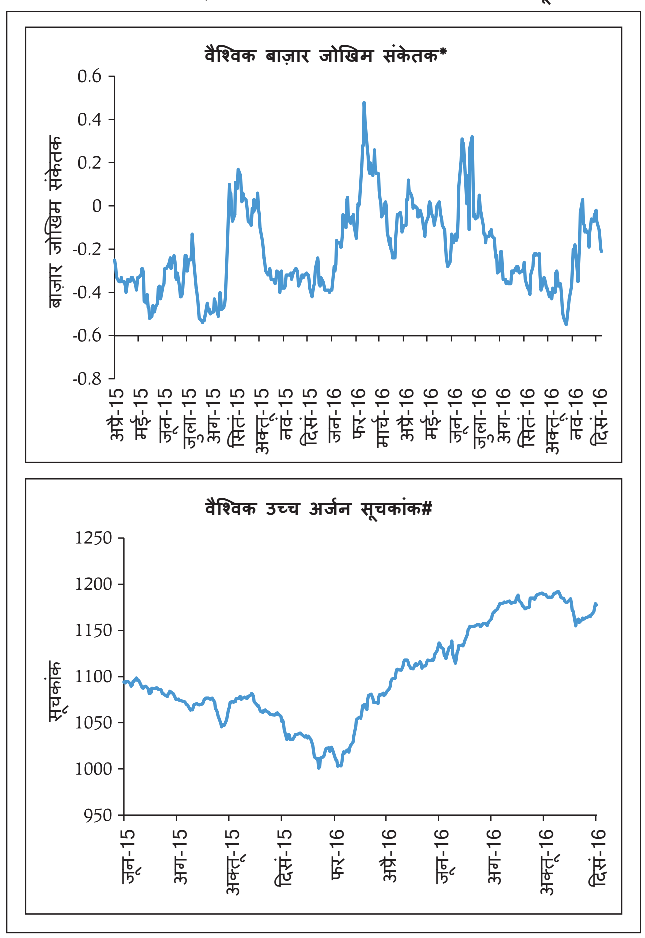

टिप्पणी:: * बैंक आफ अमेरिका मेरिल लिंच जीएफएसआई बाज़ार जोखिम सूचकांक भावी मूल्य घट-बढ़ की माप है जिसमें वैश्वि इक्विटीज, ब्याज दरें, करेंसीज तथा पण्यों की आप्शंस ट्रेडिंग निहित है। शून्य से अधिक/कम का स्तर यह संकेत करता है कि दबाव सामान्य से अधिक/कम है।
ब्लूमबर्ग बर्कलेज वैश्विक उच्च अर्जन कुल प्रतिफल सूचकांक मूल्य अनहेज्ड अमरीकी डालर।
स्रोतः ब्लूमबर्ग, आईआईएफ उभरते बाज़ार पोर्टफोलियो प्रवाह ट्रैकर।

प्रोत्साहन की आवश्यकता है[2] - जो शायद राजनैतिक अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहनपरक सिद्ध हो ताकि वे बंधनमुक्त मौद्रिक नीति के रुझान पर भरोसा करना जारी रख सकें। उदाहरण के लिए, ईसीबी के हाल के इस निर्णय कि मासिक बांड खरीदी कार्यक्रम में कटौती की जाए किंतु मात्रात्मक सहजता की अवधि बढ़ाई जाए, ने कामन करेंसी क्षेत्र में व्याप्त दुविधा की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा, अपेक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन की प्रभावशीलता तथा मात्रा अभीष्ट राजकोषीय उपायों के 'गुणक' पर भी निर्भर करेगी[3]।

1.5 वास्तविक अर्थव्यवस्था देखें तो कुशलता के स्तर को बढ़ाने के प्रयास में मज़दूरी कम होने से फायदों की टेपरिंग तथा आटोमेशन का अनभिप्रेत प्रभाव श्रमिक बाज़ार के डायनामिक्स पर ज़बरदस्त पड़ता दिख रहा है। इसके अलावा, लंबे समय तक मंदी की स्थिति बने रहने से श्रमिक बाज़ार को कुछ हद तक संरचनात्मक नुकसान पहुंचा है[4]। इसके अतिरिक्त, उत्पादन में धीमापन (चार्ट 1.4) आ जाने से आर्थिक वृद्धि कमज़ोर पड़ गई है, शायद इसका कारण यह है कि ऋण देने में तेज़ी हुई है जिससे कम उत्पादकता वृद्धि वाले क्षेत्रों में श्रमिकों का पुन: आबंटन किया गया है[5]। इस संदर्भ में राजकोषीय पक्ष से समाधान लाने की आवश्यकता है ताकि मौद्रिक नीति पर बोझ कम हो सके।

1.6 पिछले वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि विश्व व्यापार में मात्रा तथा अमरीकी डॉलर में उनके मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जाए। उत्पादन की वृद्धि में कमी आई है, उससे कहीं अधिक विश्व व्यापार की वृद्धि में गिरावट हुई है (चार्ट 1.5)। इसके संबंध में एक विचार यह है कि धीरे-धीरे बढ़ता हुआ संरक्षणवाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को घसीटने लगा है जबकि दूसरा विचार यह है कि दीर्घकालिक प्रवृत्तियां जैसे विश्व में आपूर्ति का सिलसिला टूटने लगा है, जनसांख्यिकी तथा बढ़ते हुए डिजिटल व्यापार की इसमें बढ़ती हुई भूमिका है। तथापि, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि गैर-व्यापार स्वरूप की रुकावटें एवं व्यापार संधि का विरोध बढ़ने लगा है जो व्यावसायिकों

चार्ट 1.4: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादकता* में धीमापन

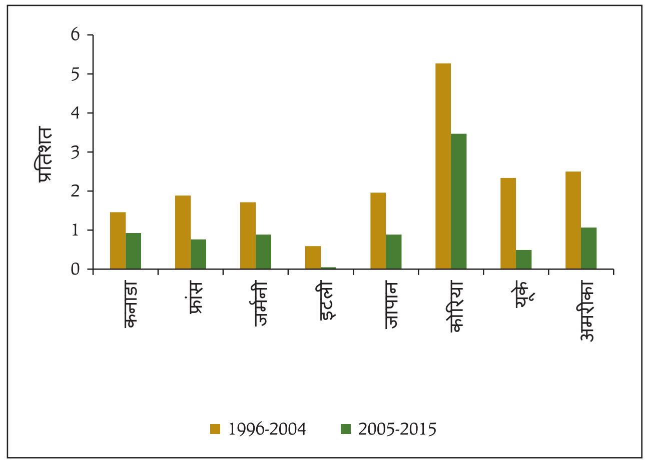

टिप्पणी: *जीडीपी प्रति घंटे किए गए कार्य के अनुसार; वार्षिक दर पर प्रतिशत परिवर्तन।
स्रोत: उत्पादकता संकेतक कंपेंडियम (2016), ओईसीडी।

चार्ट 1.5: विश्व व्यापार की प्रवृत्तियां

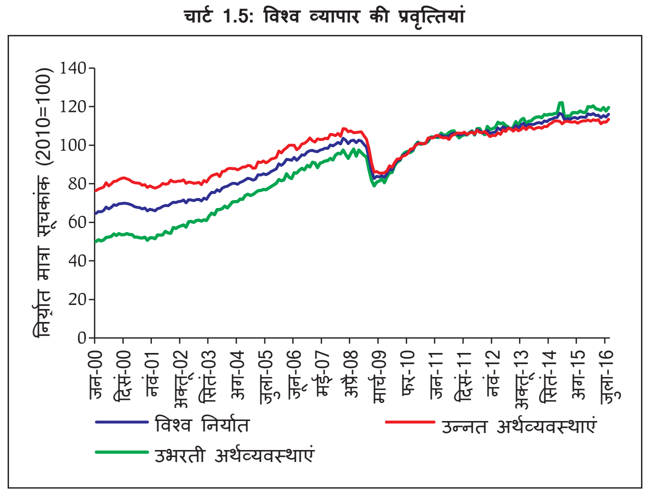

स्रोत: नेदरलैंड ब्यूरो आफ इकानामिक पालिसी एनालिसिस।

[2] बिवेन, जोश (2016), 'बहाली में इतना समय क्यों - और इसका जिम्मेदार कौन? इकानामिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, अगस्त।

[3] उदाहरण के लिए, कर में कटौती का प्रभाव इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किए गए राजकोषीय व्यय से भिन्न हो सकता है।

[4] रेफशनेडर, दवे, विलियम वाशर और डेविड डब्ल्यू विलकाक्स (2015), 'अमरीका में समग्र आपूर्ति : हाल की प्रगति और मौद्रिक नीति संचालन के प्रभाव', आईएमएफ इकोनामिक रिव्यू, अंक - 63 (मई)।

[5] बोरियो सी., ई. खैरोबी, सी. अप्पर, और एफ. जमपोली (2016), 'श्रमिक पुन: आबंटन और उत्पादकता डायनामिक्स : वित्तीय कारण, वास्तविक परिणाम', बीआईएस वर्किंग पेपर सं. 534, जनवरी।

को विवश कर रहा है कि वे अपनी रणनीति को 'वैश्वीकरण' से 'स्थानीयकरण' में बदल लें - लागत में होने वाले लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि राजनैतिक आर्थिक दबाव को मान देते हुए बदल लें। यह अभी बहस का मुद्दा बना हुआ है, नतीजतन क्या उन देशों के लिए लागत-बढ़ाने वाली मुद्रास्फीति वांछित होगी जो मुद्रास्फीति अधिक होने की उम्मीद कर रहे हैं।

1.7 मांग में कमी आ जाने से कारपोरेट की बढ़ती हुई बचत चिंता का विषय बन गई है। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि कारपोरेट निवल उधार तथा समष्टि-आर्थिक निष्पादन में काफी मज़बूत संबंध है जिससे ज्ञात होता है कि सकल मांग में से काफी लीकेज हो सकता है[6] (चार्ट1.6)। बृहत् संदर्भ में देखें तो इस समय बढ़ती हुई निराशाजनक स्थिति को दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि भावनाएं ही भविष्य के परिणामों को काफी हद तक आकार देती हैं (बॉक्स 1.1.)।

चार्ट 1.6: चुनिंदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कारपोरेट बचत

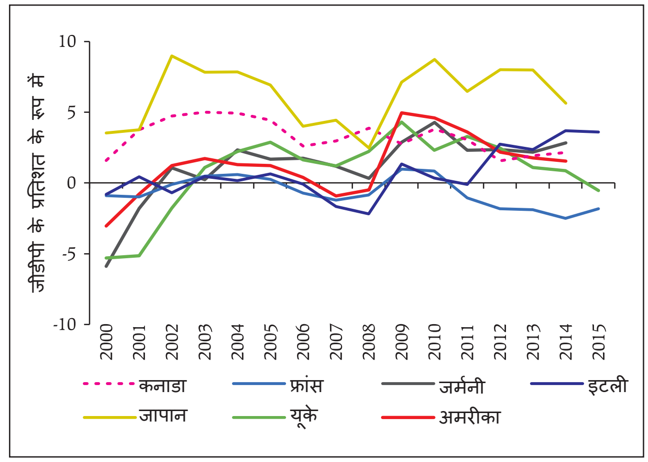

स्रोतः ओईसीडी।

बॉक्स 1.1 : प्रतिचक्रीय विचारधारा

वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए कुछ हद तक यह प्रतिक्रिया हुई है कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के प्रयोजन से 'जोखिम न लेने' पर ज़ोर दिया जाए। तथापि, वैश्विक वित्तीय बाज़ार विनियामक द्वंदवाद के मूल सिद्धांत से जूझते हैं (एफएसआर जून 2013 देखें), और जोखिम उठाना वित्तीय बाज़ार की गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा रहा है। भले ही यह बहस का मुद्दा हो कि क्या पुन: विनियमन, जोखिम उठाने की भूख तथा जोखिम उठाने की क्षमता के बीच पर्याप्त रूप से संतुलन बनाए रखने में सफल रहा है। यह संभव है कि वित्त के पेशेवर भी स्थापित सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं के गुलाम रहे हों, जो 'स्व-संतोषप्रद भविष्यवाणियां' करते रहे हों जिनका रुख वर्तमान हालात में निराशावाद की ओर रहा हो। उदाहरण के लिए मुद्दे जैसे कारपोरेट लीवरेज, पूंजीगत व्यय की ऊहापोह स्थिति, पेंशन फंड में अंतर, बाज़ार की चलनिधि की का विवेचन, बाज़ार संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भरता के बारे में अलग तरीके से विचार करने की आवश्यकता है।

प्रथमत:, कारपोरेट लीवरेज दरअसल न तो अच्छा है न ही बुरा। तथापि, लीवरेज कारपोरेट निर्णयों के अच्छे एवं खराब निर्णयों दोनों को तीव्र कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उससे आय पैदा करने की क्षमता पूंजी में लगने वाली लागत से अधिक है तथा लीवरेज लेते हुए प्राप्त किए गए वित्त से आस्तियों की उत्पादकता, आय में होने वाली वृद्धि की गति से कहीं तेज गति से बढ़ रही है। किसी भी संबंध में, यह ज़रूरी नहीं है कि 'वित्तपोषण' के बारे में लिए गए निर्णय हमेशा प्रत्याशित परिणाम ही दें। इसी प्रकार, पूंजीगत व्यय में समान रूप से गिरावट होने की स्थिति को अनेक अर्थव्यवस्थाओं की बदलती संरचना के मुकाबले रखकर देखा जाना चाहिए जिनमें पूंजीगत व्यय उन क्षेत्रों की ओर उन्मुख हो रहा है जिनमें पूंजी की बहुत ज्यादा ज़रूरत नहीं है जैसे प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान एवं विकास यह दर्शाते हैं कि पूंजी के कुशल उपयोग में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इसके बाद पेंशन फंड में कमी की चिंताएं सामने आती हैं, वह भी तब जब ब्याज दरों की स्थिति अत्यधिक न्यूनतम या नकारात्मक बनी हुई हो। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में चिंताएं नहीं की जा रही हैं, बल्कि मामला यह है कि इस समस्या को देखने का क्या कोई अन्य विकल्प भी है? यह सुझाव दिया गया है कि बाज़ार के आधार पर किए जा रहे मूल्यांकन ('जोखिम रहित' अर्जन का इस्तेमाल करते हुए) को त्याग दिया जाए। फंड (मूल निधि) में दिए गए अभिदान तथा भविष्य में होने वाले फायदे को ध्यान में रखते हुए (सेवानिवृत्ति के समय नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य) कोई भी उपचित दर का आकलन कर सकता है जिसका इस्तेमाल फंड की देयताओं के वर्तमान मूल्य को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है और जिसका मिलान धारित आस्तियों के बाज़ार मूल्य से किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी में होने वाली उन्नति तथा सूचनाओं के सतत प्रवाह से अस्थिरता को देखने के तरीके भी बदल रहे हैं। यहां तक कि निर्णायक समिति अभी भी इस बात का पता लगा रही है कि बाज़ार में 'ग्रेवयार्ड शिफ्ट' अर्थात रात के तीसरे पहर की पाली में[7] अत्यधिक न्यून ट्रेडिंग की स्थिति में ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में गिरावट का क्या कारण रहा है, वहीं ट्रेडिंग

(जारी)

[6] ग्रूबेर, जोसेफ डब्लू एंड स्टीवेन बी. कामिन (2015), 'वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कारपोरेट बचत की प्रचुरता', इंटरनेशनल वित्त डिस्कशन पेपर 1150।

[7] अक्तूबर 2016 के प्रारंभ में एशियाई ट्रेडिंग समयावधि के दौरान पाउंड में उस समय हुई तीव्र गिरावट आई, जब अमरीका एवं यूरोपियन व्यापारी हिस्सा नहीं ले रहे थे।

की बढ़ती हुई बारंबारता एवं बाज़ार में ट्रेडिंग के बढ़ते हुए आकार के लिए बाज़ार की लिक्विडिटी के डायनामिक्स एवं उसकी परिणामी लागतों को समझना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, ट्रेडर्स और इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग की क्रियाविधि लिक्विडिटी में उतना ही ज्यादा जोड़ सकती है जितना कि वह उसमें से निकाल सकती है।

अंतिम बात निर्णय प्रक्रिया में सहायक के रूप में बाज़ार के पूर्वानुमानों की भूमिका एवं विश्वसनीयता की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि खासतौर से ब्रेक्सिट एवं अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव दोनों मामलों में देखा जा सकता है। बाज़ार का घुमाव इन घटनाओं के आसपास इस प्रकार होता है कि इन प्रत्याशाओं का बाज़ार की चाल पर जितना बुरा असर पड़ता है, उन्हीं प्रत्याशाओं का जैसाकि उन्हें दिखाया जाता है वास्तविकता में बदल जाने के बाद उतना बुरा असर नहीं पड़ता है।

संदर्भ

1. जे. मायकल मौबोस्सिन एवं अन्य (2015), पूंजी आबंटन: साक्ष्य, विश्लेषणात्मक पद्धति और मूल्यांकन मार्गदर्शन, क्रेडिट सुएस्स।

2. कीटिंग कॉन (ओले सेटरग्रीन, एन्ड्रयू स्लेटर (2012), कीप योर लिड आन! डीबी पेंशन प्रावधान की लागत एवं मूल्यांकन का वित्तीय विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, दीर्घकाल वित्त।

घरेलू अर्थव्यवस्था

1.8 वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, घरेलू अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय बाज़ार पर पड़ने वाले प्रभाव भले ही बहुत ज्यादा हैं किंतु ऐसा भी नहीं है कि वे सतत सुदृढ़ होते हुए समष्टि आधारभूत सिद्धांतों की दृष्टि से दुर्गम हों। इससे मुक्ति दिलाने की भारत की एक विशेषता यह है कि इसकी नीति में अनिश्चितता बहुत कम है (चार्ट 1.7)। संपूर्ण राष्ट्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए जो आम सहमति बनी वह बहुत महत्वपूर्ण प्रगति थी जिसमें घरेलू व्यापार एवं संवृद्धि को प्रोत्साहित करने की प्रबल क्षमता है। नए राष्ट्रीय बैंकरप्सी क़ानून का विधान एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार है, यद्यपि, क्षमता-निर्माण के लिए अनुरूप उपाय इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण साबित होंगे। विदेशी मुद्रा जमाराशि का मोचन - जो रुपये की स्थिरता को कायम रखने के लिए 2013 के अंत में किया गया था - के कारण रुपये पर जो दबाव पैदा हुआ था उसे अपेक्षाकृत आसानी से नियंत्रित कर लिया गया था। सरकार द्वारा अनुमोदित 'एकबारगी धन लगाने की योजना' से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को यह योग्यता मिल जाएगी कि वह सुस्त पड़ी पात्र सड़क परियोजनाओं को ऋण प्रदान कर सके, ताकि उनको प्राथमिकता देते हुए पूरा किया जा सके। विश्व आर्थिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी 2016-17 के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता

चार्ट 1.7: आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक-भारत

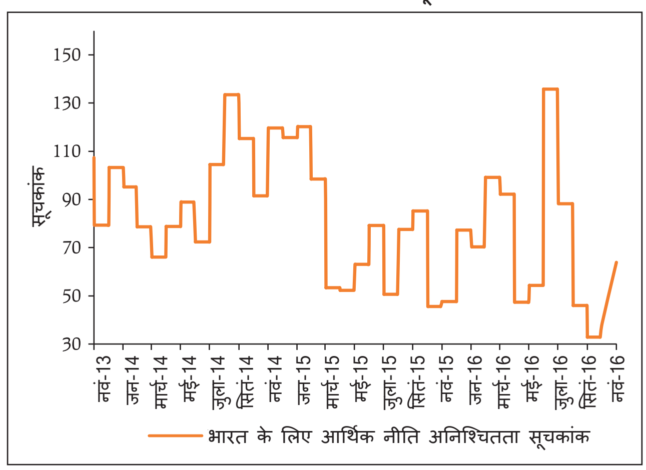

स्रोतः ब्लूमबर्ग।

सूचकांक में भारत की रैंकिंग 16 स्थान सुधरकर 39 हो गई, जिससे सर्वेक्षण किए गए 138 देशों की रैंकिंग क्रम में भारत तेजी से ऊपर आ सका। यह लगातार दूसरा साल है कि भारत 16 स्थान ऊपर आया है। विश्व बैंक द्वारा जारी कारोबार करने में सहजता के संबंध में 189 देशों में भारत का स्थान 130 रहा है जो कि पिछले वर्ष की रैंकिंग क्रम 134 से चार स्थान ऊपर है। कारोबार-अनुकूल नीतियों के अनुसार राज्यों को दी जाने वाली नई रैंकिंग[8] की शुरुआत किए जाने से भारतीय संघीय ढांचे में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के वातावरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इन मानदंडों के आधार पर देश की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में आगे सुधार होगा।

[8] 'कारोबार करने की सुलभता संबंधी सुधार हेतु रैंकिंग 2015-16', औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संचालित।

1.9 इन परिस्थितियों के बीच, सरकार द्वारा आभासी अर्थव्यवस्था (बाक्स 1.2) के संबंध में विभिन्न उपायों से दीर्घ अवधि में निवल प्रत्यक्ष एवं संपार्श्विक दोनों प्रकार के लाभों की डिलीवरी हो सकेगी और इन उपायों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा में सुधार आएगा। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ, आय प्रकटीकरण योजना; विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन; अघोषित विदेशी आय और आस्तियों के संबंध में कानून का अधिनियमन; भारत और मारीशस तथा भारत और साइप्रस के बीच दोहरा कराधान परिवर्जन करार; भारतीयों[9] द्वारा बैंक खातों संबंधी सूचनाए प्राप्त करने के लिए स्वीटजरलैंड के साथ समझौता करना; बेनामी लेनदेन अधिनियम में संशोधन शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, गैर-नकदी के प्रयोग को बढ़ाने, निर्दिष्ट बैंक नोटों की वैध मुद्रा होने को समाप्त करना और आयकर नियमों में परिवर्तन करने से संबंधित की गई पहल से उम्मीद की जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नकदी लेनदेन की अत्यधिक निर्भरता में तबदीली आ जाएगी[10]।

उत्पादन वृद्धि, बाह्य व्यापार और मुद्रास्फीति

1.10 2016-17 की दूसरी तिमाही में बाज़ार मूल्य पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पिछली तिमाही के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो गया था। तथापि, जीपीडी वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में कम थी, इसका मुख्य कारण यह था कि स्थिर निवेश घट गया था। पूंजीगत व्यय चिंता का विषय बना हुआ था क्योंकि अधिक क्षमता उपलब्ध थी और बड़ी विस्तारित परियोजनाओं में वित्तीय दबाव महसूस किया जा रहा था, खासतौर से लोहा एवं इस्पात, निर्माण, सूती वस्त्र एवं बिजली क्षेत्रों में; वह भी ऐसे समय में जब विश्व

बॉक्स 1.2 सिस्टम डी

अर्थव्यवस्था से संबंधित हाल के साहित्य एवं प्रयोग में सिस्टम डी को आभासी अर्थव्यवस्था भी कहा गया है। यद्यपि आभासी अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार पता करना चुनौतीपूर्ण है, ओईसीडी के अनुसार 2009 में विश्व के आधे कामगार आभासी अर्थव्यवस्था में कार्यरत थे (यह संख्या वर्ष 2020 तक बढ़कर दो-तिहाई हो जाने की संभावना है)। विदेशी नीति पर प्रकाशित एक आलेख के अनुसार लगभग 10 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ वैश्विक काला बाज़ार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है (न्यूवर्थ, 2011)।

शब्द आभासी अर्थव्यवस्था का अभिप्राय काली अर्थव्यवस्था अथवा कालेधन से है। कालेधन के संबंध में कोई एक समान परिभाषा आर्थिक सिद्धांत में उपलब्ध नहीं है और 'बेहिसाबी आय', 'काली आय', 'मैला धन' (गैर कानूनी और अनैतिक रूप से प्राप्त धन), 'काली संपत्ति', 'छिपी संपत्ति', 'आभासी अर्थव्यवस्था', 'समानांतर अर्थव्यवस्था' जैसे अनेक अन्य शब्द है जिनका प्रयोग इस संबंध में किया जाता है। भारतीय संदर्भ में, 2002 में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कालेधन पर स्वच्छ पत्र में कालेधन की परिभाषा के बारे में उल्लेख है कि ऐसी आस्तियां अथवा संसाधन जो उनके सृजन के समय लोक प्राधिकारी को न रिपोर्ट की गई हों, न ही उनका कब्जा लेने के समय उन्हें घोषित किया हो।

आभासी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी समस्या यह है कि वह आधिकारिक आंकड़ों को गैर-भरोसेमंद बना देती है और सरकारों द्वारा नीति-निर्माण को बुरी तरह प्रभावित करती है। इसके अलावा, कर राजस्व में हुए नुकसान सरकारों को इस बात के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वे कर की दरों को बढ़ाएं जो आभासी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहित करेगी। कतिपय विश्लेषण के अनुसार अमरीका में अन्य बातों को समान रखते हुए, यदि वैयक्तिक आय कर की दर को एक प्रतिशत बिंदु बढ़ा दिया जाए तो इससे आभासी अर्थव्यवस्था का आकार 1.4 प्रतिशतता बिंदु बढ़ जाता है। इसी प्रकार, रेगुलेशन सूचकांक(जो 1 से 5 के बीच होता है) में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने से उसी के अनुरूप आभासी अर्थव्यवस्था में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि आधिकारिक एवं आभासी अर्थव्यस्थाओं के बीच सक्रिय गतिशीलता विद्यमान है जो अपेक्षाकृत 'निवल मज़दूरी स्तर' पर निर्भर होती है जो बदले में इस बात का संकेत है कि आधिकारिक बनाम आभासी अर्थव्यवस्थाओं के आकार पर कर की दरों का कितना प्रभाव है।

जहां आभासी अर्थव्यवस्था का प्रभाव सीधे-सीधे प्रत्यक्ष कर राजस्व पर पड़ना चिंता का विषय है, वहीं अप्रत्यक्ष कर एवं आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के संबंध में इसकी भूमिका विवादपूर्ण है, यद्यपि, व्यवस्था में ही कुछ कमियां हैं। अत: आभासी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में रखने का एक ही तरीका है कि गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर किया जाए, अत्यधिक विनियमन से बचा जाए, कठोर दंड लगाए जाएं और एक सुसंगत कर संरचना रखी जाए।

संदर्भ:

1. राबर्ट न्यूवर्थ (2011), *स्टेल्थ आफ नेशंस: द ग्लोबल राइज आफ इनफार्मल इकानामी।*

2. शनेडियर, प्रेडरिक एंड एंस्टे, डामिनिक(2001), *हाइडिंग इन द शैडोज: द ग्रोथ आफ द अनडरग्राउंड इकानामी,* अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

[9] हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कार्पोरेशन के संबंध में (एचएसबीसी)।

[10] (स्रोत:http://finmin.nic.in/press_room/2016/press_cancellation_high_denomination_notes.pdf).

में संवृद्धि की स्थिति काफी नाज़ुक बनी हुई है। निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी 2016-17 की दूसरी तिमाही में लगातार बनी रही (चार्ट 1.8)। तथापि, निर्यात की मांग में यह जोखिम बना हुआ है।

1.11 2016-17 की दूसरी तिमाही में समग्र उपभोक्ता व्यय में तेजी से वृद्धि हुई जिसमें निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय (पीएफसीई) तथा सरकारी उपभोक्ता व्यय (जीएफसीई) दोनों का योगदान था। निकट अवधि में जीडीपी के प्रति डाउनसाइड जोखिम अल्पावधि में बना रहने वाला है क्योंकि नकदी-बहुल क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां एसबीएस की वैधता समाप्त कर देने से बाधित हो गई हैं (भारतीय रिज़र्व बैंक, पाँचवाँ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17)[11]।

1.12 विशिष्ट बैंक नोटों को 8 नवंबर 2016 से हटा लिए जाने से तत्काल वित्तीय प्रभाव यह पड़ा है कि बैंक में जमाराशियां बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही उसी के अनुरूप परिचालन में करेंसी की मात्रा घट गई है। इसका यदि समष्टि-आर्थिक प्रभाव देखें तो महंगाई को इसने गर्त में पहुंचा दिया है जिससे वास्तविक सकल मूल्य योजन (जीवीए) में वृद्धि की गति अस्थायी रूप से थम सी गई है। रिज़र्व बैंक ने समान रूप से जोखिम को संतुलित करते हुए वर्ष 2016-17 के लिए सकल मूल्य योजन(जीवीए) वृद्धि की दर को 7.6 प्रतिशत से कम करके 7.1 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन, उसका अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट प्रभाव अभी बता पाना मुश्किल है और अर्थव्यवस्था के नकदी-बहुल क्षेत्रों में उत्पन्न बाधाएं थोड़े दिनों के लिए ही रहेंगी। इस बीच बेशी चलनिधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो नीतिगत उपाय किए गए उसका परिणाम यह हुआ कि बैंकिंग प्रणाली ने ज्यादा से ज्यादा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में कर दिया और भारतीय रिज़र्व बैंक का सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश तथा वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक से दिए जाने वाले ऋण कम हो गए। हालांकि इससे अर्थव्यवस्था के कुछ भागों में थोड़े समय के लिए व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन विशिष्ट बैंक नोटों को हटा लिए जाने से यह उम्मीद की जाती है कि दीर्घकाल में घरेलू अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आएगा तथा यह बदलाव और अधिक मध्यस्थता, बढ़ते हुए कौशल के रूप में दिखाई देगा जो भुगतान के डिजिटल तरीके को ज्यादा से ज्यादा अपनाने से हासिल हो सकेगा।

1.13 खुदरा महंगाई जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापा जाता है, सहज हुई है, हालांकि

चार्ट 1.8: भारत के निर्यात और आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति

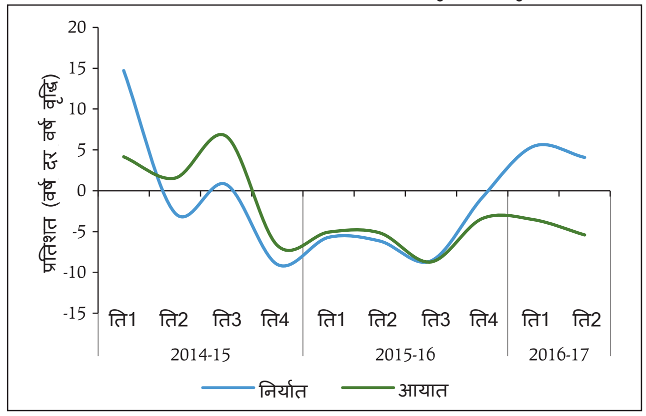

स्रोतः सीएसओ।

चीनी और प्रोटीनयुक्त चीजें जैसे दालों की महंगाई बढ़ी हुई है। मानसून सामान्य रहने तथा सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपाय किए जाने से खाद्यान्न की महंगाई को नियंत्रित करने में अत्यधिक सहायता मिली है (चार्ट 1.9)। तथापि, सीपीआई मुद्रास्फीति में - खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर जो ठहराव बना हुआ है, वह प्रमुख

चार्ट 1.9: मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

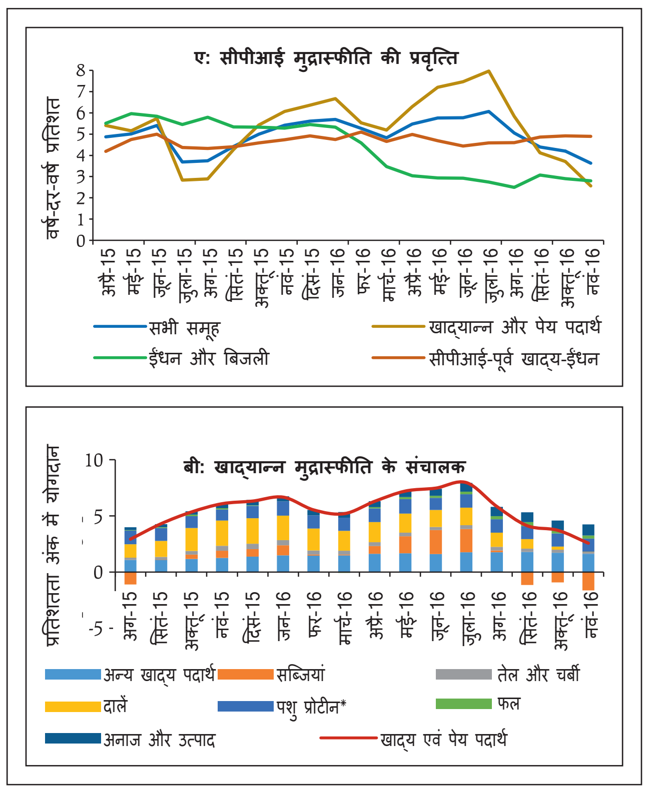

टिप्पणीः * पशु प्रोटीन में दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडा, मांस और मछली शामिल हैं (चार्ट 1.9 - बी)।
स्रोतः सीएसओ।

[11] भा.रि.बैं. (2016), पाँचवाँ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17। https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay. aspx?prid=38818 पर उपलब्ध है।

मुद्रास्फीति के लिए आधार निर्धारित कर सकता है[12]। इसके अलावा, प्रतिकूल आधारगत प्रभाव जैसे ओपैक और गैर-ओपैक देशों के बीच उत्पादन में कटौती को लेकर किए गए करार के बाद कच्चे तेल की कीमतों में ठहराव आ जाने की संभावनाओं एवं बाह्य कारकों की वजह से विनिमय दर में अस्थिरता पैदा होने से महंगाई बढ़ने का दबाव पैदा हो सकता है।

मुद्रास्फीति पर जीएसटी तथा सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) के निर्णय का प्रभाव

1.14 सीपीआई बास्केट में अधिकांश वस्तुएं (खाद्य समूह) जीएसटी के बाहर रखी गई हैं[13]। यद्यपि, इसके लागू किए जाने के बाद इसका आंशिक प्रभाव सेवाओं पर देखा जा सकता है, क्योंकि जीएसटी को लागू करने का जो ढांचा बनाया गया है वह इस सिद्धांत पर बना हुआ है कि इस परिवर्तनकाल से सीपीआई मुद्रास्फीति पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

1.15 सातवें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफ़ारिशों में से भत्तों में वृद्धि को स्वीकार करने के बारे में सरकार द्वारा अभी निर्णय किया जाना है। मकान किराया भत्ता (एचआरए) को लागू किए जाने से मकान किराये में होने वाली वृद्धि का सीधा-सीधा प्रभाव सीपीआई पर पड़ेगा किंतु यह काफी हद तक आंकड़ों तक ही सीमित रहेगा। हालांकि, सकल मांग का जो असर पड़ेगा उससे उत्पन्न होनेवाले परोक्ष प्रभाव एवं मुद्रास्फीति के बढ़ जाने की प्रत्याशाओं के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।

राजकोषीय घाटा

1.16 केंद्र सरकार के बजट के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 3.5 प्रतिशत किया गया था। जहां विनिवेश एवं टेलीकाम स्पेक्ट्रम नीलामी से उम्मीद से कम राजस्व मिलने से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, वहीं आय प्रकटीकरण जैसे उपाय से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व से भरपाई हो सकेगी। तथापि, आभासी अर्थव्यवस्था तथा कर-वंचन के बारे में सरकार द्वारा किए गए उपायों से जीडीपी एवं राजस्व दोनों में होने वाले परिवर्तन का अल्पकालिक प्रभाव बता पाना मुश्किल है, लेकिन इन उपायों से दीर्घावधि में जीडीपी और राजकोषीय घाटे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

बाह्य क्षेत्र संकेतक

1.17 वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में भारत के बाह्य क्षेत्र के संवेदनशीलता-संकेतक में सुधार हुआ था। चालू खाता घाटा जो 2015-16 जीडीपी का 1.1 प्रतिशत था, वह वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही में और घटकर 0.6 प्रतिशत रह गया। बाह्य ऋण, निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों तरीके से (जीडीपी के अनुपात के रूप में) घट गए हैं। इस समय विदेशी मुद्रा भंडार इतना है कि वह अल्पावधि ऋण, कुल बाह्य ऋण तथा 11 महीने के आयात के अधिकांश भाग को कवर कर सकता है (चार्ट 1.10)।

1.18 भारत के भुगतान संतुलन में दबाव बने रहने का

चार्ट 1.10: भारत का बाह्य क्षेत्र संकेतक

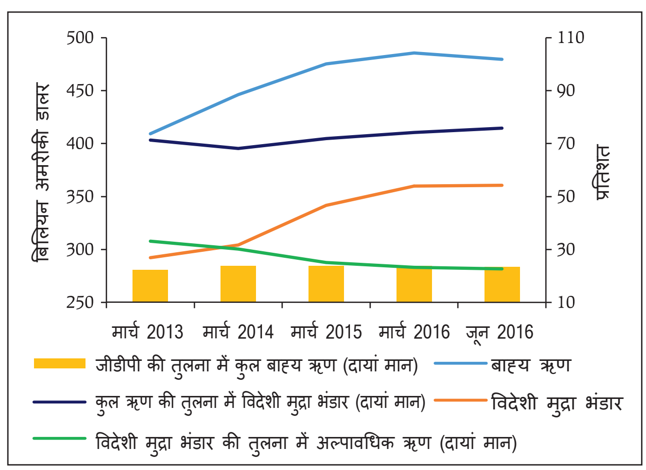

टिप्पणी*: 16 दिसंबर 2016 की स्थिति।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार।

[12] भा.रि.बैं. (2016), पाँचवाँ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2016-17

[13] भारतीय रिजर्व बैंक की नीति घोषणा के बाद मीडिया के साथ किए गए संवाद की संपादित लिखित सामग्री, 9 अगस्त 2016।

एक संभावित स्रोत विप्रेषण आना कम होना है। पूरे विश्व में विप्रेषण के प्रवाहों में केवल वर्ष 2016 में मामूली-सी वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है[14]। अनुमान यह बताते हैं कि सबसे अधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाले पांच देशों में से केवल भारत में आने वाले विप्रेषणों में गिरावट आई है। भारत में आने वाले विप्रेषणों का सर्वाधिक हिस्सा खाड़ी देशों से आता है (चार्ट 1.11)। स्रोत देशों में अन्य कारकों के साथ-साथ तेल की कम कीमतें, वृद्धि में मंदी तथा कुछ खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में श्रमिक नीतियों के बदल जाने से भारत में आने वाले विप्रेषणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

चार्ट 1.11: भारत में आने वाले विप्रेषणों के अंतर्वाह की प्रवृत्ति

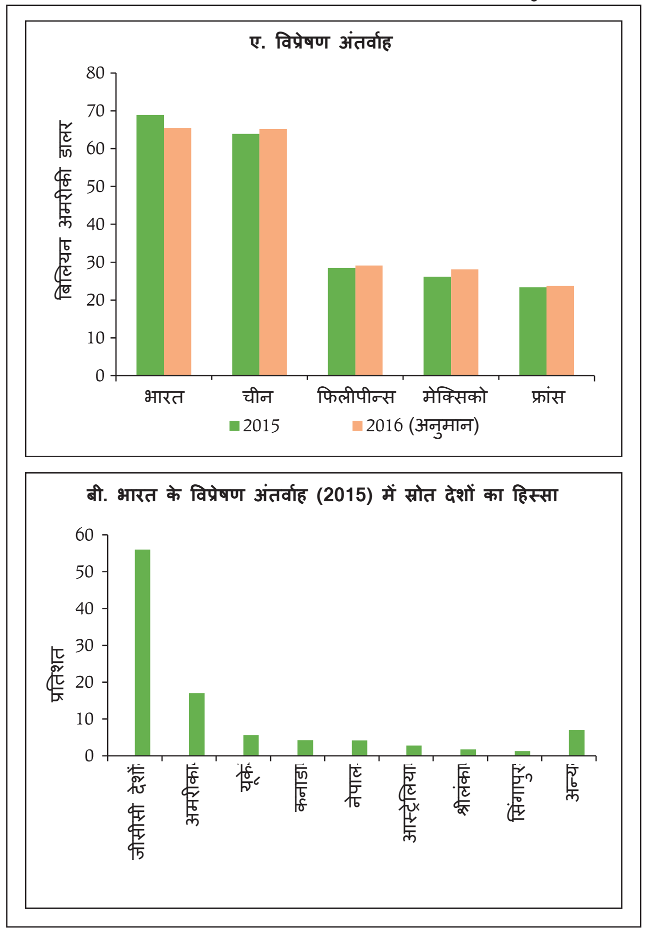

स्रोत: विश्व बैंक

वाणिज्य क्षेत्र की ओर ऋण का प्रवाह

1.19 जहां बैंक ऋण में वृद्धि लगातार कम हुई है, वहीं कारपोरेट ऋण निर्गम तीव्र वृद्धि में मजबूत रुझान देखे गए हैं (चार्ट1.12-ए)। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान वित्तीय क्षेत्र से वाणिज्य क्षेत्र में संसाधनों का कुल प्रवाह बैंकों से कम योगदान प्राप्त होने के कारण धीमा बना रहा (चार्ट 1.12बी)। वित्तीय वर्ष 2016-17 की पहली छमाही के दौरान प्राथमिक प्रतिभूति बाज़ार के जरिए जुटाए गए समग्र संसाधन पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में काफी बढ़ गया है, यह वृद्धि

चार्ट 1.12: बैंक और गैर-बैंक स्रोतों से संसाधनों का संग्रहण

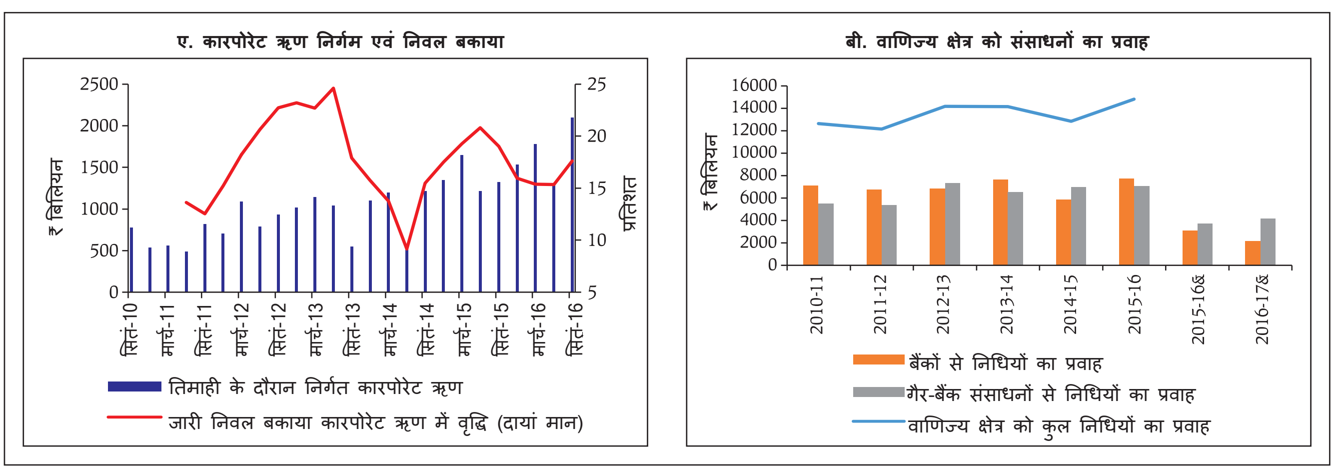

टिप्पणी: & ये आंकड़े 2015-16 तथा 2016-17 के 1 अप्रैल से 11 नवंबर तक की अवधि के हैं। गैर बैंक स्रोतों के आंकड़े में घरेलू और विदेशी स्रोत शामिल हैं।
स्रोत: भारिबैं., सेबी और स्टाफ गणना।

[14] विश्व बैंक(2016), 'विप्रेषण की प्रवृत्तियां, 2016: धीमी वृद्धि की नई सामान्य स्थिति', अक्तूबर 6 (http://blogs.worldbank.org/peoplemove/trends-remittances-2016-new-normal-slow-growth%20).

विशेष रूप से सरकारी और ऋण प्रतिभूतियों के अधिकार निर्गम में हुई थी (चार्ट 1.13)।

आस्ति मूल्य

शेयर मूल्य

1.20 एनएसई-निफ्टी, भारत का प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक है जिसने एमएससीआई वर्ल्ड तथा उभरते बाज़ार के सूचकांक दोनों में इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही नवंबर 2016 तक बेहतर प्रदर्शन किया है (चार्ट 1.14ए)। अप्रैल 2016 से नवंबर 2016 तक की अवधि के दौरान एनएसई अस्थिरता सूचकांक अमरीका के लिए एस एंड पी अस्थिरता सूचकांक की तुलना में अपेक्षाकृत कम था (चार्ट 1.14बी)।

बांड बाजार और मुद्रा में उतार-चढ़ाव

1.21 अक्तूबर 2016 के शुरुआती दिन तक की छह माह की अवधि के दौरान भारतीय बांड बाज़ार में दीर्घ रैली दर्ज की गई है, जब विदेशी निवेशकों ने भारतीय बांड बेचने शुरू कर दिए थे ताकि उभरते बाज़ार की आस्तियों में उनका एक्सपोजर कम हो जाए क्योंकि उस समय दिसंबर 2016 में फेड ब्याज दर के बढ़ जाने की संभावनाएं प्रबल हो रही थीं (चार्ट 1.15 ए)। अनेक उभरते बाजारों

चार्ट 1.13: प्राथमिक बाज़ार से जुटाई गई निधियां

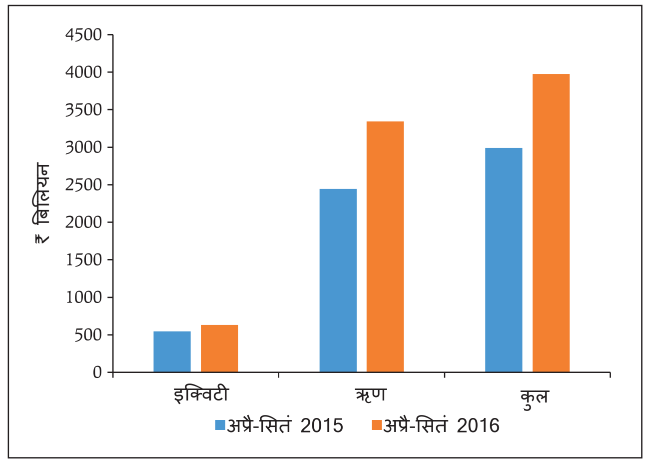

टिप्पणीः इसमें सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थापन, अधिमानी आबंटन एवं निजी स्थापन।
स्रोतः सेबी।

चार्ट 1.14: भारतीय इक्विटी बाज़ार का तुलनात्मक प्रतिफल एवं अस्थिरता की स्थिति

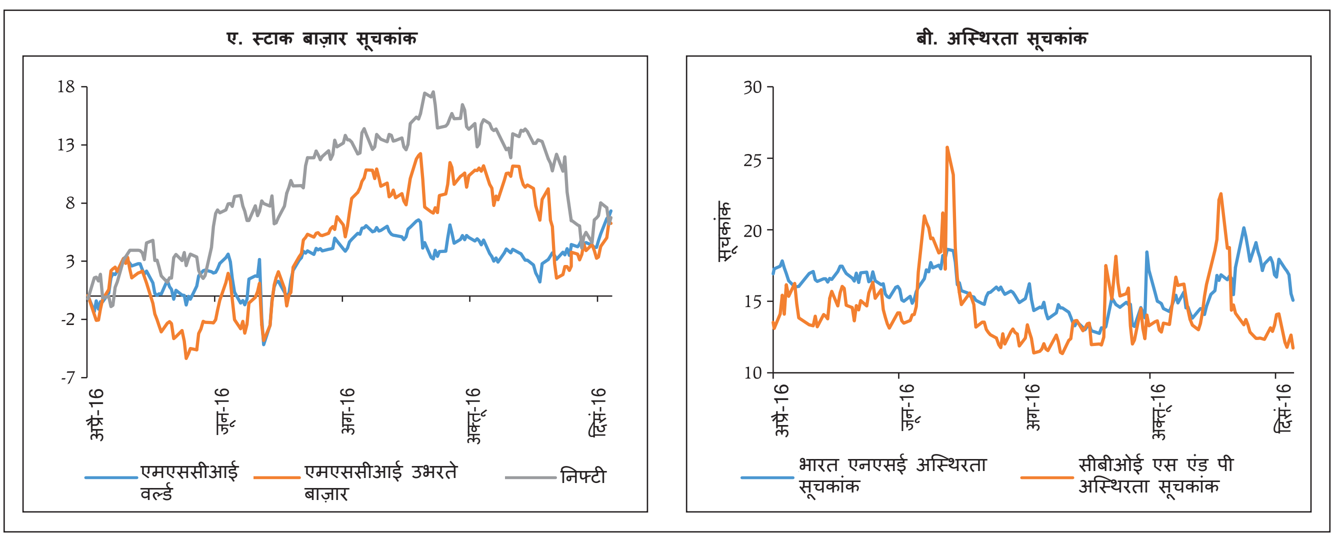

स्रोतः सेबी, ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.15: भारत के बांड बाज़ार और मुद्रा बाज़ार की प्रवृत्ति

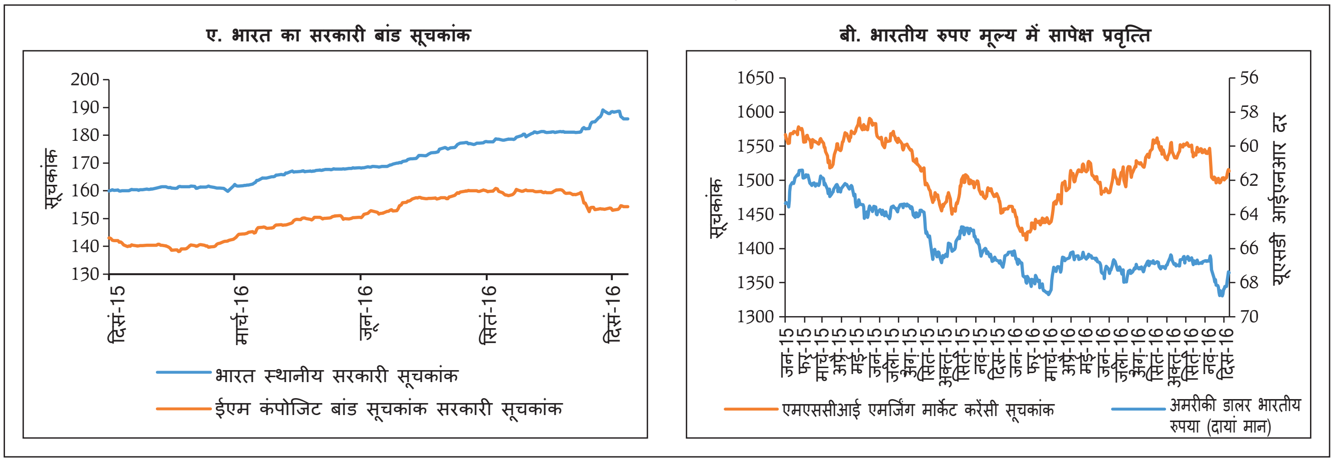

स्रोतः सेबी, ब्लूमबर्ग

की मुद्रा की तुलना में अमरीकी डॉलर मजबूत होने के कारण नवंबर 2016 से भारतीय रुपया पर दबाव देखा गया है (चार्ट 1.15 बी)।

1.22 वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय बाजार का निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ऋणात्मक हो गया था। भारतीय पूंजी बाजार में घरेलू म्यूचुअल फंड के बढ़ते महत्व के बावजूद एफपीआई इक्विटी, बांड तथा मुद्रा बाजार को तेजी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर अदा करता रहा है (चार्ट 1.16)।

आवास-मूल्य

1.23 लगातार चार तिमाहियों तक स्थिति मंद रहने के बाद अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक ने 2016 की पहली तिमाही में 7.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है (चार्ट 1.17)। स्थावर संपत्ति को रेगुलेट करने की कार्रवाई से आवास वित्त सेगमेंट पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यह काफी हद तक प्रत्याशित गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहयोग कर सकती है। जहां खुदरा आवास क्षेत्र में दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात हाल की तिमाही में थोड़ा-सा बढ़ गया, वहीं फिलहाल, इस क्षेत्र से कोई भी प्रणालीगत जोखिम की चिंता है।

चार्ट 1.16: एफपीआई प्रवाह और यूएसडी-आईएनआर

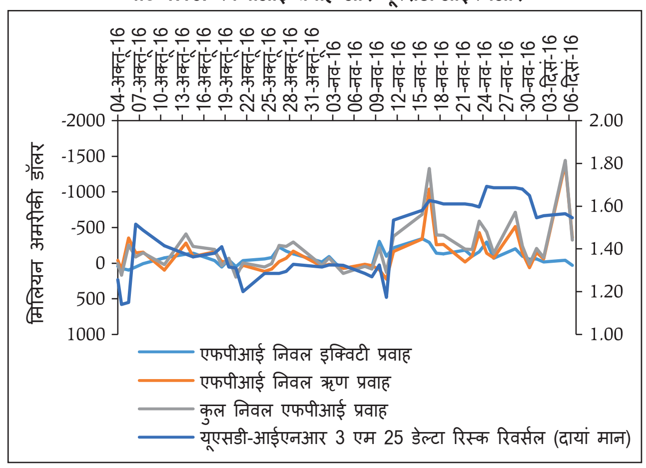

टिप्पणीः जोखिम विपर्यय को समान डेटा सहित आधार मुद्रा पर आधारित क्रय विकल्प के लिए अंतर्निहित अस्थिरता और विक्रय विकल्प के लिए अंतर्निहित अस्थिरता में घटाकर परिभाषित किया गया है।
स्रोतः ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.17: आवासीय संपत्ति के मूल्यों की प्रवृत्ति

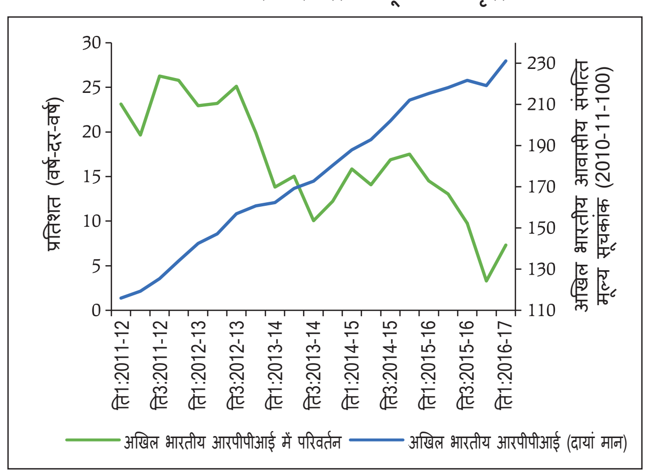

टिप्पणीः आरपीपीआई का संबंध आवासीय संपत्ति मूल्य सूचकांक से है (आधार मार्च 2011=100)।
स्रोतः आवासीय आस्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण, भारतीय रिज़र्व बैंक।

कारपोरेट क्षेत्र

1.24 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) सूचीबद्ध कंपनियों[15] की छमाही स्थिति से पता चलता है कि कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर काफी सुधार हुआ है (सारणी 1.1)। भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को अपनाए जाने हेतु कार्यान्वयन रोडमैप के अनुसार - जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के अनुरूप हैं; बीमा कंपनियां को छोड़कर सभी कंपनियां - बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, जिनकी मालियत ₹5 बिलियन या उससे अधिक है, से अपेक्षित है कि वे वर्ष 2016-17 से अपने वित्तीय विवरण इंड एएस के अनुसार तैयार करें। अतः चालू अवधि (30 सितंबर 2016 को समाप्त छमाही) के लिए इंड एएस आधारित वित्तीय विवरण पहले की अवधि के परिणामों से पूरी तरह मेल नहीं खा सकते हैं।

कारपोरेट लीवरेज[16]

प्रवृत्ति

1.25 सितंबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान चुनिंदा नमूने में सूचीबद्ध लगभग 42.2 प्रतिशत एनजीएनएफ कंपनियां डिलीवरेजिंग का सहारा ले रही थीं, जबकि कुल उधार अन्य 17.3 प्रतिशत कंपनियों का समान बना रहा है। हालांकि केवल 40.4 प्रतिशत कंपनियों का कुल उधार बढ़ा है, किंतु इन कंपनियों के कुल उधार में वृद्धि डिलीवरेजिंग वाली कंपनियों के कुल उधार में हुई गिरावट से कहीं अधिक है, अतः ये नमूने में ली गई कंपनियों के कुल उधार की स्थिति को प्रभावित करती हैं (सारणी 1.2)।

सारणी 1.1 : चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों के निष्पादन के वित्तीय अनुपात

	2014-15 की पहली छमाही	2014-15 की दूसरी छमाही	2015-16 की पहली छमाही	2015-16 की दूसरी छमाही	2016-17 की पहली छमाही
बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) (प्रतिशत)	5.8	-2.3	-3.5	2.2	1.9
औसत* कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ (प्रतिशत)	2.6	1.9	2.6	2.1	3.1
शोध क्षमता अनुपात & (प्रतिशत)	13.8	12.1	14.5	12.9	18.3
ईक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात #	0.38	0.39	0.38	0.38	0.32
ब्याज कवरेज अनुपात$ (कितनी बार)	5.8	4.9	5.4	5.0	5.8
औसत ^ उधार* की तुलना में ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	10.1	10.1	10.3	10.0	9.3

टिप्पणीः * औसत, छमाही की बकाया प्रारंभिक एवं समापन स्थिति पर आधारित है।
& ऋण शोधन क्षमता अनुपात को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, कुल कर्ज की तुलना में कर एव मूल्यह्रास के बाद लाभ (पीएटी)।
# ऋण को दीर्घकालिक उधार के रूप में लिया गया है तथा इक्विटी को निवल मालियत माना गया है।
& आईसीआर को ब्याज व्यय अनुपात की तुलना में ईबीआईटीडीए के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसमें ईबीआईटीडीए ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधन से पूर्व अर्जन है जिसे ईबीआईटीडीए = ईबीआईटी + मूल्यह्रास एवं परिशोधन सूत्र से प्राप्त किया गया है। ईबीआईटी का आशय है ब्याज एंव कर से पूर्व अर्जन से है।
^ वार्षिकीकृत ब्याज भुगतान का इस्तेमाल किया गया है।
स्रोतः भारिबैं (चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों के छमाही विवरण)

सारणी 1.2 : एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियां : कारपोरेट ऋण में परिवर्तन

(प्रतिशत)

प्रत्येक कंपनी की कुल उधारियों की दो अवधियों में तुलना	कंपनियों की सं.	कुल उधारियां		
		सितं.15 में हिस्सा	सितं.16 में हिस्सा	वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)
कंपनियां जिनकी कुल उधारियां घट गए	42.2	41.0	31.9	-16.1
कंपनियां जिनकी कुल उधारियां बढ़ गए	40.4	58.8	67.9	24.5
कंपनियां जिनकी कुल उधारियां समान रहे	17.3	0.2	0.2	0.0
कुल	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**7.8**

टिप्पणीः 1. कॉमन कंपनियों के लिए
2. ऋण को कुल उधारियां के रूप में लिया गया है
स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक (चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों के छमाही विवरण)

[15] सितंबर 2013 को समाप्त छमाही से प्रारंभ 2400 से 2700 एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित छमाही आँकड़ों पर आधारित है। वृद्धि और अन्य तुलनाओं की गणना करने के लिए समान कंपनियों को लिया गया है।

[16] कारपोरेट लीवरेज का विश्लेषण करने के लिए, इक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात का इस्तेमाल किया गया है, जहां ऋण दीर्घावधि उधारियां है और इक्विटी निवल मालियत है। तथापि, कंपनियों के समग्र डिलीवरेजिंग प्रवृत्ति (वृद्धि और हिस्से के संबंध में) पर विचार करने के लिए तुलना में लिए कुल उधारियों (दीर्घावधि और अल्पावधि) का इस्तेमाल किया गया है।

टेल जोखिम

1.26 नमूनों में शामिल 'लीवरेज्ड'कंपनियों (लीवरेज्ड के रूप में वे कंपनियां परिभाषित हैं जिनकी मालियत या तो ऋणात्मक है या इक्विटी की तुलना में ऋण का अनुपात (डीईआर)>=2 है), का अनुपात सितंबर 2015 के 19.4 प्रतिशत की तुलना में घटकर सितंबर 2016 को 14.5 प्रतिशत रह गया है, हालांकि, इसमें मार्च 2016 की स्थिति से मामूली वृद्धि हुई है। कुल ऋण में ऐसी कंपनियों का हिस्सा मार्च 2016 के 20.6 प्रतिशत से और घटकर सितंबर 2016 में 16.0 प्रतिशत रह गया जो सितंबर 2015 में 30.5 प्रतिशत था। उसी प्रकार, 'अत्यधिक लीवरेज्ड'कंपनियों का अनुपात (लीवरेज्ड के रूप में वे कंपनियां परिभाषित हैं जिनका डीईआर>=3 है) 15.3 प्रतिशत से घटकर 13.5 प्रतिशत रह गया और इन कंपनियों का कुल उधार में हिस्सा 24.9 से घटकर 14.5 प्रतिशत रह गया (सारणी 1.3)।

ऋण चुकौती क्षमता

1.27 ऋण चुकौती क्षमता तथा 'कमज़ोर' कंपनियों ['कमज़ोर' कंपनियों के रूप में उन कंपनियों को परिभाषित किया गया है जिनका ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर<1) है] के लीवरेज की मौजूदा प्रवृत्तियों का विश्लेषण समान नमूनों का इस्तेमाल करके किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में काफी सुधार को दर्शाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि सितंबर 2016 के अंत तक 14.1 प्रतिशत कंपनियां 'कमज़ोर' थीं जबकि सितंबर 2015 में यह प्रतिशत 15.8 प्रतिशत रहा था। इन 'कमजोर' कंपनियों के ऋण का हिस्सा 2015-16 की दूसरी छमाही के 27.3 प्रतिशत से घटकर 2016-17 की पहली छमाही में कुल ऋण का 14.7 प्रतिशत रह गया। तथापि, इन 'कमजोर' कंपनियों का डीईआर 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया। 'लीवरेज्ड कमज़ोर'[18] कंपनियों का समानुपात इसी अवधि में 2.4 प्रतिशत से तेजी से घटकर 1.4 प्रतिशत रह गया। 'लीवरेज्ड कमज़ोर'[18] कंपनियों के ऋण का हिस्सा भी 11.8 प्रतिशत से काफी घटकर 3.7 प्रतिशत रह गया (चार्ट 1.18)।

चार्ट 1.18: एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियां: 'कमजोर' कंपनियां - मौजूदा प्रवृत्ति (2013-14 से 2016-17)

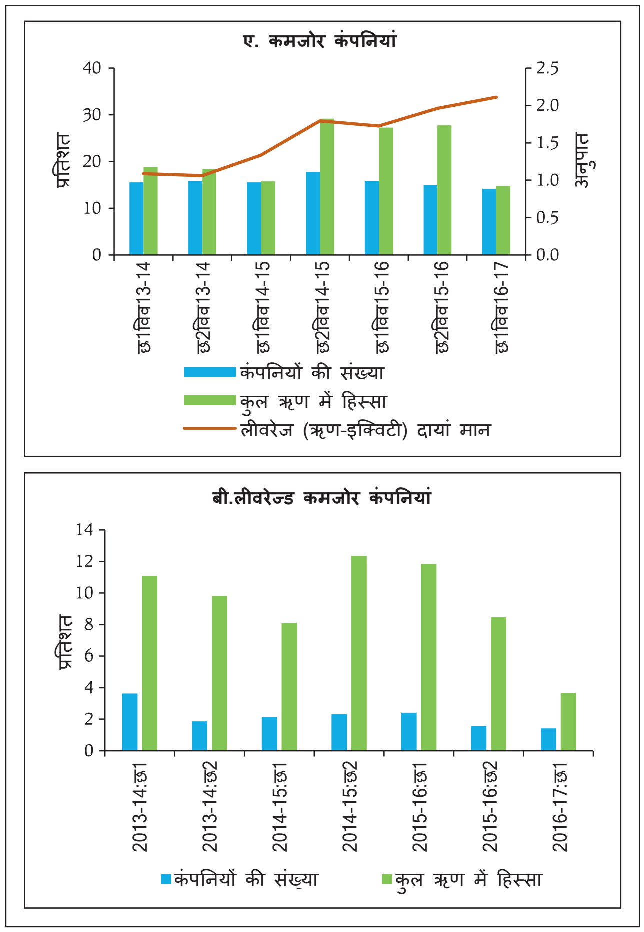

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों का अर्धवार्षिक वक्तव्य)।

सारणी 1.3 : एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियां: कारपोरेट लीवरेज में टेल जोखिम

(प्रतिशत)

लीवरेज	कंपनियों की संख्या (कुल कंपनियों के प्रतिशत के रूप में)				कुल ऋण की तुलना में ऋण का हिस्सा			
	मार्च 15	सितं. 15	मार्च 16	सितं. 16	मार्च 15	सितं. 15	मार्च 16	सितं. 16
ऋणात्मक निवल मालियत अथवा डीईआर > = 2	19.0	19.4	14.0	14.5	33.8	30.5	20.6	16.0
ऋणात्मक निवल मालियत अथवा डीईआर > = 3	14.2	15.3	12.9	13.5	23.0	24.9	19.0	14.5

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों का छमाही वक्तव्य)

[17] जिन कंपनियों का डीईआर >= 2 है उन्हें 'लीवरेज्ड' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 'लीवरेज्ड कमज़ोर' कंपनियां वे कंपनियां हैं जिनका डीईआर >= 2 है अथवा 'कमज़ोर' कंपनियों में जिनकी निवल मालियत ऋणात्मक है। 'लीवरेज्ड' कंपनियों में ऋणात्मक मालियत वाली कंपनियां भी शामिल हैं क्योंकि इन कंपनियों में सालवेंसी समस्या भी है।

चार्ट 1.19: चुनिंदा उद्योगों के ऋण

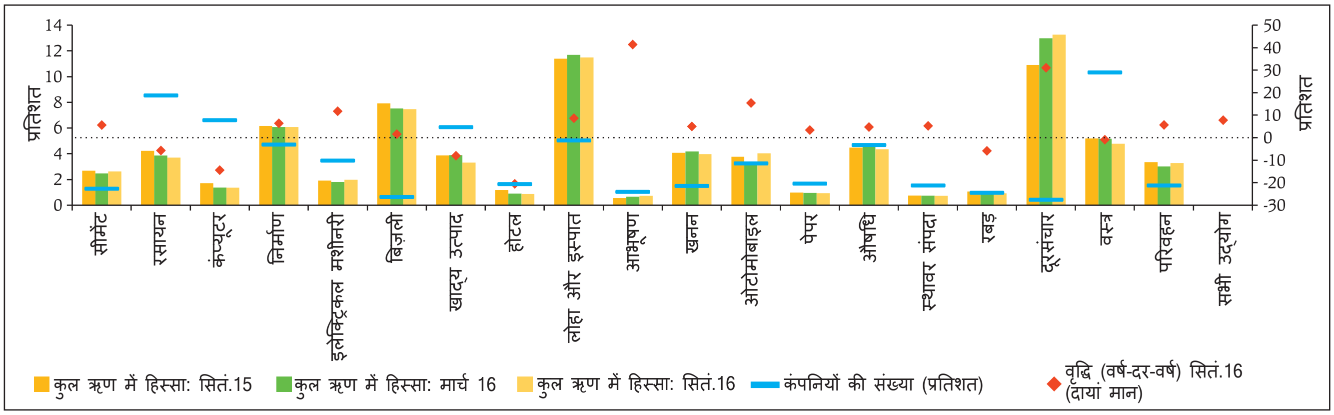

टिप्पणी: समान कंपनियों के लिए
ऋण को कुल उधारियों के रूप में लिया गया है।
स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक (चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों के छमाही वक्तव्य)।

कारपोरेट लीवरेज का क्षेत्रवार विश्लेषण

1.28 सितंबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान रसायन, कंप्यूटर, खाद्य उत्पाद, होटल, रबर और वस्त्र उद्योग की कंपनियों द्वारा ली गई कुल उधारी में कमी आई। दूसरी ओर, सीमेंट, निर्माण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, बिज़ली, लोहा और इस्पात, आभूषण, खनन, ओटोमोबाइल, पेपर, औषधि, स्थावर संपदा, दूरसंचार और परिवहन उद्योगों द्वारा ली गई कुल उधारी में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 1.19)।

1.29 सितंबर 2016 के अंत में चुनिंदा उद्योगों के जोखिम प्रोफाइल दर्शाता है कि लोहा और इस्पात और विद्युत में बहुत अधिक लीवरेज और ब्याज का बोझ था[18]। दूरसंचार और परिवहन उद्योग में भी अपेक्षाकृत अधिक लीवरेज था (चार्ट 1.20)।

चार्ट 1.20: चुनिंदा उद्योगों का जोखिम प्रोफाइल (सितंबर 2016)

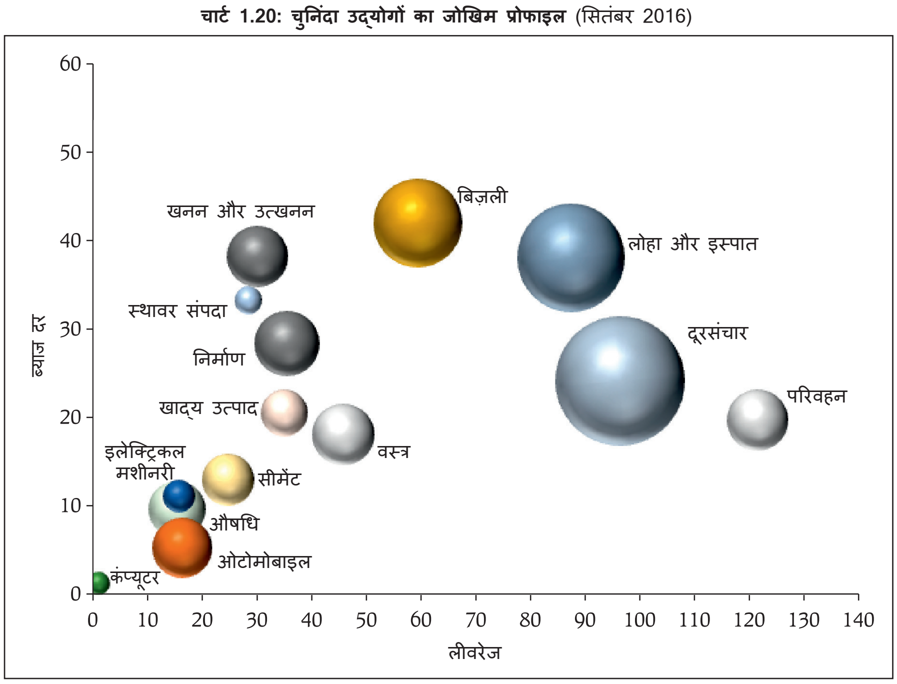

टिप्पणी: बुलबुले का आकार नमूने कंपनियों से लिया गया सभी उद्योगों के कुल ऋण में उद्योग का ऋण के संबंधित हिस्से पर आधारित है।
स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक (चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों के छमाही वक्तव्य)।

[18] ईबीआईटीडीए के प्रतिशत के रूप में ब्याज–भार को ब्याज व्यय की तरह परिभाषित किया गया है।

प्रमोटरों द्वारा शेयरों की गिरवी रखने संबंधी प्रवृत्ति और उनकी क्रेडिट रेटिंग कम होना

1.30 कारपोरेट के कर्ज में दबाव को प्रवर्तकों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों से संबंधित डाटा से भी बढ़ावा मिला है। एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध समस्त कंपनियों में प्रवर्तकों की शेयर धारिता में से गिरवी रखे जाने वाले शेयरों में बीते वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी ही होती जा रही है। एनएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों (उन कंपनियों सहित जिनके शेयर गिरवी नहीं रखे गए हैं) के शेयरों की गिरवी धारण करने वाले प्रवर्तकों का प्रतिशत मार्च 2016 के 15.2 प्रतिशत से बढ़कर जून 2016 में 15.3 प्रतिशत हो गया था। इसी प्रकार दिसंबर 2013 में यह 13.8 प्रतिशत, दिसंबर 2014 में 14.4 प्रतिशत और दिसंबर 2015 में 14.8 प्रतिशत था।

1.31 भारत में तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा कारपोरेट ऋण लिखतों को दी गई साख संबंधी रेटिंग (तिमाही डाटा दिसंबर 2015 से सितंबर 2016 तक) की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि दिसंबर 2015 में रेटिंग दिए गए कुल लिखतों में से 'ग्रेड-उन्नयन' की रेटिंग दिए गए लिखतों का प्रतिशत 3.3 था जो सितंबर 2016 में काफी बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गया था (चार्ट 1.21)। साथ ही उसी अवधि के दौरान ग्रेड-न्यूनीकरण की रेटिंग में गिरावट हुई थी जो 7.5 से घटकर 3.1 हो गई थी।

कारपोरेट क्षेत्र जोखिम

1.32 कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता संकेतक और मानचित्र[19] से पता चलता है कि कारपोरेट क्षेत्र जिसमें 2007-08 के दौरान वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बढ़ गया था, के लिए समग्र जोखिम में हाल के समय में फिर से गिरावट देखी गई है। लेकिन, कम मांग (टर्नओवर)[20] के कारण जोखिम बना रहा (चार्ट 1.22)।

चार्ट 1.21: ऋण लिखत के क्रेडिट जोखिम की प्रवृत्ति

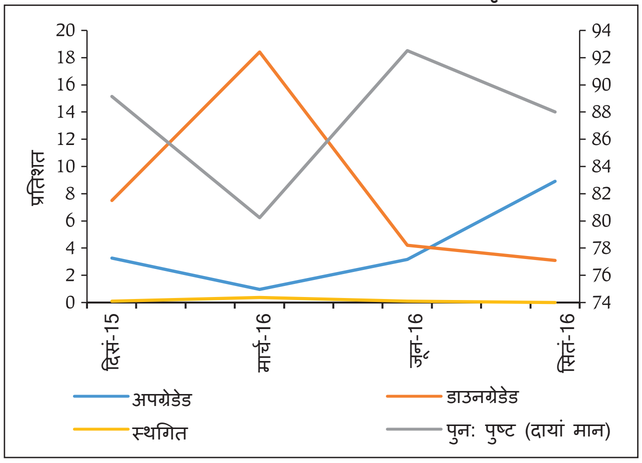

स्रोतः सेबी.

चार्ट 1.22: कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता संकेतक और मानचित्र

ए. कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता संकेतक

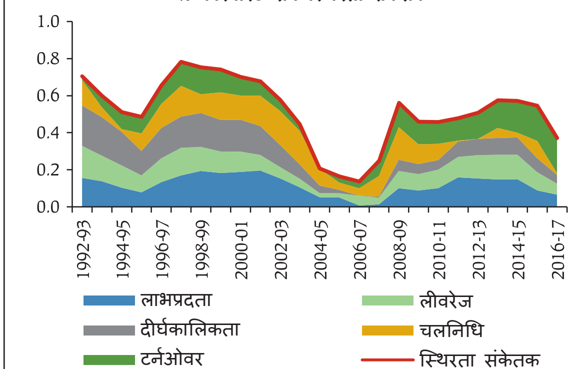

टिप्पणी: संकेतक मूल्य में वृद्धि कम स्थिरता को दर्शाता है।
प्रत्येक दिशा की चौड़ाई जोखिम के प्रति अपने योगदान को इंगित करती है।

बी. कारपोरेट क्षेत्र स्थिरता मानचित्र

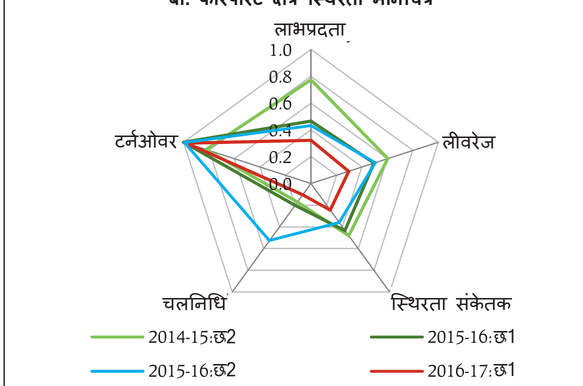

टिप्पणी: केंद्र से दूर जोखिम में वृद्धि की ओर इंगित करती है।

स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक (चुनिंदा एनजीएनएफ सूचीबद्ध कंपनियों के छमाही वक्तव्य) और स्टाफ गणना।

[19] 1992-93 से 2011-12 तक के वार्षिक तुलन-पत्र से आंकड़े लिए गए हैं, जबकि 2012-13 से 2016-17 तक के दौरान छमाही आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। विभिन्न आयामों के तहत उपयोगी की विस्तृत पद्धति और बुनियादी संकेतकों के बारे अनुबंध 2 में दिया गया है।

[20] टर्नओवर को आस्ति की तुलना में बिक्री अनुपात के रूप में लिया गया है।

अध्याय II

वित्तीय संस्थाएँ : सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) का कारोबार मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के धीमे कार्यनिष्पादन के कारण कमजोर ही रहा। मार्च और सितंबर 2016 के बीच बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और भी गिरावट आयी। अपनी आस्तियों पर ऋणात्मक प्रतिलाभ वाले बैंक समूहों में पीएसबी ने पूँजी की तुलना में न्यूनतम जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) दर्ज करना जारी रखा।

बैंकिंग स्थिरता संकेतक से ज्ञात होता है कि आस्ति गुणवत्ता में निरंतर गिरावट, कम लाभप्रदता और चलनिधि के कारण बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम बढ़ा हुआ ही रहा। हानि के उच्चतर स्तरों को देखते हुए एससीबी निकट भविष्य में जोखिम से विमुख हो सकते हैं क्योंकि वे अपने तुलन-पत्रों को स्वच्छ रखना चाहेंगे और उनकी पूंजी स्थिति भी उच्चतर ऋण वृद्धि को सहयोग प्रदान करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है। एससीबी का दबाव परीक्षण दर्शाता है कि यदि समष्टि आर्थिक स्थितियों में तीव्र गिरावट आती है तो उनके जीएनपीए अनुपात में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई। हालांकि एसयूसीबी की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ।

खंड-I

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक[1]

2.1 इस खंड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी)[2] की सुदृढ़ता और समुत्थानशक्ति पर मोटे तौर पर दो उप-शीर्षों के तहत विचार किया गया है- i) संचालनात्मक पक्षों पर कार्यनिष्पादन, और ii) परिदृश्यों तथा एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषणों के माध्यम से समष्टि-दबाव परीक्षणों का प्रयोग करते हुए सहनीयता।

कार्यनिष्पादन

2.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कारोबारी संवृद्धि धीमी बनी रही और सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों से पीछे रहे। पूंजी की तुलना में जोखिम भारित आस्तियों के संदर्भ में समग्र पूंजी पर्याप्तता 13.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही जबकि प्रणालीगत स्तर पर टियर-1 का लीवरेज अनुपात[3] मार्च और सितंबर 2016 के दौरान मामूली रूप से बढ़ा। जोखिम प्रावधानों में उच्चतर बढ़ोतरी, ऋणों को बट्टे खाते डालने और निवल ब्याज आय में कमी के कारण 2016-17 की पहली छमाही में साल-दर-साल आधार पर कर-कटौती के बाद प्रणालीगत स्तर पर लाभ में कमी रही। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सामूहिक तौर पर हानियाँ दर्ज करना जारी रखा। मार्च और सितंबर 2016 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आस्ति-प्रतिलाभ (आरओए) 0.3 प्रतिशत से मामूली सुधर कर 0.4 प्रतिशत पर रहा और इक्विटी प्रतिलाभ 3.2 प्रतिशत से सुधर कर 5.0 प्रतिशत पर रहा (चार्ट 2.1)।

[1] इस अध्याय में किए गए विश्लेषण नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं, जो कि अनंतिम हैं।

[2] ये विश्लेषण पर्यवेक्षी विवरणियों पर आधारित हैं, जिनमें एससीबी के केवल घरेलू परिचालन शामिल किए गए हैं, बड़े उधारकर्ताओं से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर, जो कि बैंकों के वैश्विक परिचालनों पर आधारित हैं। एससीबी में सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक शामिल हैं।

[3] टीयर-I लीवरेज अनुपात को कुल आस्तियों की तुलना में टीयर-I पूंजी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल आस्तियों में तुलन-पत्रेतर मदों का क्रेडिट समतुल्य शामिल है।

चार्ट 2.1: चुनिन्दा कार्यनिष्पादन संकेतक

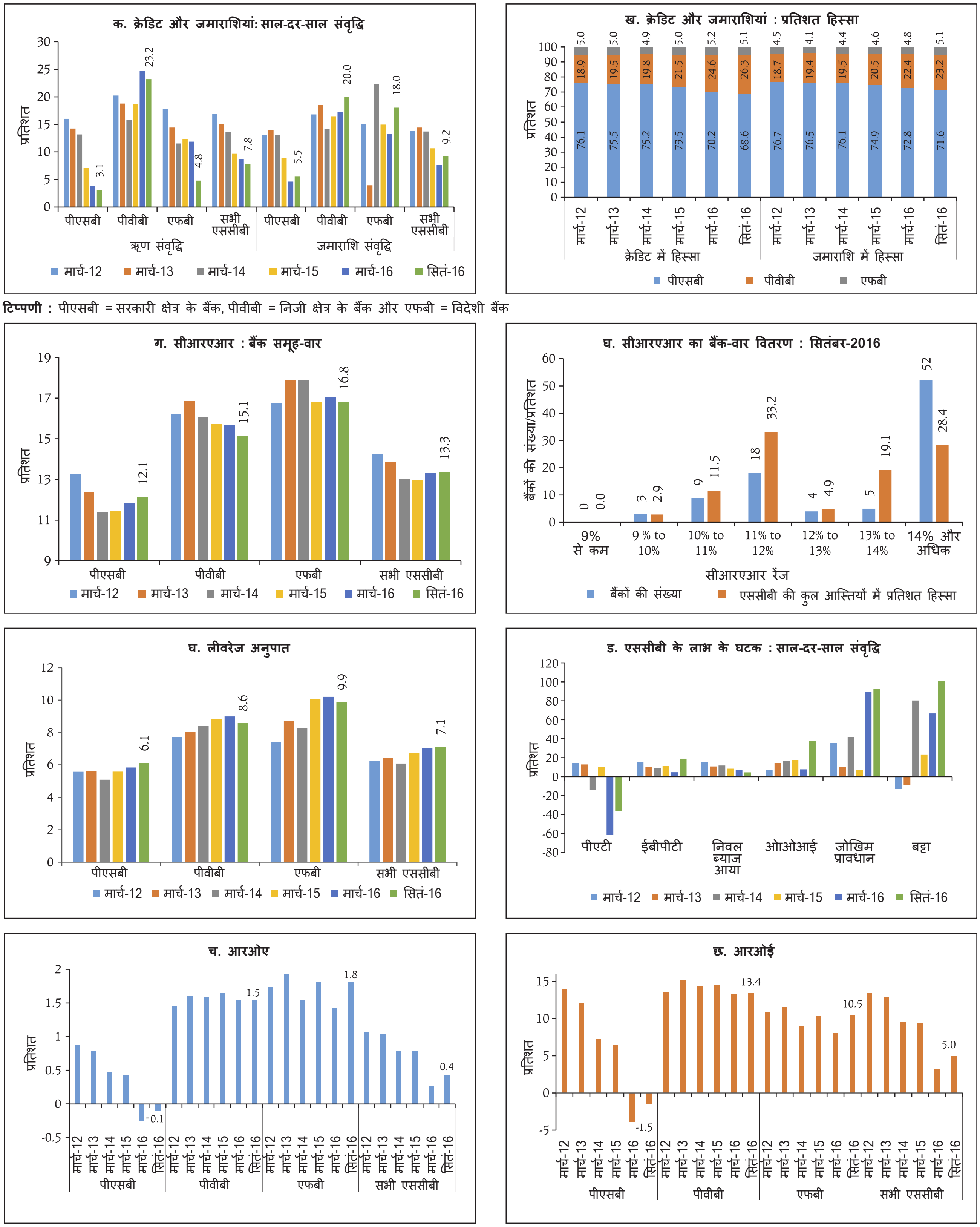

टिप्पणी : पीएसबी = सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीवीबी = निजी क्षेत्र के बैंक और एफबी = विदेशी बैंक

टिप्पणी : आरओए और आरओई वार्षिक/वार्षिकीकृत संख्या हैं।

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

आस्ति गुणवत्ता

2.3 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और गिरावट आई। मार्च और सितंबर 2016 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का जीएनपीए अनुपात 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गया जिससे कुल दबावग्रस्त अग्रिमों[4] का अनुपात भी 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.2)। हानि के उच्चतर स्तरों को देखते हुए एससीबी निकट भविष्य में जोखिम से विमुख हो सकते हैं क्योंकि वे अपने तुलन-पत्रों को स्वच्छ रखना चाहेंगे और उनकी पूंजी स्थिति भी उच्चतर ऋण वृद्धि को सहयोग प्रदान करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है।

चार्ट 2.2: एससीबी की आस्ति गुणवत्ता के चुनिंदा संकेतक

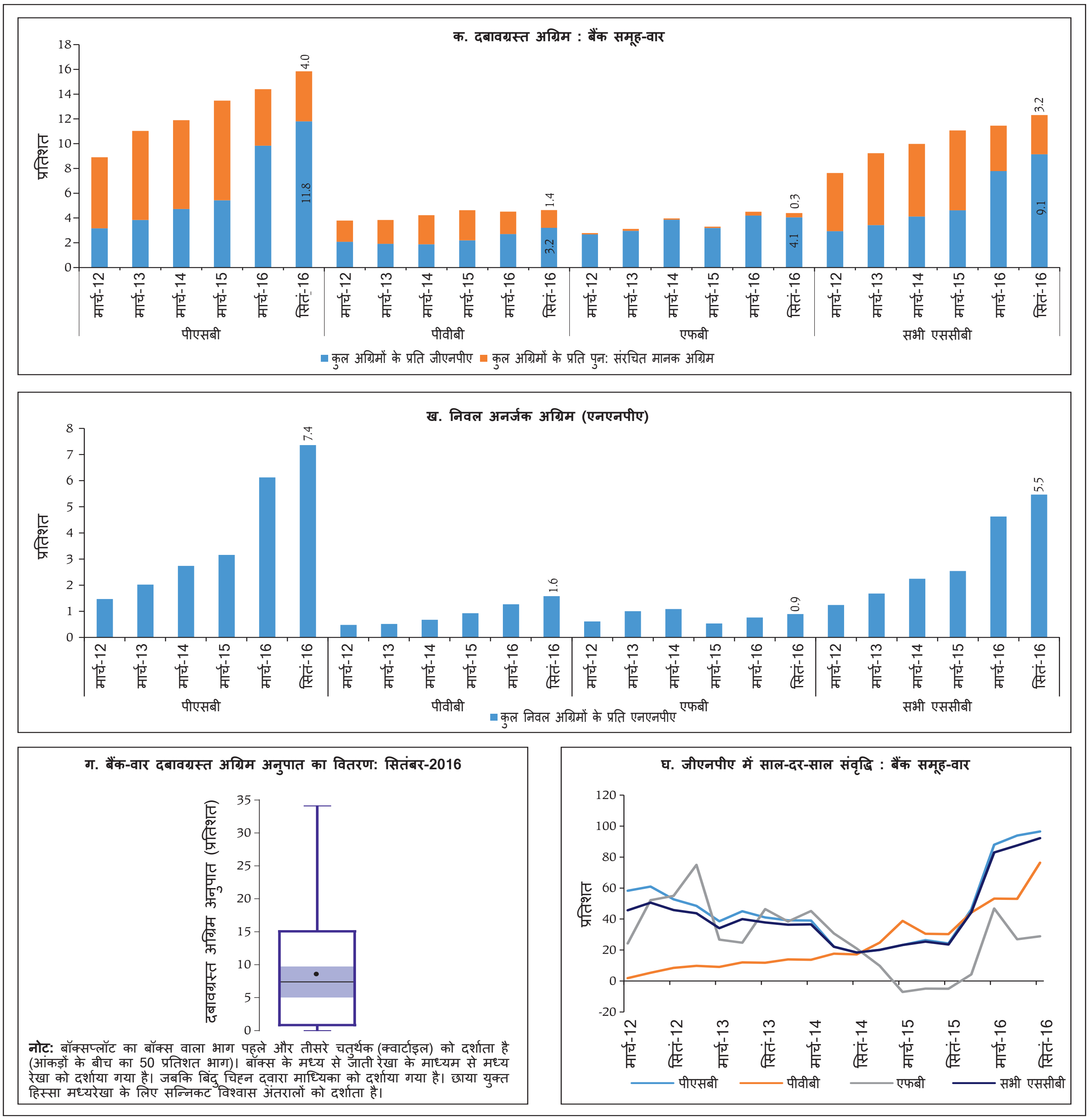

[4] आस्ति गुणवत्ता के विश्लेषण के उद्देश्य से, दबावग्रस्त अग्रिमों को जीएनपीए और पुन: संरचित मानक अग्रिमों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट 2.2: एससीबी की आस्ति गुणवत्ता के चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

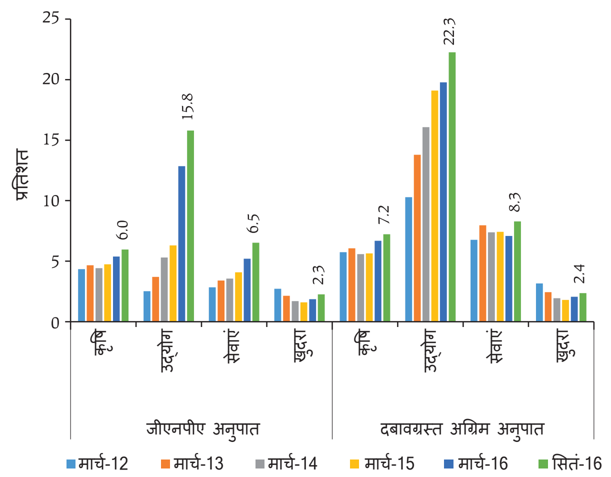

ड. विस्तृत क्षेत्रों की आस्ति गुणवत्ता
(संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

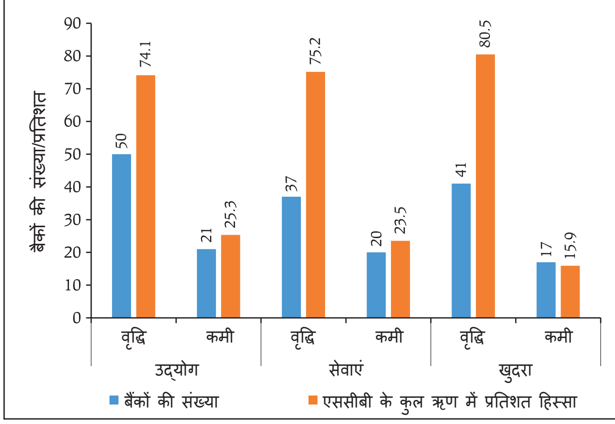

च. मार्च और सितंबर 2016 के दौरान दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात में परिवर्तन

नोट: उपर्युक्त चार्ट मार्च और सितंबर 2016 के दौरान प्रमुख सेक्टरों में दबावग्रस्त अग्रिमों में दर्ज हुई वृद्धि या कमी वाले बैंकों की संख्या(और एससीबी के कुल ऋणों में उनके हिस्से को) दर्शाता है।

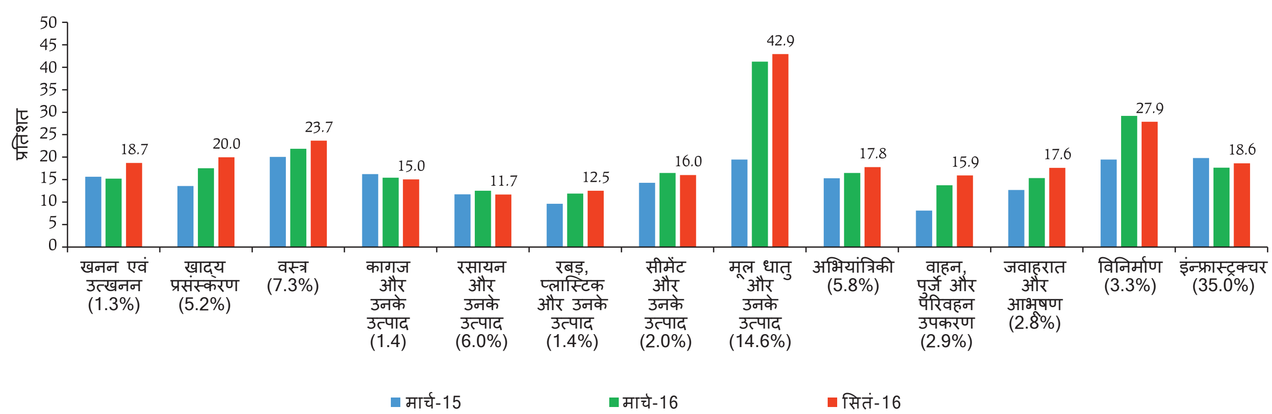

छ. उद्योग के भीतर प्रमुख उप-क्षेत्रों के दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात
(उनके संबंधित उप- क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत)

टिप्पणी : लेजेंड के साथ कोष्ठक में दी गई संख्याएँ उद्योग को दिए गए कुल क्रेडिट में संबंधित उप-क्षेत्र के क्रेडिट का हिस्सा हैं।

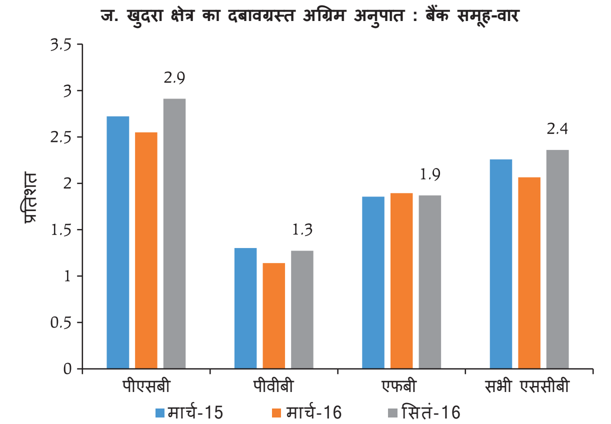

ज. खुदरा क्षेत्र का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात : बैंक समूह-वार

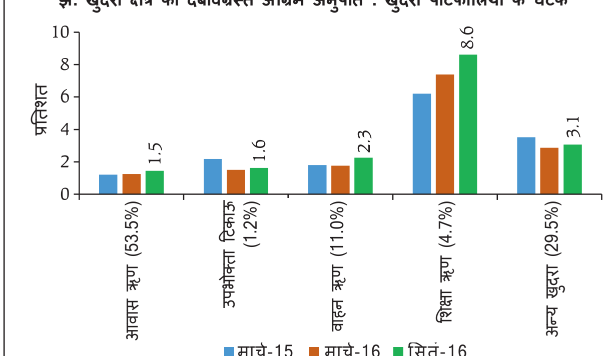

झ. खुदरा क्षेत्र का दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात : खुदरा पोर्टफोलियो के घटक

टिप्पणी : लेजेंड के साथ कोष्ठक में दी गई संख्याएँ उद्योग को दिए गए कुल खुदरा क्रेडिट में संबंधित उप-क्षेत्र के क्रेडिट का हिस्सा हैं।

स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

बड़े उधारकर्ताओं की क्रेडिट गुणवत्ता[5]

2.4 बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता में महत्वपूर्ण गिरावट रही। सभी बैंक-समूहों में विशेष उल्लेखनीय खातों[6] (एसएमए-2) का हिस्सा बढ़ गया। मार्च और सितंबर 2016 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋणों में बड़े उधारकर्ताओं के हिस्से में गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में जीएनपीए में इनकी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई (चार्ट 2.3)।

चार्ट 2.3: बड़े उधारकर्ताओं के चुनिन्दा आस्ति गुणवत्ता संकेतक

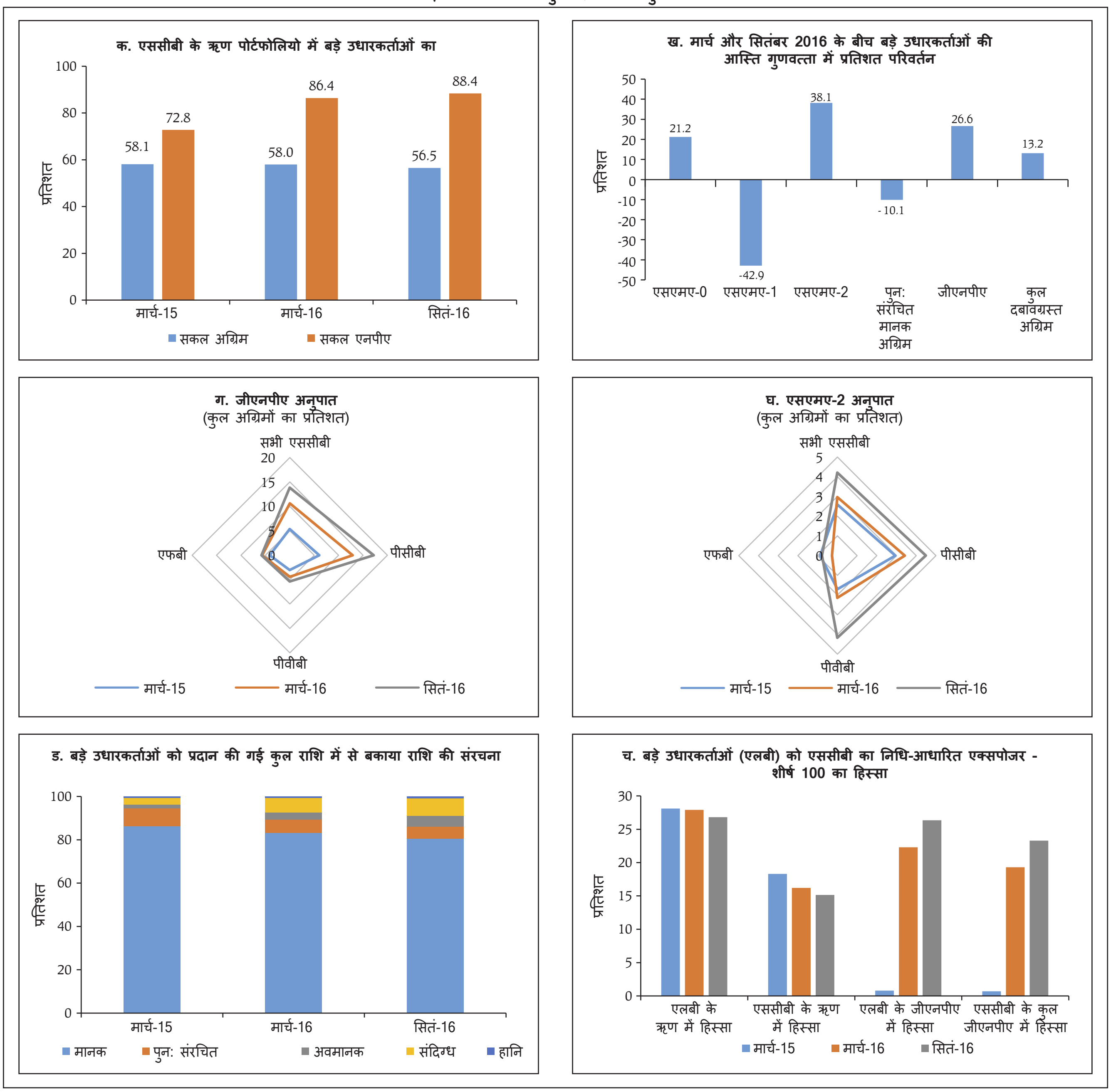

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

[5] बड़े उधारकर्ताओं की परिभाषा इस प्रकार है - ऐसे उधारकर्ता जिनका सकल-निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र रु. 50 मिलियन और अधिक है।

[6] कोई ऋण खाता एनपीए में बदल जाए उससे पहले बैंकों से अपेक्षित है कि एसएमए की तीन उप-आस्ति श्रेणियां सृजित करके खाते में आरंभिक दबाव की पहचान करें- यथा -i) एसएमए-0: मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 30 दिन से अधिक बकाया नहीं है लेकिन खाते में आरंभिक दबाव दिखाई दे रहे हों; ii) एसएमए-1: मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 31-60 दिन के बीच बकाया हो और iii) एसएमए-2: मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 61-90 दिन के बीच बकाया हो।

जोखिम

बैंकिंग स्थिरता संकेतक

2.5 बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई)[7] दिखाता है कि विगत एफएसआर[8] के प्रकाशन के बाद से बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम उच्चता पर ही बना रहा। यद्यपि बैंकों की मजबूती जो उनकी पूंजी की स्थिति से प्रकट होती है में सुधार हुआ; लेकिन उनकी आस्ति गुणवत्ता में लगातार गिरावट, न्यून लाभप्रदता और चलनिधि ने समग्र जोखिम को उच्च स्तर पर लाने में योगदान किया (चार्ट 2.4 और 2.5)।

समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण

समष्टि दबाव परीक्षण- क्रेडिट जोखिम[9]

2.6 प्रणालीगत, बैंक समूह और क्षेत्रगत स्तरों पर ऋण जोखिम के लिए समष्टि दबाव परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से समष्टिआर्थिक आघातों के प्रति भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आघात-सहनीयता का परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों में एक बेसलाइन और दो (मध्यम और घातक) प्रतिकूल समष्टि आर्थिक जोखिम परिदृश्यों को समाहित करते हुए परिकल्पित जोखिम परिदृश्यों को लिया गया (चार्ट 2.6)। समष्टि आर्थिक

चार्ट 2.4: बैंकिंग स्थिरता संकेतक

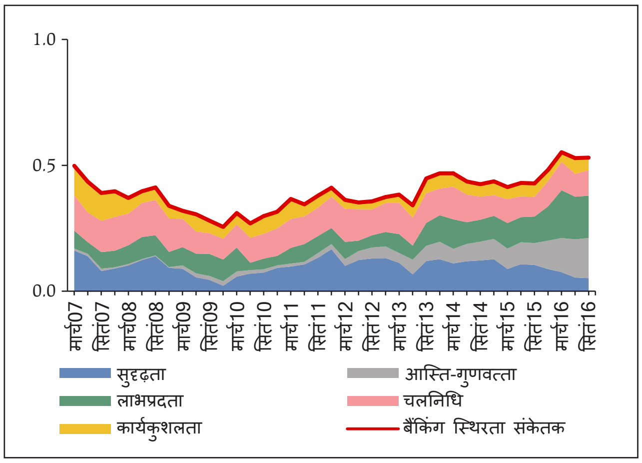

टिप्पणी : संकेतक मान में बढ़ोतरी स्थायित्व में कमी को दर्शाता है। प्रत्येक आयाम का विस्तार जोखिम के प्रति अपना योगदान प्रकट करता है।
स्रोत : रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन

चार्ट 2.5: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र

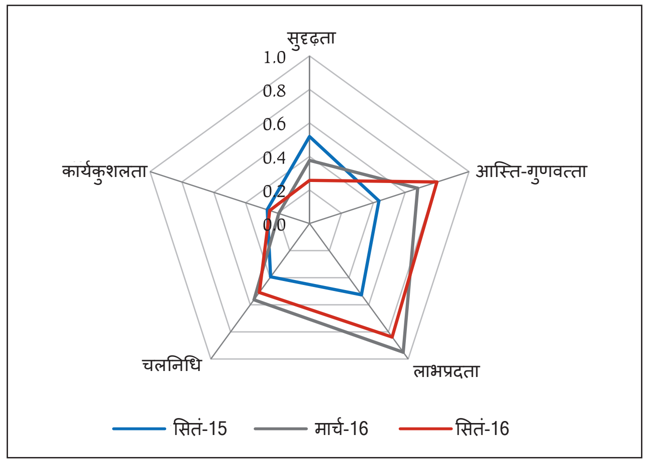

टिप्पणी: केन्द्र से दूर जाती हुई स्थिति बढ़ते जोखिम को दर्शाती है।
स्रोत : रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन

चार्ट 2.6: समष्टि आर्थिक परिदृश्य परिकल्पना[10]

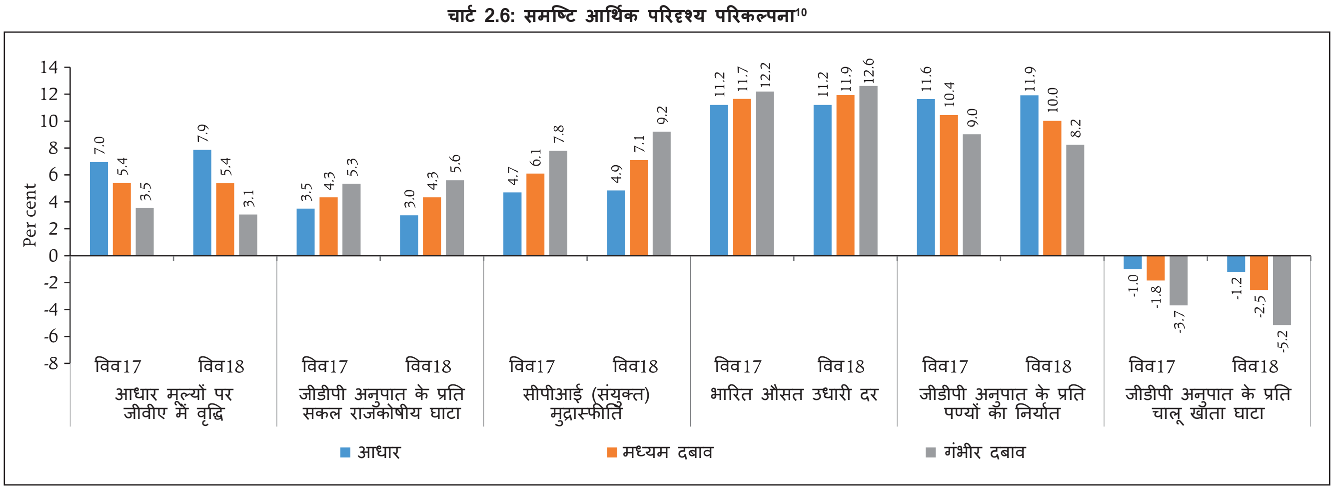

[7] विभिन्न बीएसआई आयामों के तहत प्रयुक्त पद्धति और मूल संकेतकों का विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।
[8] एफएसआर, जून 2016 (मार्च 2016 के अंत में प्राप्त आंकड़ों के संदर्भ में)
[9] विस्तृत विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।
[10] ये दबाव परिदृश्य परिकल्पित- गंभीर रूप से प्रतिकूलत: प्रभावित आर्थिक स्थितियों के तहत कठोर एवं रूढ़िवादी अनुमान हैं और इन्हें पूर्वानुमान अथवा संभावित परिणाम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। वित्त वर्ष 2016-17 (वित्त 17) के लिए दी गई संख्याएं पिछली दो तिमाहियों से संबंधित हैं।

चरांकों के ऐतिहासिक प्रतिमानों में मानक विचलन के आधार पर प्रतिकूल परिदृश्यों का आकलन किया गया है: मध्यम जोखिम के लिए मानक विचलन (एसडी) 1 लिया गया और घातक जोखिम के लिए 1.25 से 3 तक का एसडी लिया गया (10 वर्ष के ऐतिहासिक आंकड़े)।

प्रणाली स्तरीय क्रेडिट जोखिम

2.7 दबाव परीक्षण से संकेत मिलता है कि बेसलाइन परिदृश्य में जीएनपीए अनुपात सितंबर 2016 के 9.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 तक बढ़कर 9.8 प्रतिशत हो सकता है और मार्च 2018 में 10.1 प्रतिशत हो सकता है। यदि समष्टि आर्थिक स्थितियों में गिरावट आती है तो इन परिणामी दबाव परिदृश्यों में जीएनपीए अनुपात और भी बढ़ सकता है। हालांकि, प्रणाली स्तर की सीआरएआर की स्थिति विनियमों में अपेक्षित न्यूनतम से अधिक रह सकती है (चार्ट 2.7)।

बैंक समूह स्तर का क्रेडिट जोखिम

2.8 बैंक समूहों में हो सकता है कि पीएसबी उच्चतम जीएनपीए अनुपात दर्ज करना जारी रखें। बेसलाइन परिदृश्यों में देखें तो पीएसबी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2016 के 11.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 में 12.5 प्रतिशत और मार्च 2018 में 12.9 प्रतिशत हो सकता है, जो कि घातक दबाव परिदृश्य में और भी बढ़ सकता है। बैंक समूहों में पीएसबी न्यूनतम सीआरएआर दर्ज कर सकते हैं (चार्ट 2.8)।

चार्ट 2.7: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रणाली स्तरीय जीएनपीए और सीआरएआर के अनुमान (विभिन्न परिदृश्यों में)

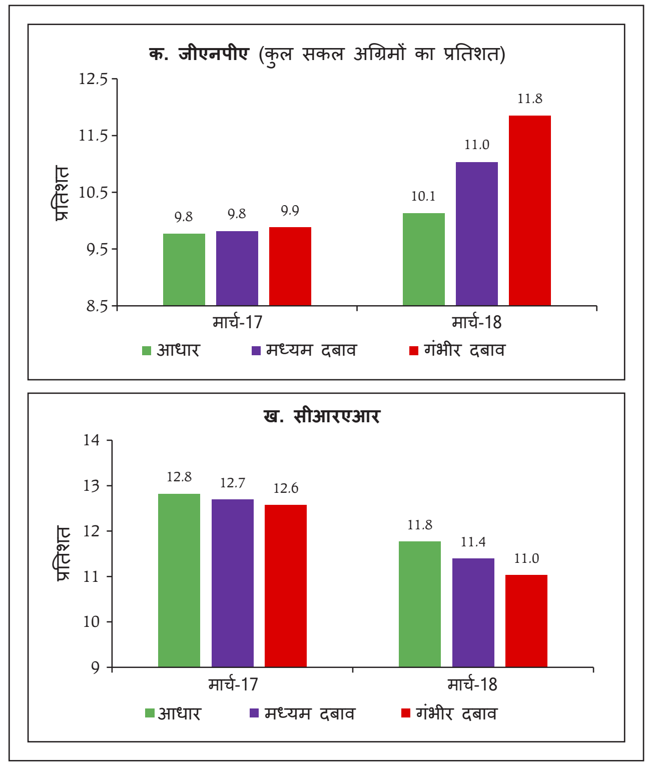

टिप्पणी : 1. प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुमान तीन अलग-अलग लेकिन अनुपूरक अर्थमितीय मॉडल का प्रयोग करते हुए लगाया गया है: बहुविचर रीग्रेशन, वैक्टर स्वतः रीग्रेशन और क्वान्टाइल रीग्रेशन। इन तीनों मॉडलों का औसत जीएनपीए अनुपात चित्र में दिया गया है।
2. सीआरएआर के अनुमान 25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम लाभों को पूंजी रिज़र्व में अंतरित करने की रूढ़िवादी परिकल्पना पर आधारित है। यह हितधारकों द्वारा लगायी गयी पूंजी को गणना में नहीं लेता है। तथापि, पीएसबी में सरकार द्वारा लगाई जाने वाली योजनागत पूंजी एससीबी के अनुमानित सीआरएआर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

स्रोत : रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन.

चार्ट 2.8: बैंक समूह-वार जीएनपीए अनुपात और सीआरएआर का अनुमान (विभिन्न परिदृश्यों में)

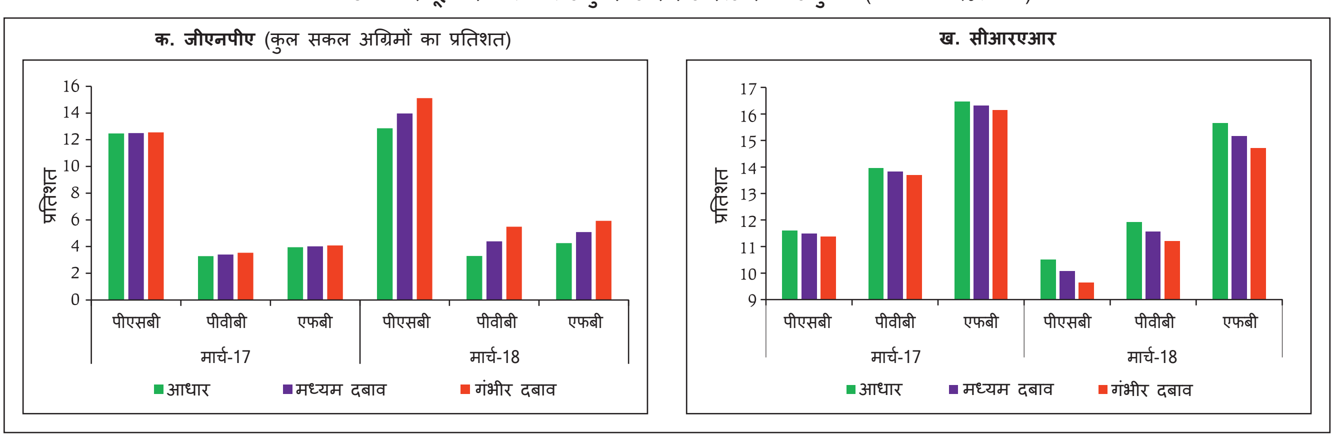

टिप्पणी : 1. बैंक समूह-वार जीएनपीए का अनुमान दो अलग-अलग लेकिन अनुपूरक अर्थमितीय मॉडल का प्रयोग करते हुए लगाया गया है : बहुविचर रीग्रेशन और वेक्टर स्वतः रीग्रेशन। इन दोनों मॉडलों का औसत जीएनपीए अनुपात चार्ट में दिया गया है।
2. सीआरएआर के अनुमान 25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम लाभों को पूंजी रिज़र्व में अंतरित करने की रूढ़िवादी परिकल्पना पर आधारित है। यह हितधारकों द्वारा लगायी गयी पूंजी को गणना में नहीं लेता है। तथापि, पीएसबी में सरकार द्वारा लगाई जाने वाली योजनागत पूंजी एससीबी के अनुमानित सीआरएआर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

स्रोत : रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

क्षेत्रगत क्रेडिट जोखिम

2.9 क्षेत्रगत क्रेडिट जोखिम के समष्टि-दबाव परीक्षण से प्रकट हुआ कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत मार्च 2017 और मार्च 2018 में चुनिंदा सात क्षेत्रों में से लोहा और इस्पात क्षेत्र में उच्चतम जीएनपीए संभावित है और इसके बाद विनिर्माण और इंजीनियरिंग का स्थान रहेगा (चार्ट 2.9)।

चार्ट 2.9: विभिन्न परिदृश्यों के तहत अनुमानित क्षेत्रगत एनपीए

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

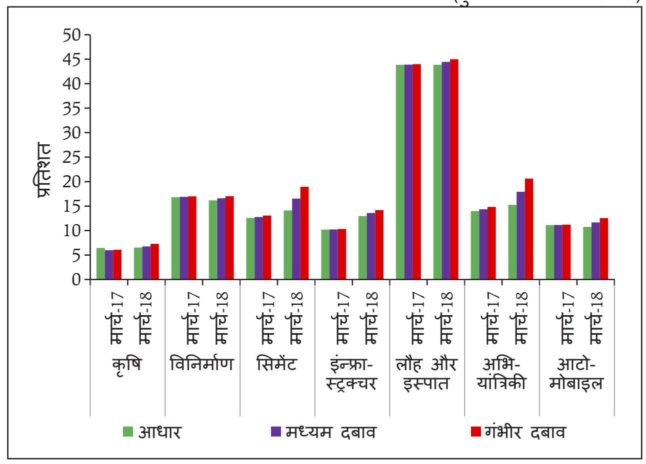

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

क्रेडिट जोखिम हेतु हानियों[11] का अनुमान : प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता

2.10 कुल अग्रिमों के प्रतिशत रूप में मौजूदा विद्यमान प्रावधान[12] - सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 5.8 प्रतिशत, निजी बैंकों के लिए 2.3 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 4.1 प्रतिशत - सितंबर 2016 तक की स्थिति के अनुसार दबाव परिदृश्य के तहत प्रत्याशित हानियों की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। बेसलाइन और प्रतिकूल समष्टि आर्थिक जोखिम परिदृश्यों में क्रेडिट जोखिम से होने वाली प्रत्याशित हानि की भरपाई के लिए खासतौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने प्रावधानीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि समग्र बैंक समूहों के कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी[13] (टीयर I और टीयर II का योग) का वर्तमान स्तर संभवत: क्रेडिट जोखिम से पैदा होने वाले अनुमानित अप्रत्याशित हानियों (यूएल) और प्रत्याशित कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, यहाँ तक कि उग्र समष्टि आर्थिक दबाव स्थितियों में भी यह संभव है (चार्ट 2.10)।

चार्ट 2.10: अनुमानित हानियाँ - बैंक समूह-वार

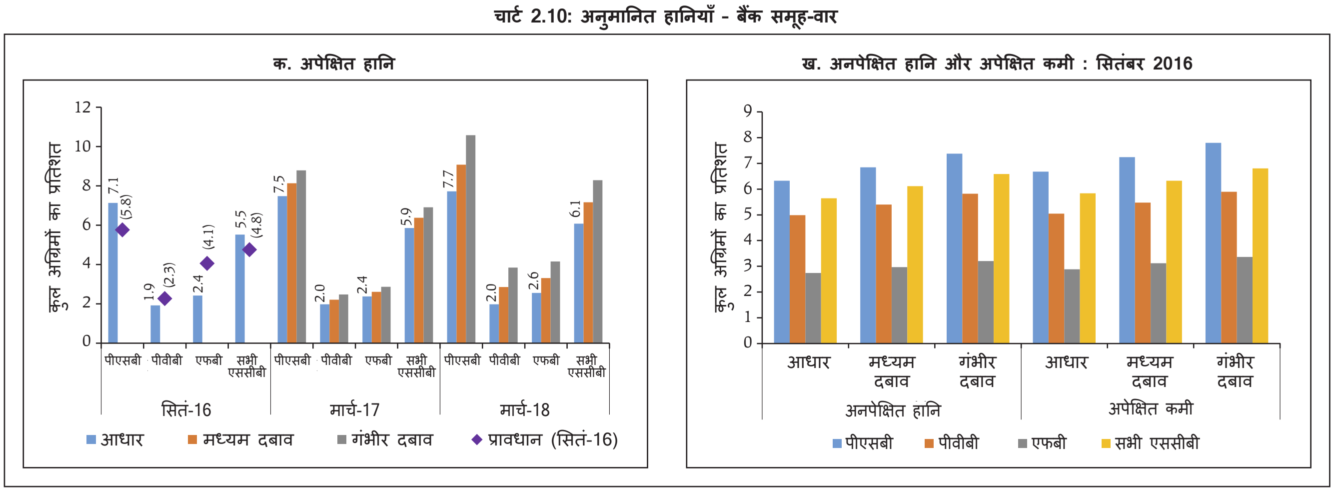

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

[11] हानियों का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पद्धति अनुबंध-2 में दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सिफ़ारिश की जाती है कि आगामी एक साल के लिए प्रावधानों और पूंजी व्यवस्था के प्रयोजन से प्रत्याशित हानियों (ईएल और यूएल) के दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाए। इस प्रयोजन के लिए वार्षिक चूक के आधार पर पीडी का आकलन किया जाता है। चूंकि इस अध्ययन का प्रयोजन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रावधानीकरण और पूंजी के स्तरों की पर्याप्तता की जांच करना है न कि आगामी एक साल के लिए बरकरार रखे जाने वाले प्रावधानों और पूंजी के अपेक्षित स्तर का आकलन, इसलिए यहाँ प्रयुक्त पीडी का आधार जीएनपीए अनुपात है।

[12] प्रावधानों में क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधानों, मानक अग्रिमों के लिए जोखिम प्रावधानों और पुन: संरचित मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया है।

[13] कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी का वर्तमान स्तर सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 14.0 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 20.1 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 34.9 प्रतिशत था।

2.11 क्रेडिट जोखिम से उत्पन्न होने वाली प्रत्याशित हानियों और अप्रत्याशित हानियों के बैंक-वार[14] आकलन से प्रकट होता है कि 33 बैंक (जिनकी 60 चुनिंदा बैंकों के कुल अग्रिमों में 74 प्रतिशत की हिस्सेदारी है) अपने विद्यमान प्रावधानों से अपनी ईएल की भरपाई करने में असमर्थ हो सकते हैं। दूसरी तरफ छह बैंकों (चुनिंदा बैंकों के कुल अग्रिमों में जिनकी 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी है) के बारे में अनुमान है कि उनकी अप्रत्याशित हानियां उनकी कुल पूंजी से अधिक हो जाएंगी (चार्ट 2.11)।

चार्ट 2.11: हानियों का अनुमान : बैंक-वार : सितंबर 2016

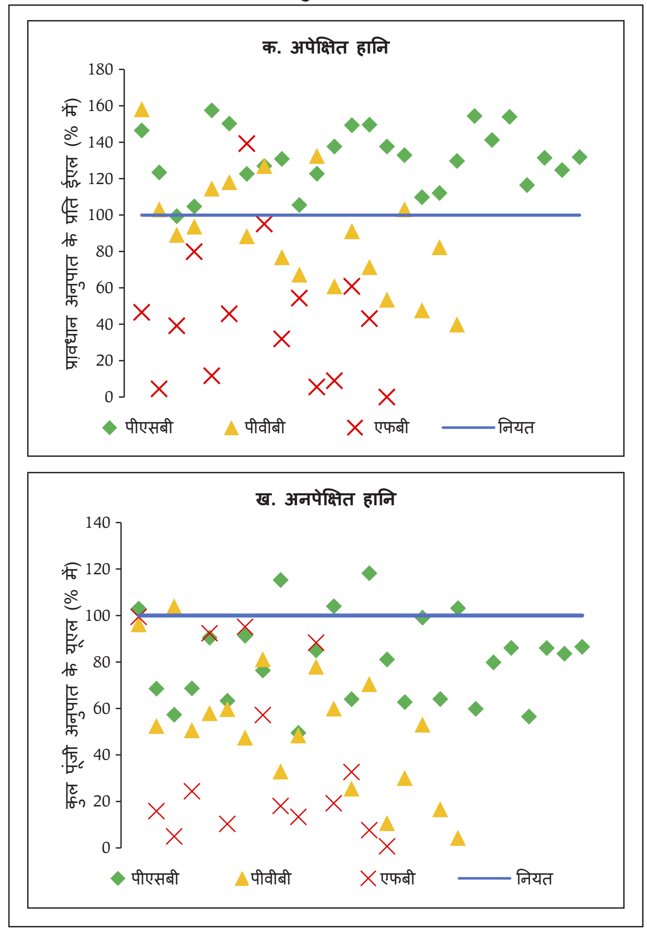

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

संवेदनशीलता विश्लेषण : बैंक स्तर[15]

2.12 एकल घटक संवेदनशीलता परीक्षण[16] (ऊपर से नीचे) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों[17] के संबंध में किया गया ताकि विभिन्न परिदृश्यों[18] के तहत उनकी कमजोरियों और आघात-सहनीयता का आकलन किया जा सके। क्रेडिट, ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों के संदर्भ में चरम लेकिन युक्तिसंगत आघातों का उपयोग करते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आघात-सहनीयता का अध्ययन किया गया। ये परिणाम सितंबर 2016 के आंकड़ों पर आधारित हैं।

क्रेडिट जोखिम

2.13 संभव है कि गंभीर क्रेडिट आघात से काफी बड़ी संख्या में बैंकों की पूंजी पर्याप्तता और लाभदेयता प्रभावित होगी। बैंकों के लिए विभिन्न सुस्थिर क्रेडिट आघातों के प्रभाव से प्रकट होता है कि प्रणाली स्तरीय सीआरएआर की मात्रा अपेक्षित न्यूनतम 9 प्रतिशत से अधिक बनी रहेगी। तीन एसडी[19] के घातक आघात (अर्थात यदि चुनिंदा 60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का औसत जीएनपीए अनुपात 9.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो जाए) होने पर प्रणाली स्तरीय सीआरएआर और टीयर-I सीआरएआर घटकर क्रमशः 10.6 प्रतिशत और 8.0 प्रतिशत हो जाएगी। अलग-अलग बैंकों के स्तर पर दबाव परीक्षणों के परिणामों से प्रकट होता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों का 40.7 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले 23 बैंक इस प्रकार के बड़े आघात के

[14] ईएल और यूएल के संबंध में 60 अनुसूचित वाणिज्यिक का बैंक-वार आकलन किया गया, जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के 99 प्रतिशत को कवर करता है।
[15] क्रेडिट जोखिम के लिए समष्टि दबाव परीक्षण के अलावा संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया। यद्यपि पहले वाले में सीधे ही आस्ति गुणवत्ता (जीएनपीए) पर आघात किया गया था, जबकि बाद में प्रतिकूल समष्टि आर्थिक स्थितियों के रूप में आघात किए गए। प्रणाली स्तर पर, प्रमुख बैंक समूह और क्षेत्रगत स्तरों पर भी समष्टि दबाव विश्लेषण किए गए जबकि समग्र प्रणाली और बैंक स्तरों पर संवेदनशीलता विश्लेषण किए गए। यद्यपि, समष्टि दबाव परीक्षणों का फोकस क्रेडिट जोखिम पर था, जबकि संवेदनशीलता विश्लेषण में क्रेडिट, ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों को शामिल किया गया।
[16] दबाव परीक्षण के विवरण हेतु अनुबंध-2 देखें।
[17] एससीबी की कुल आस्तियों के 99 प्रतिशत हिस्से की धारिता रखने वाले प्रतिदर्श 60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण दबाव परीक्षण किए गए।
[18] विभिन्न कल्पनीय परिदृश्यों में डिज़ाइन किए गए आघात एक चरम स्थिति बताते हैं लेकिन सत्यभासी हैं।
[19] सन 2003 से तिमाही आंकड़ों का प्रयोग करते हुए जीएनपीए के एसडी का अनुमान लगाया गया है। एक एसडी आघात जीएनपीए में लगभग 21 प्रतिशत बढ़ोतरी करता है।

चार्ट 2.12: क्रेडिट जोखिम - आघात और प्रभाव

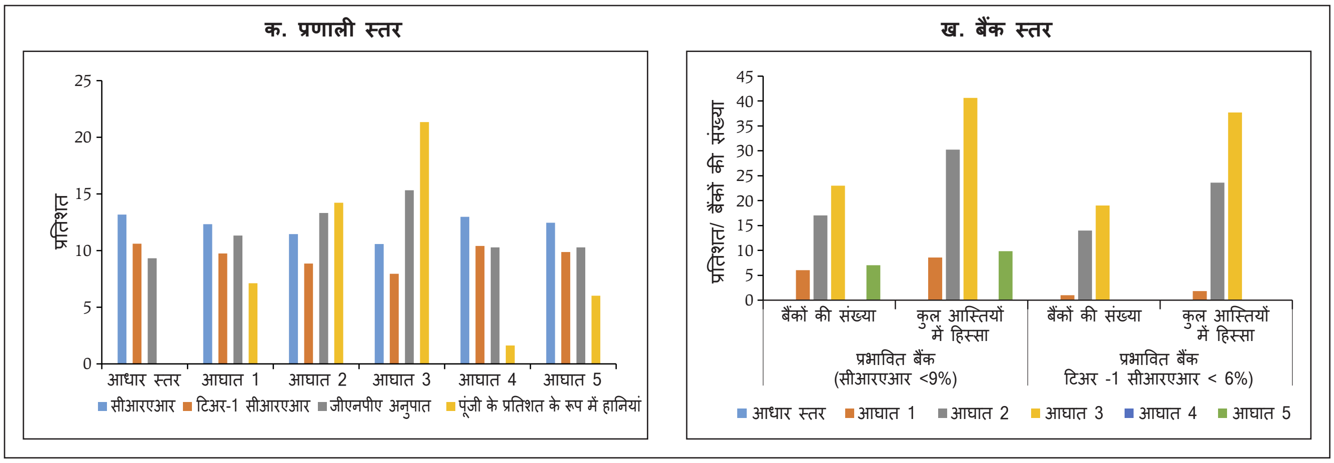

आघात 1: जीएनपीए पर 1 एसडी आघात
आघात 2: जीएनपीए पर 2 एसडी आघात
आघात 3: जीएनपीए पर 3 एसडी आघात
आघात 4: 30 प्रतिशत पुनर्निर्धारित अग्रिम जीएनपीए में बदल जाते हैं (अव-मानक वर्ग)
आघात 5: 30 प्रतिशत पुनर्निर्धारित अग्रिम जीएनपीए में बदल जाते हैं (हानि वर्ग) – बट्टे खाते
टिप्पणी: 60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रणाली
स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

तहत अपेक्षित सीआरएआर को बरकरार रखने में विफल हो सकते हैं। इसमें पाया गया कि सरकारी क्षेत्र के बैंक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे; सरकारी क्षेत्र के 20 बैंकों की सीआरएआर 9 प्रतिशत से भी नीचे जाने की संभावना है (चार्ट 2.12 और 2.13)।

क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम

2.14 दबावग्रस्त आस्तियों के अनुसार अलग-अलग शीर्षस्थ उधारकर्ताओं पर विचार करते हुए बैंकों के क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिमों के संबंध में दबाव परीक्षणों से प्रकट होता है कि आस्तियों का लगभग 13.5 प्रतिशत रखने वाले 11 बैंकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव[20] (तीन अलग-अलग परिदृश्यों में) रहा, जो कि कम-से-कम एक परिदृश्य में 9 प्रतिशत सीआरएआर बरकरार रखने में विफल हो सकते हैं। शीर्षस्थ दबावग्रस्त उधारकर्ता द्वारा चूक करने के परिदृश्य में कराधान पूर्व लाभ (पीबीटी) का 63 प्रतिशत और दो शीर्षस्थ दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के विफल होने की स्थिति में 112 प्रतिशत का प्रभाव पड़ सकता है।

चार्ट 2.13: बैंकों का सीआरएआर अनुसार वितरण
(जीएनपीए अनुपात पर 3 एसडी आघात देने पर)

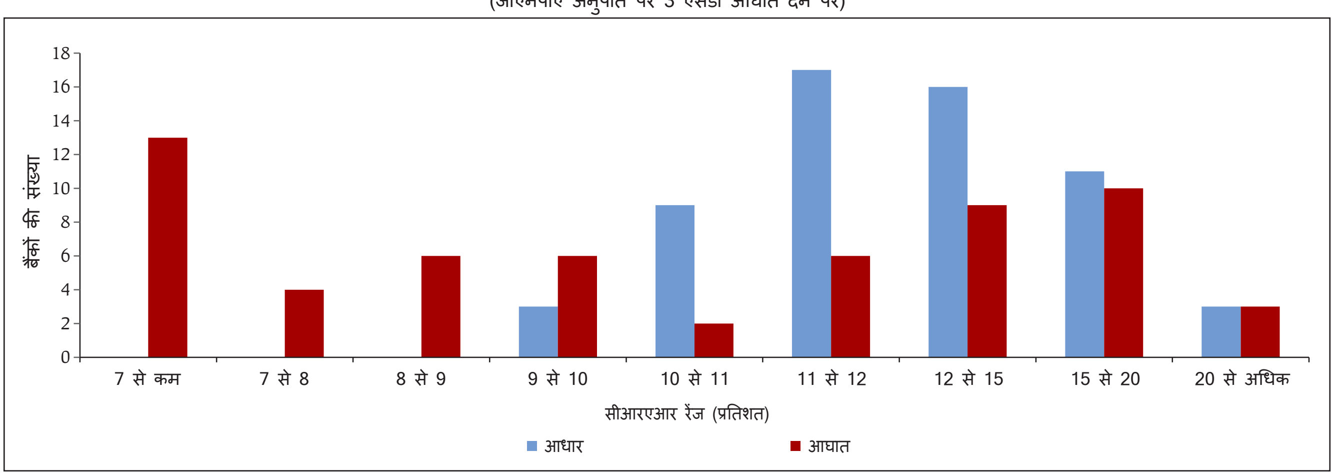

टिप्पणी : चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली।
स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

[20] विफल होने के मामले में उधारकर्ता को हानि श्रेणी में रखने पर विचार किया जाता है। विवरण के लिए अनुबंध-2 देखें।

चार्ट 2.14: क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम : वैयक्तिक उधारकर्ता – दबावग्रस्त अग्रिम

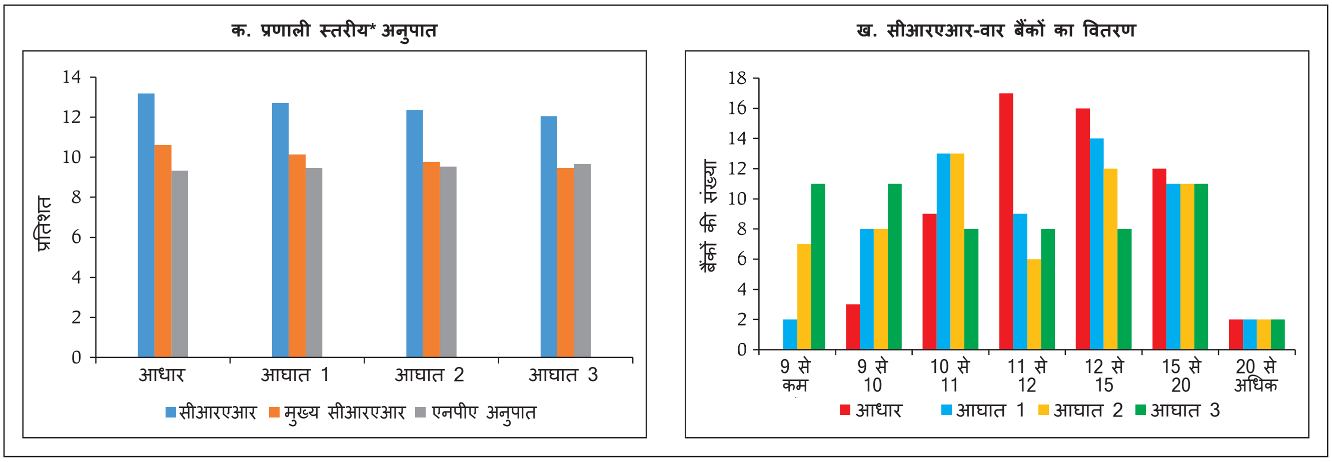

आघात 1: शीर्षस्थ वैयक्तिक दबावग्रस्त उधारकर्ता के चूक करने पर
आघात 2: शीर्षस्थ दो वैयक्तिक दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के चूक करने पर
आघात 3: शीर्षस्थ तीन वैयक्तिक दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के चूक करने पर
टिप्पणी: * चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली.
स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन.

शीर्षस्थ एक, दो और तीन दबावग्रस्त-उधारकर्ताओं की विफलता के कल्पित परिदृश्य में प्रणाली स्तर पर सीआरएआर पर पड़ने वाला प्रभाव 46, 83 और 112 आधार अंक होगा (चार्ट 2.14)।

2.15 एक्सपोजर के अनुसार शीर्षस्थ अलग-अलग उधारकर्ताओं पर विचार करते हुए बैंकों के क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिमों पर दबाव परीक्षणों से प्रकट होता है कि आस्तियों का लगभग 3.9 प्रतिशत रखने वाले तीन बैंकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव[21] (तीन अलग-अलग परिदृश्यों में) रहा, जो कि कम-से-कम एक परिदृश्य में 9 प्रतिशत सीआरएआर बरकरार रखने में विफल हो सकते हैं। एक शीर्षस्थ उधारकर्ता द्वारा चूक करने के परिदृश्य में पीबीटी का 37 प्रतिशत और शीर्षस्थ दो उधारकर्ताओं द्वारा चूक करने पर 59 प्रतिशत हानियाँ हो सकती हैं। शीर्षस्थ तीन अलग-अलग उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कल्पित परिदृश्यों में प्रणालीगत स्तर पर सीआरएआर पर पड़ने वाला प्रभाव 56 आधार अंक होगा (चार्ट 2.15)।

2.16 बैंकों के क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम के बारे में उधारकर्ताओं के समूह की जानकारी के आधार पर 10 अलग-अलग परिदृश्यों का प्रयोग करते हुए दबाव परीक्षणों से ज्ञात होता है कि शीर्षस्थ उधारकर्ता समूह और दो

चार्ट 2.15 : क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम : वैयक्तिक उधारकर्ता – एक्सपोजर

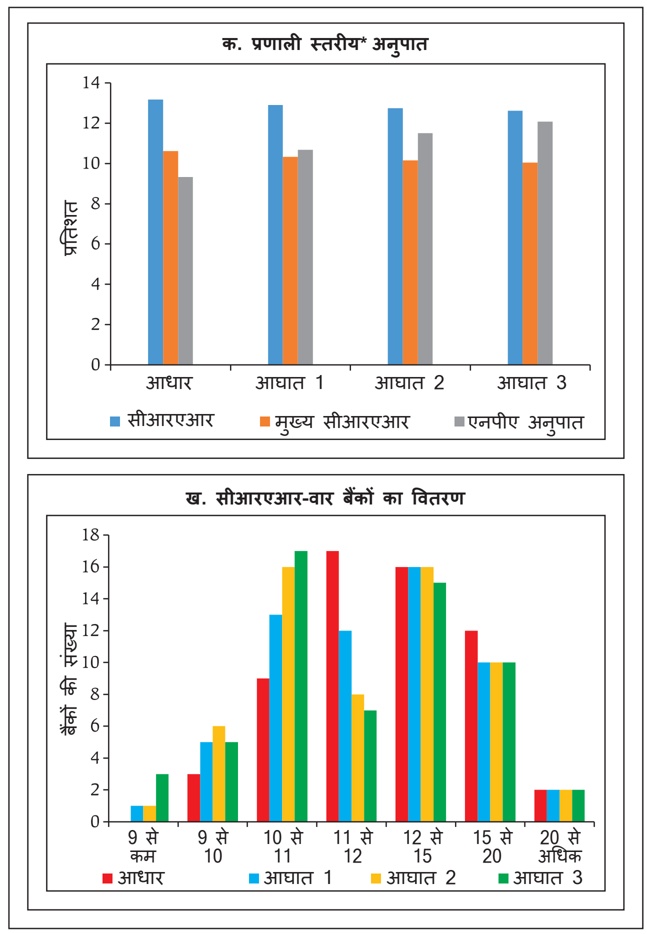

आघात 1: शीर्षस्थ वैयक्तिक उधारकर्ता के चूक करने पर
आघात 2: शीर्षस्थ दो वैयक्तिक उधारकर्ताओं के चूक करने पर
आघात 3: शीर्षस्थ तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं के चूक करने पर
टिप्पणी : * चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली।
स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

[21] विफल होने के मामले में उधारकर्ता को अव-मानक श्रेणी में रखने पर विचार किया जाता है। विवरण के लिए अनुबंध-2 देखें।

सारणी 2.1: ऋण संकेन्द्रण जोखिम: उधारकर्ता समूहवार - एक्सपोज़र

आघात		प्रणाली स्तर*				बैंक स्तर	
		सीआरएआर	कोर सीआरएआर	एनपीए अनुपात	पूंजी के % के रूप में हानि	प्रभावित बैंक (सीआरएआर < 9%)	
बेसलाइन (आघात से पहले)		13.2	10.6	9.3	---	बैंकों की संख्या	एससीबी की कुल आस्तियों में हिस्सा (% में)
आघात 1	शीर्षस्थ 1 उधारकर्ता समूह के चूक करने पर	12.6	10.0	12.4	5.1	2	0.2
आघात 2	शीर्षस्थ 2 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	12.1	9.5	14.6	8.8	5	4.9
आघात 3	शीर्षस्थ 3 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	11.7	9.1	16.5	12.0	8	9.7
आघात 4	शीर्षस्थ 4 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	11.4	8.8	18.1	14.7	10	11.0
आघात 5	शीर्षस्थ 5 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	11.1	8.5	19.6	17.2	12	16.2
आघात 6	शीर्षस्थ 6 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	10.8	8.2	20.8	19.3	15	18.4
आघात 7	शीर्षस्थ 7 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	10.6	8.0	21.9	21.0	17	22.8
आघात 8	शीर्षस्थ 8 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	10.4	7.8	22.7	22.4	20	28.2
आघात 9	शीर्षस्थ 9 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	10.3	7.7	23.4	23.6	21	28.8
आघात 10	शीर्षस्थ 10 उधारकर्ता समूहों के चूक करने पर	10.3	7.7	23.7	24.2	22	29.5

टिप्पणी : * चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली.
स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

शीर्षस्थ उधारकर्ता समूहों द्वारा चूक[22] करने के कल्पित परिदृश्यों में प्रणालीगत स्तर पर पूंजी के लगभग 5 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की हानि होगी। यदि दस उधारकर्ता समूह डिफाल्ट करते हैं तो तकरीबन 22 बैंक 9 प्रतिशत का सीआरएआर स्तर बरकरार रखने में सक्षम नहीं होंगे (सारणी 2.1)।

क्षेत्रगत क्रेडिट जोखिम

2.17 क्षेत्रगत क्रेडिट दबाव परीक्षण के माध्यम से आधारभूत संरचना क्षेत्र (विद्युत, परिवहन और दूरसंचार) को दिये गए क्रेडिट से होने वाले क्रेडिट जोखिम की जांच की गई जहां क्षेत्र के जीएनपीए अनुपात को एक निश्चित प्रतिशतता अंक तक बढ़ना परिकल्पित किया गया जिसने बैंकिंग प्रणाली के समग्र जीएनपीए अनुपात को प्रभावित किया। परिणामों से ज्ञात होता है कि आधारभूत संरचना क्षेत्र पर आघातों से बैंकों की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव पड़ेगा, इसमें किसी एकल क्षेत्र के आघात का बड़ा प्रभाव देखें तो वह विद्युत और परिवहन क्षेत्र पर पड़ने वाले आघात हैं (चार्ट 2.16)।

चार्ट 2.16: क्षेत्रगत क्रेडिट जोखिम : इंफ्रास्ट्रक्चर- आघात और प्रभाव

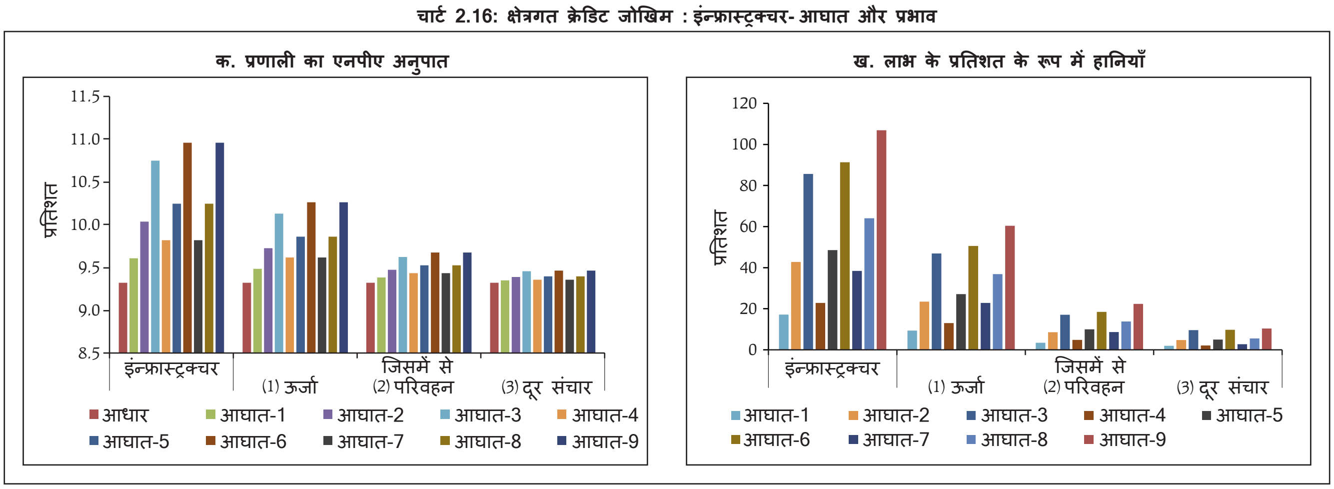

टिप्पणी: 1. चुनिंदा 60 एससीबी की प्रणाली.
2. आघात क्षेत्रगत एनपीए अनुपात में प्रतिशत वृद्धि और पुन: संरचित मानक अग्रिमों के भाग को एनपीए में बदल जाने को परिकल्पित करता है।

आघात	आघात-1	आघात-2	आघात-3	आघात-4	आघात-5	आघात-6	आघात-7	आघात-8	आघात-9
पुन: संरचित मानक अग्रिमों पर आघात &		0			15			15	
अन्य मानक अग्रिमों पर आघात #	2	5	10	2	5	10	2	5	10

& आघात 1-3: पुन: संरचित मानक अग्रिमों पर कोई आघात नहीं; आघात 4-6: अव-मानक श्रेणी के पुन: संरचित मानक अग्रिम; आघात 7-9: हानि श्रेणी के पुन: संरचित मानक अग्रिम
# मानक अग्रिमों (पुन: संरचित अग्रिमों से इतर) से बदलने वाले नए एनपीए को आघात परिदृश्य में विभिन्न आस्ति वर्गों (मौजूदा पैटर्न का अनुकरण करते हुए) में वितरित किया जाना परिकल्पित किया गया।
स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

[22] विफल होने के मामले में उधारकर्ता को अव-मानक श्रेणी में रखने पर विचार किया जाता है। विवरण के लिए अनुबंध-2 देखें।

ब्याज दर जोखिम

2.18 बिक्री के लिए उपलब्ध और कारोबार के लिए धारित श्रेणियों (प्रत्यक्ष प्रभाव) के तहत निवेशों हेतु आय-वक्र 2.5 प्रतिशत अंकों तक समानान्तर ऊपर जाता है तो यह प्रणाली स्तर पर लगभग 94 आधार अंकों तक सीआरएआर को कम करेगा (सारणी 2.2)। विभिन्न स्तर पर कुल आस्तियों का 4.7 प्रतिशत रखने वाले पाँच बैंकों इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए और उनकी सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे चली गयी। प्रणाली-स्तर पर पूंजी की कुल हानि 8.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। बैंकों के परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पोर्टफोलिओ, यदि बाजार-से-सहबद्ध हैं, से संबन्धित आय-वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों की ऊपर की तरफ समानान्तर गति वाले कल्पित आघात से सीआरएआर में लगभग 281 आधार अंकों की गिरावट आएगी, परिणामस्वरूप 23 बैंकों की सीआरएआर 9 प्रतिशत से भी नीचे चली जाएगी। आय-वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों के समानान्तर अधोगामी शिफ्ट के कल्पित आघात के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग खाताबहियों[23] पर पड़ने वाला प्रभाव उनके नवीनतम वार्षिक पीबीटी का लगभग 29 प्रतिशत हो सकता है।[24]

सारणी 2.2: ब्याज दर जोखिम – बैंक समूह - आघात और प्रभाव
(250 आधार अंकों के आघात के अंतर्गत भारतीय रुपये के प्रतिफल वक्र का समानान्तर ऊपर की ओर संचरण)

(प्रतिशत)

	पीएसबी		पीवीबी		एफबी	
	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी	एएफएस	एचएफटी
संशोधित समयावधि	3.6	5.1	2.1	4.2	1.1	2.4
कुल निवेशों में हिस्सा	32.5	0.7	34.7	5.5	86.2	13.8
सीआरएआर में गिरावट (बीपीएस)	112		48		131	

स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

चलनिधि जोखिम

2.19 चलनिधि जोखिम विश्लेषणों का उद्देश्य यह रहता है कि जमाराशियों की कमी होने और स्वीकृत/ वचनबद्ध/ गारंटीकृत क्रेडिट लाइनों के अप्रयुक्त हिस्सों हेतु बढ़ी हुई मांग से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को समझा जा सके। सामान्यत: बैंक अपनी उच्च कोटि की चल आस्तियों (एचक्यूएलए)[25] और एसएलआर निवेशों की सहायता से चलनिधि आघातों को सहन करने की स्थिति में रहते हैं। कल्पित परिदृश्यों में गैर-बीमाकृत-जमाराशियों[26] की निकासी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ क्रेडिट की मांग भी बढ़ेगी जिससे बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से की निकासी और क्रेडिट वचनबद्धताओं तथा गारंटियों का उपयोग भी बढ़ेगा। अपनी दैनिक चलनिधि जरूरतों को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए का प्रयोग करते हुए अधिकांश बैंक (नमूने में लिए गए 60 में से 49 बैंक) लगभग 10 प्रतिशत जमाराशियों की आकस्मिक निकासी और वचनबद्ध क्रेडिट सुविधाओं के 75 प्रतिशत उपभोग के कल्पित

[23] एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो को अलग रखते हुए दर-संवेदी आस्तियों और देयताओं के एक्सपोजर अंतर पर विचार करते हुए बैंकिंग बहीखातों पर आय के प्रभाव का आकलन केवल एक साल के लिए किया गया है।

[24] दबाव परीक्षणों के परिणाम उन गतिविधियों पर विचार करते हुए रूढ़िवादी अनुमान प्रस्तुत करते हैं, जो बैंकों के लिए हानि का सृजन कर सकते हैं। प्रतिफल-वक्र में 2.5 प्रतिशत अंकों की समानान्तर अधोगामी शिफ्ट के होने पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कारोबारी बहियों में होने वाली बढ़ोतरी पूंजी का 8.1 प्रतिशत अथवा कुल वार्षिक लाभ का लगभग 120 प्रतिशत होगी। वहीं दूसरी ओर प्रतिफल-वक्र में 2.1 प्रतिशत अंकों की ऊर्ध्वगामी समानान्तर शिफ्ट होने पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग बहियों में आय की बढ़ोतरी कुल वार्षिक लाभ का लगभग 29 प्रतिशत अथवा पूंजी का 1.9 प्रतिशत होगी। अत:, प्रतिफल-वक्र में समानान्तर ऊर्ध्वगामी शिफ्ट होने पर एससीबी की निवल हानि पूंजी का 6.1 प्रतिशत अथवा कुल वार्षिक लाभ का लगभग 91 प्रतिशत रहेगी, जबकि प्रतिफल-वक्र में अधोगामी शिफ्ट होने के मामले में प्रणाली को इतना ही लाभ होगा।

[25] भारत में 1 जनवरी 2015 से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) लागू किए जाने को देखते हुए दबाव परीक्षण के लिए चलनिधि आस्तियों की परिभाषा को बदला गया। इस दबाव परीक्षण संक्रिया के लिए अपेक्षित सीआरआर से अतिरिक्त नकदी, अतिरिक्त एसएलआर निवेशों, एसएलआर निवेशों और एनडीटीएल के 2 प्रतिशत का एसएलआर में निवेश (एमएसएफ़ के तहत) और एनडीटीएल के 8 प्रतिशत का एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए का आकलन किया गया (दिनांक 28 नवंबर 2014 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 52/21.04.098/2014-15 और 11 फरवरी 2016 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 77/21.04.098/2015-16 के अनुसरण में)।

[26] वर्तमान में कुल जमाराशियों का लगभग 69 प्रतिशत गैर-बीमाकृत जमाराशियों के रूप में है (स्रोत : निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय पुस्तिका)।

चार्ट 2.17: चलनिधि जोखिम – एचक्यूएलए का उपयोग करते हुए आघात और प्रभाव
(चलनिधि समर्थन के लिए एचक्यूएलए का उपयोग करते हुए)

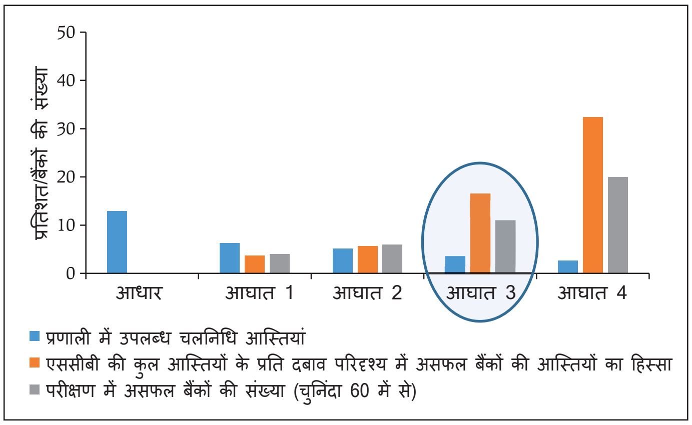

टिप्पणी : 1. इस परीक्षण में किसी बैंक को विफल माना जाता है, यदि यह अपनी चलनिधि आस्तियों (चलनिधि आस्तियों का स्टॉक दबाव की स्थिति में ऋणात्मक हो जाता है) की सहायता से दबाव परिदृश्यों में (आघात करने पर) अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हो।
2. आघात : चलनिधि आघातों में वचनबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की 75 प्रतिशत मांग (इसमें स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं का अप्रयुक्त हिस्सा और ग्राहकों के प्रति क्रेडिट वचनबद्धताएँ शामिल हैं) और गैर-बीमाकृत जमाराशियों के एक हिस्से की निकासी शामिल की गयी है।

आघात 1: 5 प्रतिशत संचयी (गैरबीमाकृत) जमाराशि निकासी
आघात 2: 7 प्रतिशत संचयी (गैरबीमाकृत) जमाराशि निकासी
आघात 3: 10 प्रतिशत संचयी (गैरबीमाकृत) जमाराशि निकासी
आघात 4: 12 प्रतिशत संचयी (गैरबीमाकृत) जमाराशि निकासी

स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

परिदृश्य के प्रति आघात-सहनीय बने रहेंगे (चार्ट 2.17)। अत्यधिक विकट संकट की स्थिति में 'आघातों के क्रमिक रूप से बढ़ते रहने पर' भी बैंक अपने पास बचे हुए एसएलआर निवेशों का उपयोग करते हुए जमाराशियों की अतिरिक्त निकासी (लगभग 15 प्रतिशत) का सामना कर सकते हैं जिसके लिए वे आवश्यकतानुसार विशिष्ट नीतिगत उपाय कर सकते हैं (चार्ट 2.18)।

बैंकों के डेरीवेटिव्ज पोर्टफोलिओ का दबाव परीक्षण- नीचे से ऊपर की जाता (बॉटम-अप) दबाव- परीक्षण

2.20 सितंबर 2016 के अंत को संदर्भ तारीख मानते हुए प्रतिदर्श चुनिंदा बैंकों[27] हेतु डेरीवेटिव्ज पोर्टफोलिओ के संबंध में बॉटम-अप दबाव परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषण) की श्रृंखलाएं प्रतिपादित की गई। नमूने में शामिल बैंकों ने ब्याज और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के संबंध में चार अलग-अलग आघातों के परिणाम रिपोर्ट किए। ब्याज दरों से संबंधित आघातों 100 से 250 आधार अंकों के बीच थे जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय दर के लिए 20 प्रतिशत उतार/चढ़ाव के आघात दिए गए। दबाव परीक्षण पृथक आधार पर एकल आघातों के लिए किए गए।

2.21 नमूने में बैंकों के बाजार मूल्य पर धारित डेरीवेटिव्ज पोर्टफोलिओ की कीमत पीएसबी और पीवीबी के लिए, केवल एक मामले को छोड़कर, भिन्न-भिन्न रही जिसमें छोटे रूप में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एमटीएम दर्ज किए गए जबकि अधिकतर विदेशी बैंकों के संदर्भ में बड़े आकार के सकारात्मक और नकारात्मक एमटीएम दर्ज किए गए। अधिकतर पीएसबी और पीवीबी

चार्ट 2.18: चलनिधि जोखिम – आघात और प्रभाव
(चलनिधि सहायता के लिए अधिशेष सीआरआर के साथ पूर्ण एसएलआर का उपयोग करते हुए)

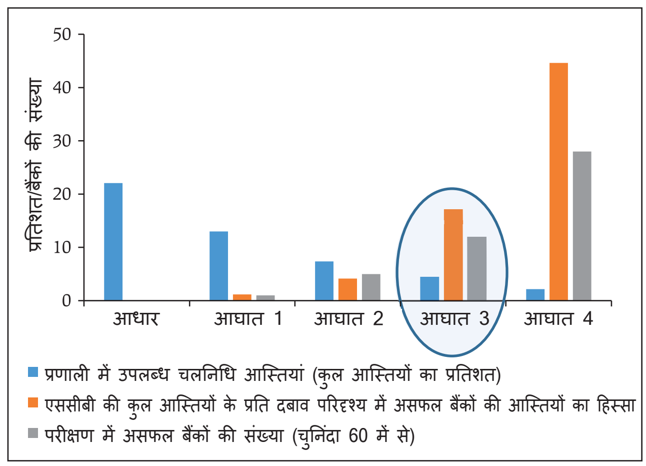

टिप्पणी : 1. इस परीक्षण में बैंक को विफल माना जाता है, यदि यह अपनी चलनिधि आस्तियों (चलनिधि आस्तियों का स्टॉक दबाव की स्थिति में ऋणात्मक हो जाता है) की सहायता से दबाव परिदृश्यों में (आघात करने पर) अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हो।
2. आघात : चलनिधि आघातों में वचनबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की 75 प्रतिशत मांग (इसमें स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमाओं का अप्रयुक्त हिस्सा और ग्राहकों के प्रति क्रेडिट वचनबद्धताएँ शामिल हैं) और गैर-बीमाकृत जमाराशियों के एक हिस्से की निकासी शामिल की गयी है।
आघात 1: 5 प्रतिशत संचयी (गैरबीमाकृत) जमाराशि निकासी
आघात 2: 7 प्रतिशत संचयी (गैरबीमाकृत) जमाराशि निकासी
आघात 3: 10 प्रतिशत संचयी (गैरबीमाकृत) जमाराशि निकासी
आघात 4: 12 प्रतिशत संचयी (गैरबीमाकृत) जमाराशि निकासी

स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

[27] डेरीवेटिव पोर्टफोलिओ के संबंध में नमूने के 22 बैंकों हेतु दबाव परीक्षण किया गया। विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

का सकारात्मक निवल एमटीएम था जबकि अधिकतर विदेशी बैंकों ने निवल नकारात्मक एमटीएम दर्ज किया (चार्ट 2.19)।

2.22 दबाव परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने हेतु चुने गए बैंकों पर ब्याज दर आघातों का नगण्य औसत निवल प्रभाव रहा। विदेशी मुद्रा विनिमय आघातों के परिदृश्य में भी यह दर्शाता है कि हाल की तिमाहियों में इनका प्रभाव कमतर रहा (चार्ट 2.20)।

चार्ट 2.19: कुल डेरीवेटिव्ज में एमटीएम- सितंबर 2016
(कुल तुलन पत्र आस्तियों का प्रतिशत)

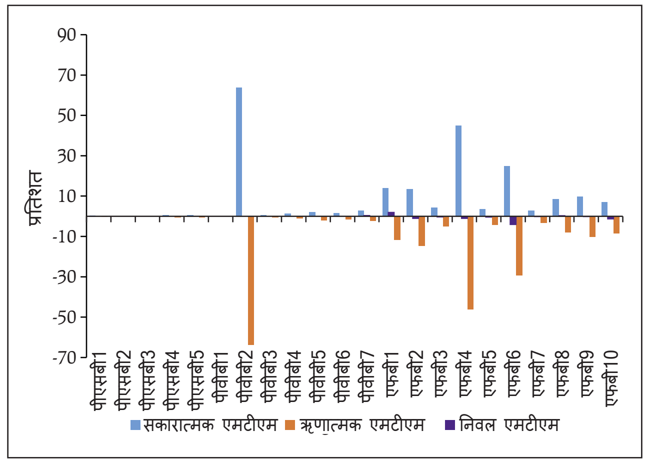

टिप्पणी: पीएसबी: सरकारी क्षेत्र के बैंक, पीवीबी: निजी क्षेत्र के बैंक, एफबी: विदेशी बैंक।
स्रोत: नमूना बैंक (डेरीवेटिव्ज पोर्टफोलिओ के संबंध में बॉटम-अप दबाव परीक्षण)।

चार्ट 2.20: दबाव-परीक्षण- चुनिंदा बैंकों के डेरीवेटिव्ज पोर्टफोलिओ के संबंध में आघातों का प्रभाव (आघात प्रदान करने की स्थिति में निवल एमटीएम में परिवर्तन)
(पूंजी निधियों का प्रतिशत)

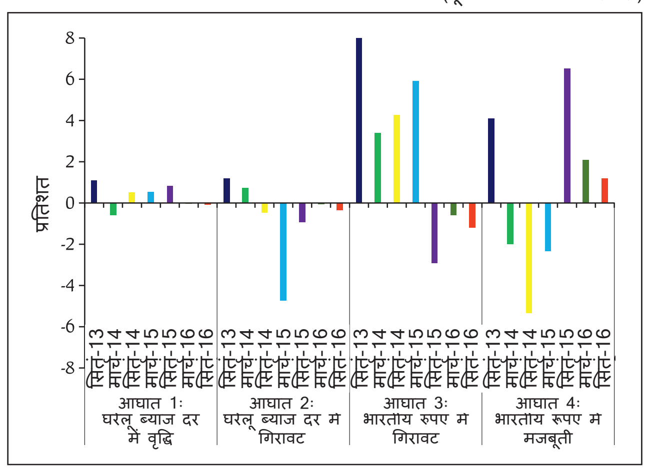

टिप्पणी: आधार के संदर्भ में दिए गए आघात के कारण निवल एमटीएम में परिवर्तन
स्रोत: नमूना बैंक (डेरीवेटिव्ज पोर्टफोलिओ के संबंध में बॉटम-अप दबाव परीक्षण)

खंड - II

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

कार्य निष्पादन

2.23 प्रणालीगत स्तर[28] पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की सीआरएआर में मार्च और सितंबर 2016 के बीच 12.8 प्रतिशत से 13.0 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई। हालांकि असमेकित स्तर पर पाँच बैंक 9 प्रतिशत सीआरएआर की न्यूनतम अपेक्षा पूरी करने में विफल हो गए। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के सकल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में जीएनपीए में 6.6 प्रतिशत से 8.6 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी हुई और प्रावधान कवरेज अनुपात[29] 46.7 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गए। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान आरओए 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 0.9 प्रतिशत हो गई और चलनिधि अनुपात[30] 34.8 प्रतिशत से मामूली सा गिरकर 34.7 प्रतिशत हो गया।

समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण

क्रेडिट जोखिम

2.24 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की सीआरएआर पर क्रेडिट जोखिम आघातों के प्रभावों का अध्ययन चार अलग-अलग परिदृश्यों[31] में किया गया। परिणामों से ज्ञात होता है कि जीएनपीए (तृतीय परिदृश्य) में केवल एक एसडी बढ़ोतरी के प्रतिकूल परिदृश्य में ही एसयूसी बैंकों

[28] 54 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की प्रणाली।

[29] प्रावधान कवरेज अनुपात = एनपीए हेतु धारित प्रावधान *100/जीएनपीए।

[30] चलनिधि अनुपात = (नकदी + बैंकों से प्राप्य + एसएलआर निवेश)*100 / कुल आस्तियां।

[31] चारों परिदृश्य इस प्रकार हैं: i) जीएनपीए में 1 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत), ii) जीएनपीए में 2 एसडी आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत), iii) जीएनपीए में 1 एसडी आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत), और iv) जीएनपीए में 2 एसडी आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत)। एसडी का अनुमान 10 साल के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए लगाया गया। दबाव परीक्षणों के विवरण हेतु अनुबंध-2 देखिए।

की प्रणालीगत सीआरएआर गिरकर न्यूनतम अपेक्षित विनियामक स्तर से भी नीचे चली गई। पृथक स्तर पर बड़ी संख्या में बैंक (परिदृश्य iii में 54 बैंकों में से 28 बैंक और परिदृश्य iv में 40 बैंक) अपेक्षित सीआरएआर स्तरों को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सके।

चलनिधि जोखिम

2.25 दो अलग-अलग परिदृश्यों का प्रयोग करते हुए चलनिधि जोखिम पर दबाव परीक्षण किया गया : एक से लेकर 28 दिवसीय समयावधि (टाइम बकेट) में नकदी प्रवाह i) 50 प्रतिशत और ii) 100 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए। यह भी कल्पना की गयी कि दोनों ही परिदृश्यों में नकदी अंतर्वाहों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दबाव परीक्षण परिणामों से प्रकट होता है कि किसी दबाव परिदृश्य में (परिदृश्य-I में 54 बैंकों में से 26 बैंक और परिदृश्य-II में 35 बैंक) एसयूसीबी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होंगे।

खंड - III

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

2.26 सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार 11,555 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत थीं, जिनमें से 188 जमाराशि स्वीकार करने वाली (एनबीएफसी-डी) और 11,367 जमाराशि न स्वीकार करने वाली कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी) थीं। इसी प्रकार 220 कंपनियाँ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न स्वीकार करने वाली कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआई)[32] थीं। सभी एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई को विवेकपूर्ण विनियमों यथा- पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं और प्रावधानीकरण मानदंडों और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को पूरा करना होता है।

कार्य निष्पादन

2.27 साल-दर-साल आधार पर देखें तो सितंबर 2016 में एनबीएफसी क्षेत्र के सकल तुलन पत्र का विस्तार 8.5 प्रतिशत हुआ जबकि मार्च 2016 में यह 15.5 प्रतिशत था। ऋणों और अग्रिमों में 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि सितंबर 2016 में कुल उधारियां 7.4 प्रतिशत बढ़ीं (सारणी 2.3)। मार्च और सितंबर 2016 के बीच कुल आय की प्रतिशतता के तौर पर निवल लाभ में बढ़ोतरी हुई, जबकि 2.2 प्रतिशत पर आरओए में कोई बदलाव नहीं हुआ (सारणी 2.4)।

सारणी-2.3: एनबीएफसी क्षेत्र का समेकित तुलन पत्र : साल-दर-साल संवृद्धि

(प्रतिशत)

	मार्च-16	सितं-16
1. शेयर पूंजी	4.8	9.9
2. आरक्षित निधि और अतिशेष	14.3	9.1
3. लिए गए कुल उधार	15.3	7.4
4. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	31.8	13.8
कुल देयताएं / आस्तियां	**15.5**	**8.5**
1. ऋण और अग्रिम	16.6	10.5
2. निवेश	10.8	0.6
3. अन्य आस्तियां	12.7	4.8
आय / व्यय		
1. कुल आय	15.8	6.4
2. कुल व्यय	15.8	1.5
3. निवल लाभ	15.6	20.8

स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 2.4: एनबीएफसी क्षेत्र के चुनिंदा अनुपात

(प्रतिशत)

	मार्च-16	सितं-16
1. कुल आस्तियों का पूंजी बाज़ार एक्सपोजर (सीएमई)	8.5	8.1
2. लीवरेज अनुपात	3.9	3.6
3. कुल आय पर निवल लाभ	18.3	18.6
4. आरओए (वार्षिकीकृत)	2.2	2.2
5. आरओई (वार्षिकीकृत)	10.6	10.5

स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

[32] एनबीएफसी-एनडी-एसआई वे एनबीएफसी-एनडी हैं जिनके पास रु.5 बिलियन और इससे अधिक की आस्तियां हैं।

आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

2.28 कुल अग्रिमों की प्रतिशतता के तौर पर एनबीएफसी क्षेत्र का जीएनपीए मार्च और सितंबर 2016 के बीच 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान कुल अग्रिमों की प्रतिशतता के तौर पर एनएनपीए 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.21)।

2.29 विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी[33] से अपेक्षित है कि टीयर-I[34] और टीयर-II पूंजी मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी बरकरार रखें जो उनकी सकल जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम नहीं हो। मार्च और सितंबर 2016 के बीच एनबीएफसी की सीआरएआर 24.3 प्रतिशत से घटकर 23.1 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट 2.21)।

चार्ट 2.21: एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

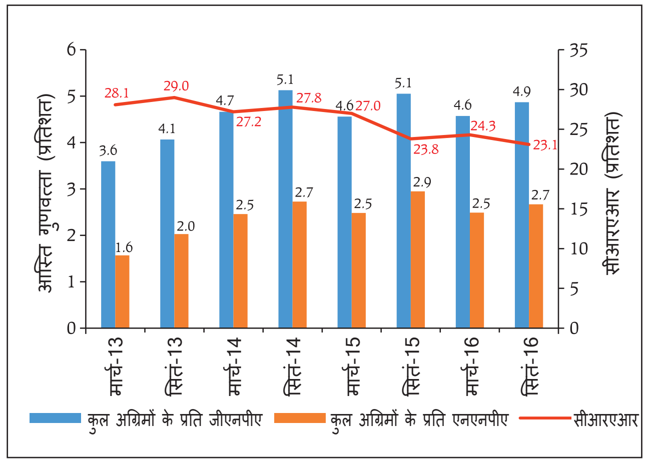

स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

समुत्थानशक्ति - दबाव परीक्षण

प्रणालीगत स्तर

2.30 सितंबर 2016 को समाप्त छमाही के लिए एनबीएफसी क्षेत्र के लिए क्रेडिट जोखिम पर दबाव परीक्षण तीन परिदृश्यों में किया गया : (i) जीएनपीए में 0.5 एसडी की बढ़ोतरी द्वारा, (ii) जीएनपीए में 1 एसडी की बढ़ोतरी द्वारा और (iii) जीएनपीए में 3 एसडी की बढ़ोतरी द्वारा। इन परिणामों से ज्ञात होता है कि प्रथम परिदृश्य में इस क्षेत्र की सीआरएआर 23.1 प्रतिशत से कम होकर 21.0 प्रतिशत पर आ गई और द्वितीय परिदृश्य में यह घटकर 15.3 प्रतिशत पर आ गई परंतु यह 15 प्रतिशत के न्यूनतम अपेक्षित विनियामक स्तर से ऊपर ही बनी रही।

अलग-अलग गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

2.31 इसी अवधि के लिए इन्हीं तीन परिदृश्यों के तहत अलग-अलग एनबीएफसी के लिए क्रेडिट जोखिम के संदर्भ में दबाव परीक्षण किया गया। परिणामों से ज्ञात होता है कि परिदृश्य (i) और (ii) में लगभग 5 प्रतिशत कंपनियां 15 प्रतिशत न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं होंगी। तीसरे परिदृश्य में 9 प्रतिशत कंपनियां सीआरएआर संबंधी न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में समर्थ नहीं होंगी।

खंड - IV

परस्पर संबद्धता[35]

अंतर-बैंक बाज़ार की प्रवृत्तियाँ

2.32 अंतर-बैंक बाजार का आकार सितंबर 2016 में लगभग 2 प्रतिशत (साल-दर-साल) कम हुआ है। सितंबर 2016 में अंतर-बैंक एक्सपोज़र[36] बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का लगभग 6 प्रतिशत था। निधि-आधारित खंड

[33] जमा राशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी का आस्ति आकार रु.5 बिलियन से अधिक है।

[34] नवंबर 10, 2014 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी-एनडी-एसआई (रु.5 बिलियन और अधिक के आस्ति आकार वाली) और जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी के लिए न्यूनतम टीयर-I पूंजी धारिता को संशोधित कर इसे 10 प्रतिशत तक कर दिया गया है (पूर्व में टीयर-I पूंजी 7.5 से कम नहीं हो सकती थी) और इन संस्थानों को यह अनुपालन चरणबद्ध रूप से पूरा करना होगा- मार्च 2016 के अंत तक 8.5 प्रतिशत और मार्च 2017 के अंत तक 10 प्रतिशत)।

[35] इस विश्लेषण में प्रयोग किया गया नेटवर्क मॉडल वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से प्रोफेसर शेरी मारकोस (एसेक्स विश्वविद्यालय) और डॉ. सिमोन गियानसंते (बाथ विश्वविद्यालय) द्वारा विकसित किया गया है।

[36] कॉल, नोटिस और अन्य अल्पावधि बाज़ारों में आपस में लेनदेन करने के अलावा बैंक एक-दूसरे के दीर्घावधि लिखतों में भी निवेश करते हैं और डेरिवेटिव और अन्य गैर-निधि आधारित एक्सपोजर में अपनी स्थिति सुदृढ़ करते हैं। वर्तमान विश्लेषण में दर्शाया गया अंतर-बैंक बाज़ार बैंकों के मध्य सभी बकाया एक्सपोजर- अल्पावधि, दीर्घावधि, निधि और गैर-निधि आधारित, का हिस्सा है।

की हिस्सेदारी सितंबर 2016 में लगभग 81 प्रतिशत रही जो कि सितंबर 2015 में 83 प्रतिशत थी (चार्ट 2.22)।

2.33 अंतर-बैंक बाजार में पीएसबी सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में रहे हैं और इनके बाद पीवीबी रहे हैं। तथापि, मार्च 2015 से पीएसबी का हिस्सा कम होता जा रहा है जबकि निजी और विदेशी बैंक अपना एक्सपोज़र बढ़ा रहे हैं (चार्ट 2.23)।

2.34 बैंकों के बीच दीर्घावधि द्विपक्षीय एक्सपोज़र[37] (निधि आधारित) की मात्रा और हिस्सा पिछले वर्षों में लगातार बढ़ते रहे हैं। दीर्घावधि एक्सपोज़र मार्च 2013 के ₹2.6 ट्रिलियन से बढ़कर सितंबर 2016 में ₹3.5 ट्रिलियन हो गए। अंतर-बैंक बाजार में (निधि-आधारित) मार्च 2013 में 53 प्रतिशत के हिस्से से शुरू होकर अल्पावधि[38] एक्सपोजर सितंबर 2016 में कम होकर 40 प्रतिशत हो गया है(चार्ट 2.24)।

2.35 अल्पावधि बाज़ार में कॉल और जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है और यह सितंबर 2016 में लगभग 39 प्रतिशत थी। दीर्घावधि बाज़ार में पूंजी लिखतों और उधार लिखतों एवं जमाराशियों

चार्ट 2.22: अंतर-बैंक बाज़ार का आकार (टर्नओवर)

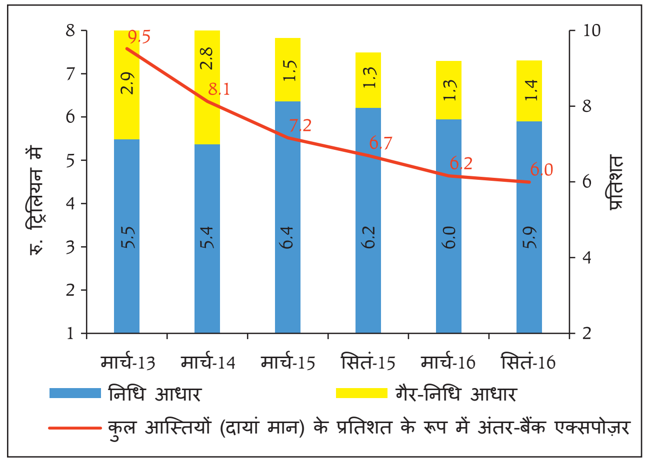

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

चार्ट 2.23: अंतर-बैंक बाजार में विभिन्न बैंक-समूहों का हिस्सा

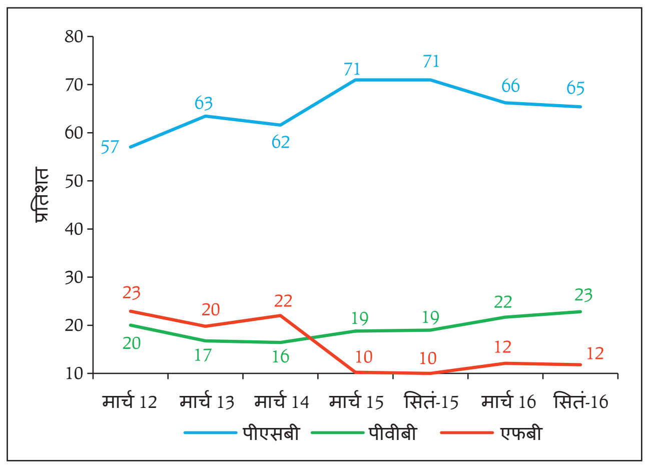

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.24: निधि आधारित अंतर-बैंक बाजार में दीर्घावधि और अल्पावधि एक्सपोजर

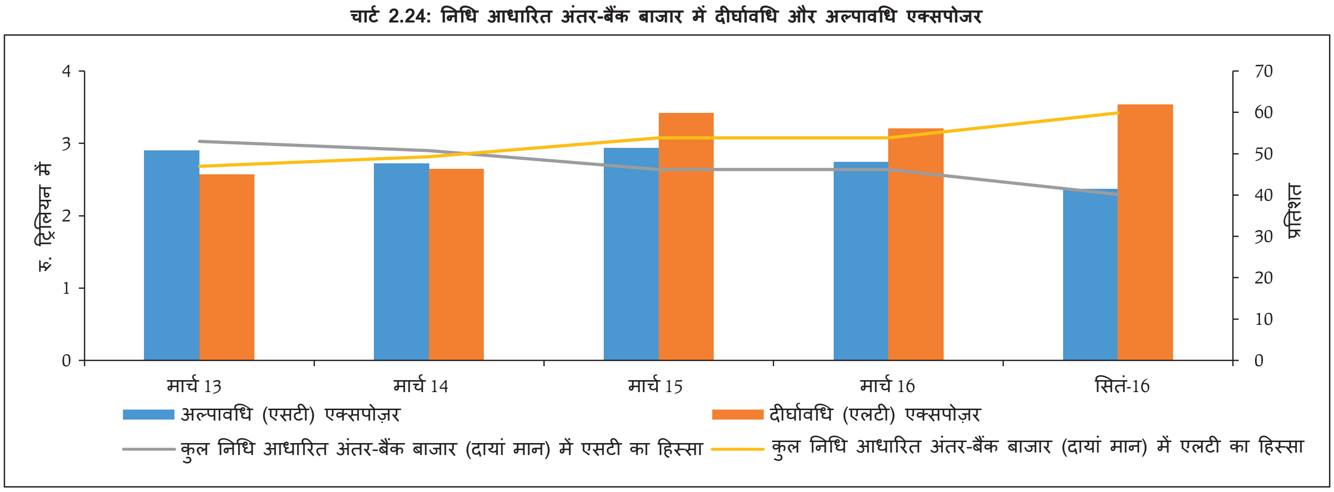

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

[37] दीर्घावधि एक्सपोजर (निधि आधारित) का आशय उनसे है जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक है।

[38] अल्पावधि एक्सपोजर का आशय उनसे है जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम है।

चार्ट 2.25: अल्पावधि निधि आधारित अंतर-बैंक बाजार की रचना

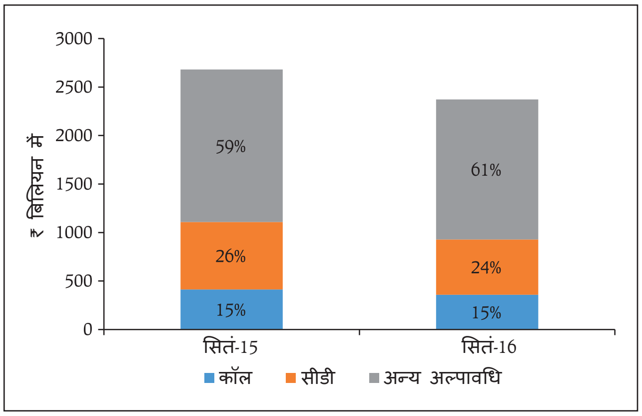

टिप्पणी : अन्य अल्पावधि में अल्पावधि जमाराशियाँ, अल्पावधि उधारी आदि शामिल हैं।
स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

चार्ट 2.26: दीर्घावधि निधि आधारित अंतर-बैंक बाजार की रचना

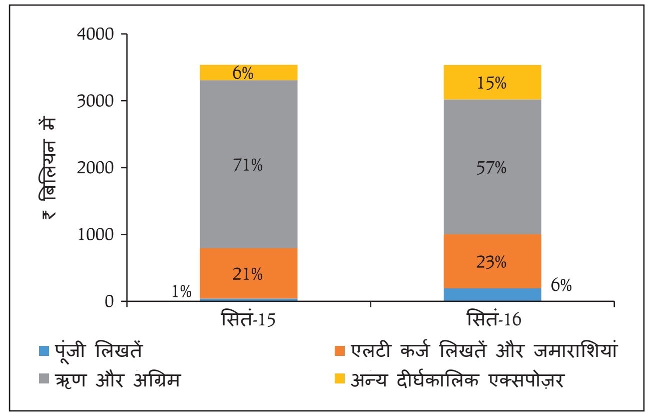

टिप्पणी : अन्य दीर्घावधि में प्राथमिक रूप से फंड किए गए व्यापार वित्त उत्पाद शामिल हैं।
स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

की हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि ऋणों और अग्रिमों की हिस्सेदारी कम हुई है (चार्ट 2.25 और 2.26)।

नेटवर्क संरचना और संयोजकता

2.36 बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना[39] वर्षों से लगातार परतदार रही है और एक ही प्रकार के बैंकों का वर्चस्व रहा है। मार्च 2012 में इस प्रकार के नौ बैंक थे जिनकी संख्या सितंबर 2016 में घटकर छह रह गई। वर्चस्वशील बैंक नेटवर्क प्लॉट के सबसे भीतरी वृत्त में दर्शाए गए हैं (चार्ट 2.27)।

चार्ट 2.27: भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना – सितंबर 2016

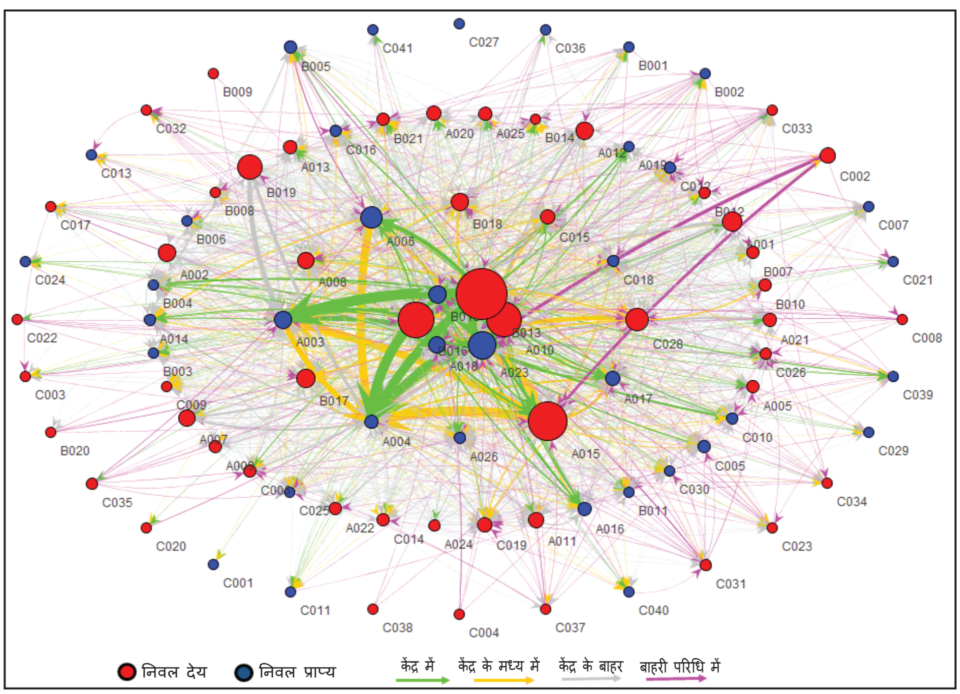

स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

[39] बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क का आरेखीय निरूपण परतदार (टीयर्ड) संरचना है जहां विभिन्न बैंकों नेटवर्क में अन्य बैंकों के साथ अलग-अलग मात्रा और स्तर की संयोजकता से जुड़े हैं। प्रस्तुत विश्लेषण में सर्वाधिक संयोजित बैंक सबसे भीतरी कोर (नेटवर्क आरेख के केन्द्र) में हैं। इसके बाद सापेक्षित संयोजकता के आधार पर बैंकों को मध्य कोर, बाहरी कोर और परिधि (आरेख के केन्द्र के चारों ओर संबंधित संकेंद्रित वृत्त) में रखा गया है। टीयर्ड नेटवर्क आरेख में लिंक की रंग कोडिंग नेटवर्क में विभिन्न परतों से उधारी को निरूपित करती है (उदाहरण के लिए, हरे लिंक भीतरी कोर के बैंकों से लिए गए उधारों को दर्शाते हैं)। प्रत्येक गेंद एक बैंक को निरूपित करती है और प्रणाली में अन्य बैंकों की तुलना में उनकी निवल स्थिति को तदनुसार भारित किया गया है। प्रत्येक बैंक को लिंक करने वाली रेखाएँ बकाया एक्सपोजर के आधार पर भारित की गयी हैं।

2.37 बैंकिंग प्रणाली में परस्पर-संबद्धता की मात्रा का मापन संयोजकता अनुपात[40] द्वारा किया जा सकता है जिसने यह दर्शाते हुए गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है कि समय के साथ-साथ बैंकों के बीच श्रृंखलाएं/आपसी संबंध घट गए हैं। क्लस्टर गुणांक[41], जो स्थानीय परस्पर-संबद्धता दर्शाता है, मार्च 2012 और सितंबर 2016 की अवधि के दौरान स्थिर बना रहा है जो यह प्रदर्शित करता है कि है कि बैंकिंग प्रणाली नेटवर्क के भीतर क्लस्टरिंग/समूहन में समय के साथ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है (चार्ट 2.28)।

चार्ट 2.28: बैंकिंग प्रणाली के संयोजकता संबंधी आंकड़े

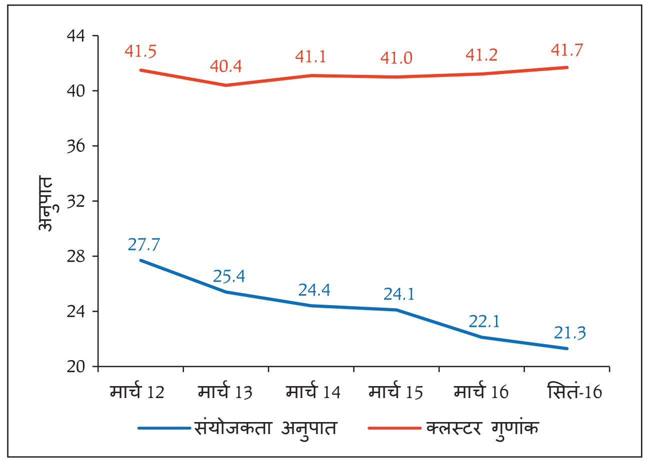

स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क[42]

2.38 बड़ी वित्तीय प्रणाली के दृष्टिकोण से, एससीबी प्रभावशाली संस्थाएं हैं जिनके पास कुल द्विपक्षीय एक्सपोजर का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा है, इनके बाद 13 प्रतिशत हिस्से के साथ एनबीएफसी हैं, म्यूचुअल फंड का प्रबंध देखने वाली आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी-एमएफ) का हिस्सा 11 प्रतिशत और बीमा कंपनियों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) दोनों में प्रत्येक का हिस्सा 9 प्रतिशत है। यूसीबी और पेन्शन फंड एक साथ वित्तीय प्रणाली में कुल द्विपक्षीय एक्सपोजर का लगभग 1 प्रतिशत हैं।

2.39 निवल आधार पर, एएमसी-एमएफ और इनके बाद बीमा कंपनियाँ प्रणाली में सर्वाधिक निधि प्रदाता हैं, जबकि एनबीएफसी और इनके बाद एससीबी सर्वाधिक निधि प्राप्तकर्ता हैं। हालांकि एससीबी में से पीवीबी और एफबी दोनों की स्थिति सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र की तुलना में निवल देय है, जबकि पीएसबी की स्थिति निवल प्राप्य है (चार्ट 2.29)।

चार्ट 2.29: वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट

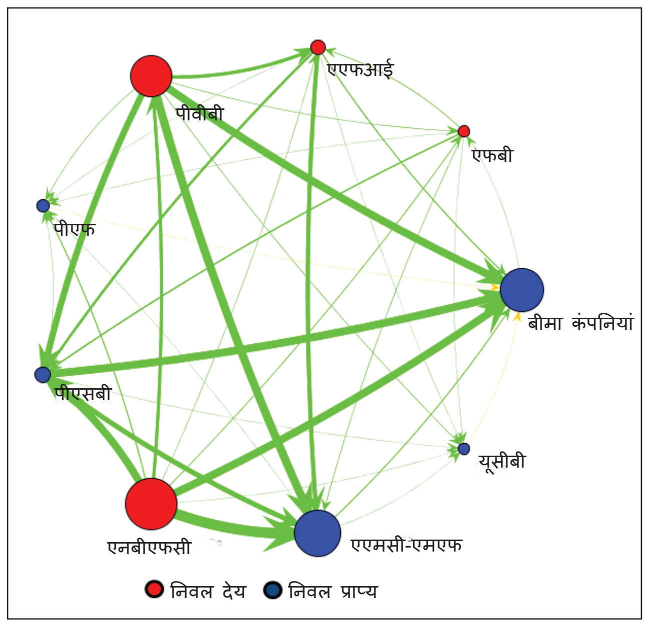

टिप्पणी : यह विश्लेषण विनियमित वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा नमूने के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) तक सीमित है।
स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

2.40 निवल उधारदाताओं (अर्थात जिनके पास शेष वित्तीय प्रणाली की तुलना में निवल प्राप्य की स्थिति है) में से एएमसी-एमएफ का निवल एक्सपोजर मार्च और सितंबर 2016 के बीच कम हुआ है जबकि बीमा कंपनियों,

[40] *संयोजकता अनुपात :* यह उन आंकड़ों से संबन्धित है जो पूर्ण ग्राफ में सभी संभावित लिंकों के सापेक्ष नोडों के बीच लिंकों के विस्तार का मापन करता है।

[41] *क्लस्टर गुणांक :* नेटवर्क में प्रत्येक नोड किस तरह से अंतर-सम्बद्ध है, इसका मापन क्लस्टरिंग द्वारा किया जाता है। विशिष्ट रूप से बढ़ी हुई संभावना इस बात की होनी चाहिए कि किसी नोड के पड़ोसियों (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंकों के प्रतिपक्षी) को आपस में भी पड़ोसी होना चाहिए। प्रणाली में उच्च स्थानीय अंतर-संबद्धता मौजूद होने पर नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टर गुणांक भी वैसा ही होता है।

[42] वर्तमान विश्लेषण में दर्शाई गई वित्तीय प्रणाली का आशय विनियमित वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा नमूनों से है। यह विश्लेषण नमूने में शामिल संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोज़र (निधि और गैर-निधि आधारित दोनो) तक सीमित है। इस नमूने में 86 एससीबी, 22 एएमसी-एमएफ (जो म्यूचुअल फंड क्षेत्र की 90 प्रतिशत से ज्यादा एयूएम को कवर करती हैं), 21 बीमा कंपनियाँ (जीवन बीमा तथा गैर-जीवन बीमा जिनमें बीमा कंपनियों की 90 प्रतिशत आस्तियां शामिल हैं), 34 एनबीएफसी (जमाराशि लेने वाली और जमाराशि नहीं लेने वाली दोनों प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियाँ), 20 अनुसूचित यूसीबी (जिनमें अनुसूचित यूसीबी की आस्तियों का 80 प्रतिशत शामिल है), 4 अखिल भारतीय एफआई (अर्थात नाबार्ड, एक्ज़िम बैंक, एनएचबी, सिडबी) और एनपीएस के तहत पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त 7 पेंशन निधियां शामिल हैं। पेंशन निधियों के मामले में दिए गए आंकड़े पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित योजनाओं और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित योजनाओं से संबंधित हैं।

पेंशन निधियों, यूसीबी और पीएसबी का निवल एक्सपोजर बढ़ा है। निवल उधारकर्ताओं (अर्थात जिनके पास शेष वित्तीय प्रणाली की तुलना में निवल देय की स्थिति है) में से एआईएफआई का निवल एक्सपोजर कम हुआ है जबकि एनबीएफसी और पीवीबी का निवल एक्सपोजर बढ़ा है। विदेशी बैंक जो मार्च 2016 तक निवल उधारदाता थे वे सितंबर 2016 में निवल उधारकर्ता हो गए (चार्ट 2.30)।

चार्ट 2.30: संस्थाओं द्वारा निवल ऋण (धनात्मक)/ उधार (ऋणात्मक)

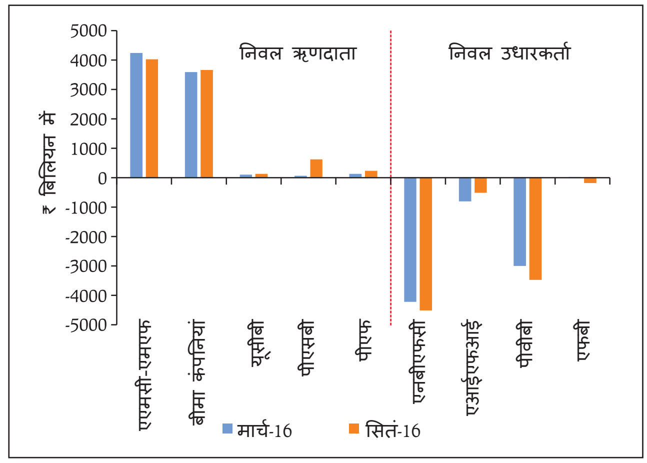

टिप्पणी: यह विश्लेषण विनियमित वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा नमूने के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) तक सीमित है।
स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

एससीबी, एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों के बीच अन्योन्यक्रिया[43]

2.41 सितंबर 2016 के अंत में वित्तीय प्रणाली के प्रति एएमसी-एमएफ का सकल प्राप्य इसके प्रबंधन के तहत आने वाली आस्तियों के औसत का लगभग 28 प्रतिशत था, जबकि बैंकिंग प्रणाली का सकल प्राप्य उनकी कुल आस्तियों[44] का करीब 9 प्रतिशत था।

2.42 बैंकिंग क्षेत्र के पास बीमा और म्यूचुअल फंड क्षेत्र दोनों का मिलाकर सितंबर 2016 में कुल सकल एक्सपोज़र (प्राप्य) लगभग रु.134 बिलियन था (मार्च 2016 में रु.176 बिलियन के प्रति)। इसी समय में एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों का बैंकिंग क्षेत्र के पास संयुक्त एक्सपोजर (सकल प्राप्य) लगभग रु.4.4 ट्रिलियन (मार्च 2016 में रु.4.9 ट्रिलियन की तुलना में) था, जो सितंबर 2016 में बैंकिंग प्रणाली की कुल देयताओं का लगभग 4 प्रतिशत था।

2.43 जहां एएमसी-एमएफ का बैंकों में सकल एक्सपोजर (प्राप्य) प्राथमिक रूप से अल्पावधि (रु.1.1 ट्रिलियन) के लिए था, वहीं बीमा कंपनियों का महत्वपूर्ण एक्सपोजर दीर्घावधि (रु.2.2 ट्रिलियन) के लिए था (चार्ट 2.31)।

चार्ट 2.31: एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों का बैंकों को एक्सपोजर (कुल प्राप्य)

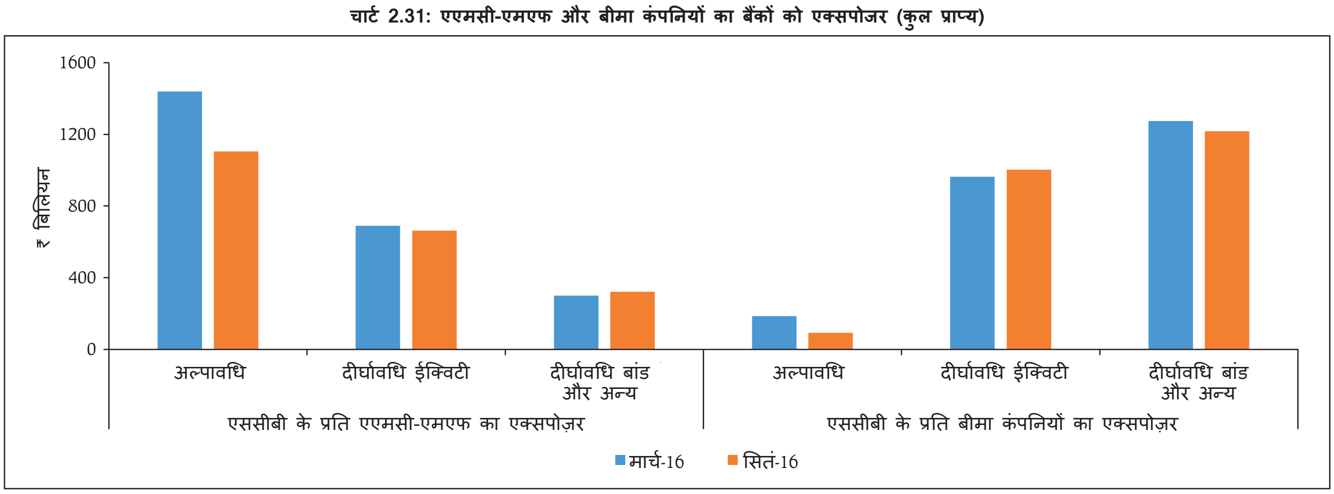

टिप्पणी : यह विश्लेषण 86 एससीबी और चुनिंदा एएमसी-एमएफ एवं बीमा कंपनियों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोज़र के विश्लेषण तक सीमित है।
स्रोतः रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

[43] यह विश्लेषण 86 एससीबी, चुनिंदा एएमसी-एमएफ और बीमा कंपनियों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) तक सीमित है।

[44] वित्तीय प्रणाली के प्रति एएमसी-एमएफ और एससीबी के एक्सपोजर में उसी समूह के भीतर आने वाली संस्थाओं के एक्सपोजर भी शामिल हैं।

एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर

2.44 एनबीएफसी शेष वित्तीय प्रणाली से निधियों की सर्वाधिक निवल प्राप्तकर्ता थीं जिसमें 36 प्रतिशत एससीबी से उसके बाद एएमसी-एमएफ (34 प्रतिशत) से और बीमा कंपनियों (25 प्रतिशत) से निधियां प्राप्त हुई। वित्तीय प्रणाली[45] के भीतर एनबीएफसी द्वारा पेंशन निधियों से ली गई निवल उधारी में 3 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

2.45 घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में चल रहे मंथन के कारण संभवतः एनबीएफसी को सबसे अधिक लाभ हो रहा है क्योंकि विनियामक विचार भी यह है कि एनबीएफसी का विनियमन बैंकों के विनियमन के समान किया जाए। एनबीएफसी के लिए बढ़ते हुए विनियमन के बावजूद एनबीएफसी को बैंक वित्त-पोषण का महत्वपूर्ण हिस्सा और एनबीएफसी का बेहतर कार्यनिष्पादन यह दर्शाता है कि जो बैंक वर्तमान में परेशानी में हैं उनके पास अपनी कार्यनीति में बदलाव करके अपने मार्जिन सुधारने की गुंजाइश है।

पेन्शन निधियों का एक्सपोजर[46]

2.46 पेन्शन निधियाँ वित्तीय प्रणाली में निवल उधरदाता थीं जिनका सितंबर 2016 में सकल एक्सपोजर (प्राप्य) रु.239 बिलियन था जिसमें से लगभग 97 प्रतिशत बॉन्डों और अन्य दीर्घावधि लिखतों के माध्यम से था। वित्तीय प्रणाली के भीतर इस विश्लेषण में यहाँ संदर्भित पेन्शन निधियों का लगभग 55 प्रतिशत एक्सपोजर (सकल प्राप्य) एनबीएफसी क्षेत्र के लिए था और इसके बाद बैंकिंग क्षेत्र (30 प्रतिशत)[47] के लिए था। पेन्शन निधियों के एक्सपोज़र में (सकल प्राप्य) मार्च और सितंबर 2016 के बीच 26 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई जो मुख्यतः एनबीएफसी क्षेत्र को इनके एक्सपोजर के कारण हुआ (चार्ट 2.32)।

संक्रामकता विश्लेषण[48]

2.47 संक्रामकता विश्लेषण, नेटवर्क उपकरणों का प्रयोग करते हुए किया जाने वाला एक दबाव परीक्षण है जो एक या अधिक बैंकों के विफल होने की स्थिति में

चार्ट 2.32: पेंशन निधियों का सकल एक्सपोजर (प्राप्य)

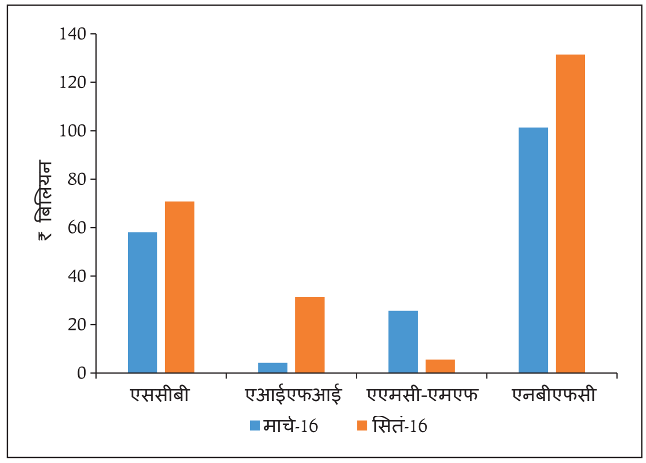

टिप्पणी : यह एक्सपोज़र पेंशन निधियों के तुलन पत्र पर नहीं हैं परंतु एनपीएस योजनाओं के तुलन पत्र पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। यह विश्लेषण विनियमित संस्थाओं के चुनिंदा नमूने के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर (निधि और गैर-निधि आधारित दोनों) तक सीमित है।
स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां।

संभावित हानि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि और टीयर-I पूंजी की हानि के संदर्भ में संयुक्त ऋण शोधन-क्षमता चलनिधि संक्रामकता[49] के तहत अधिकतम (शीर्ष 5) संभावित प्रभाव का आकलन चार्ट 2.33 में दिया गया है।

चार्ट 2.33: शीर्ष 5 बैंक के साथ अधिकतम संक्रामकता प्रभाव

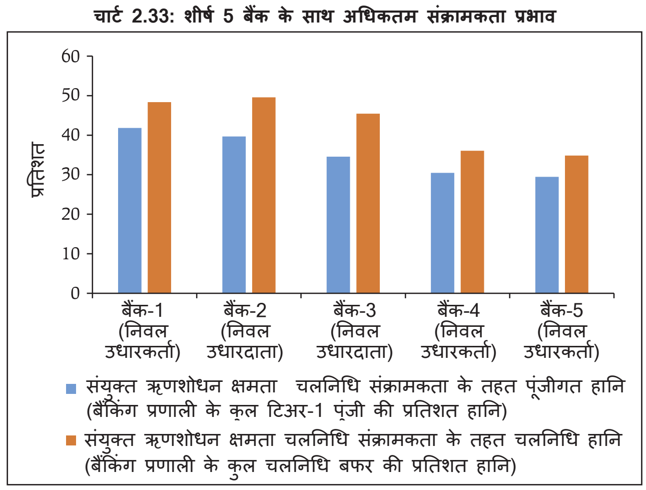

टिप्पणी: किसी बैंक को निवल उधारदाता के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है यदि अंतर-बैंक प्रणाली के भीतर इसकी प्राप्तियां इसकी देयताओं से अधिक होती हैं और यदि इसकी इसे निवल उधारकर्ता के रूप में रखा जाता है यदि इसकी देयताएं प्राप्तियों से कहीं अधिक होती हैं।
स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ द्वारा आकलन।

[45] इस पैरा में उद्धृत संख्याएँ चुनिंदा एनबीएफसी के नमूने तक सीमित हैं जो संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हैं और नमूने की विनियमित वित्तीय संस्थाओं के साथ उनका द्विपक्षीय एक्सपोज़र है।

[46] यह आंकड़े सात पेंशन निधियों और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित/प्रशासित योजनाओं के एक्सपोज़र से संबंधित है।

[47] यूसीबी और बीमा कंपनियों (चयनित नमूने में) में पेंशन निधियों का एक्सपोजर शून्य था।

[48] कार्यप्रणाली के लिए कृपया अनुबंध-2 देखें।

[49] सैद्धांतिक रूप से एक निवल उधारकर्ता बैंक ऋण-शोधन अक्षमता संक्रामकता का सृजन करेगा जबकि एक निवल उधारदाता बैंक चलनिधि संक्रामकता प्रारंभ करेगा। तथापि, वास्तविकता में, ऋण-शोधन अक्षमता और चलनिधि संक्रामकता दोनों के एक ही साथ प्रारंभ होने की संभावना होती है(अर्थात् ऋण-शोधन अक्षमता-चलनिधि संयुक्त संक्रामकता) क्योंकि तकनीकी रूप से कोई बैंक किसी प्रतिपक्षी के बनाम निवल उधारकर्ता होता है जबकि शेष बैंक किन्ही अन्य के प्रति निवल उधारदाता होते हैं।

अध्याय III

वित्तीय क्षेत्र विनियमन

विनियामकीय मानक मजबूत बने हुए हैं। हालांकि, विदेशी वित्तीय संस्थाओं के भेदभावपूर्ण व्यवहार के बीच चुनौतीपूर्ण वैश्विक मानकों से भटकाव का जोखिम बढ़ गया है। इसके अलावा, विनियामकीय और लाभप्रदता संबंधी चिंताओं के कारण कुछ प्रमुख वैश्विक बैंकों द्वारा प्रतिनिधि बैंकिंग की गतिविधियों में कमी करने से औपचारिक वित्तीय मध्यस्थता माध्यमों को विश्व के वित्तीय रूप से अल्प-सेवा युक्त हिस्सों तक पहुंच बनाने के लिए हतोत्सोहित कर सकती है। इसके साथ ही, बैंकों के लिए बढ़ती हुई विनियामकीय जांच और बढ़ी हुई पूंजी अपेक्षाओं के कारण बैंकों के कुछ अंतर्निहित जोखिमों का अंतरण वित्तीय बाजारों के दूसरे हिस्सों में हो सकता है।

घरेलू वित्तीय बाजारों में, किए गए अनेक समष्टिगत-विवेकपूर्ण और अन्य उपायों से वित्तीय बाजारों के कार्यसंचालन में पारदर्शिता बढ़ने और अधिक व्यापक उत्पाद-विकल्प उपलब्ध होने तथा अधिक प्रभावी शिकायत निवारण के माध्यम से ग्राहकों को समर्थ बनाए जाने की संभावना है, जिससे वित्तीय क्षेत्र का अधिक सुदृढ़ीकरण होगा।

बैंकिंग क्षेत्र के क्षमता निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों तथा बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एएस) को अपनाए जाने के लिए इन संस्थाओं की ओर से समर्पित प्रयासों की जरूरत पड़ेगी। जहां आंशिक क्रेडिट संवर्धन के संबंध में विनियामकीय उपायों से कॉर्पोरेट बांड बाजार को और मजबूती प्राप्त होगी, वहीं बाजार की कार्यप्रणाली और बड़े एक्सपोजरों से संबंधित दिशानिर्देशों से बैंकों को बड़े कॉर्पोरेट संस्थानों में बैंकों के एक्सपोजर को कम करने में मदद मिलेगी। दो नए लाइफ साइकिल फंडों की शुरुआत करने और वैकल्पिक निवेश के लिए अलग से आस्ति श्रेणी के सृजन से निवेशकों को पेंशन योजनाओं में निवेशकों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होने की संभावना है।

खंड 'क'

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विनियामकीय गतिविधियां

I. बैंकिंग क्षेत्र

3.1 वैश्विक विनियामकीय मानकों की प्रमुख गतिविधियों के अंतर्गत ऐसे लिखतों में बैंकों के निवेश का विनियामकीय पूंजीगत बर्ताव शामिल होता है, जिसके अंतर्गत वैश्विक प्रणालीगत महत्व के बैंकों (जी-एसआईबी) की कुल हानि-वहन क्षमता (टीएलएसी)[1] एवं बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम के लिए मानक (आईआरआरबीबी)[2] समाहित होते हैं । इसके अतिरिक्त, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने परामर्शी दस्तावेज[3] और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा पत्र जारी किया था जिसका संबंध बासेल III विनियामकीय पूंजी संचरना के अंतर्गत लेखांकन प्रावधानों के विनियामकीय व्यवहार से था। इसने प्रतिभूतिकरण ढांचे[4] के लिए संशोधन जारी किए।

3.2 विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों द्वारा बीसीबीएस मानकों का अंगीकरण संतोषजनक रहा है, जैसाकि उनकी विनियामकीय निरंतरता आकलन कार्यक्रम (आरसीएपी) रिपोर्टों में दर्शाया गया है। तथापि, विशेषकर विकसित देशों में राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं की वैश्वीकरण के लिए कम होती चाहत को देखते हुए, विशेषकर जो अधिक चुनौतीपूर्ण हैं, के बहुत ज्यादा भटकाव का जोखिम व्यापक हो गया है। क्रेडिट जोखिम के लिए जोखिम भारांक का न्यूनतम स्तर और संचालन जोखिम के लिए अधिक पूंजी जैसे नए प्रस्तावों पर पहले से ही, विशेषकर यूरो क्षेत्र में, असंतोष के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच, यूरोपियन आयोग ने बड़े विदेशी बैंकों के लिए यूरोपियन संघ स्थित

[1] बीआईएस (2016), 'टीएलएसी धारिता मानक', अक्तूबर । यह https://www.bis.org./bcbs/publ/d387.htm पर उपलब्ध है ।

[2] बीआईएस (2016), 'बैंकिंग बहियों पर ब्याज दर जोखिम', अप्रैल । यह https://www.bis.org./bcbs/publ/d368.htm पर उपलब्ध है ।

[3] बीआईएस (2016), 'लेखांकन प्रावधानों के विनियामकीय उपचार - अंतरिम उपागम तथा परिवर्तनशील उपाय - सलाहकार दस्तावेज', अक्तूबर । यह https://www.bis.org./bcbs/publ/d386.htm पर उपलब्ध है ।

[4] बीआईएस (2016), प्रतिभूतिकरण ढांचे में संशोधन', जुलाई । यह https://www.bis.org./bcbs/publ/d374.htm पर उपलब्ध है ।

उनकी सहायक संस्थाओं के साथ उच्चतर पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव भी किया है। यूरोपीय बैंकों पर मौजूदा अमेरिकी विनियामकीय रुख के जवाब में देखी गई ये गतिविधियाँ मानक निर्धारण व्यवस्था पर वैश्विक सहयोग को प्रभावित कर सकती हैं। अटलांटिक के उस तरफ, यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका में राजनीतिक परिवर्तन से डोड फ्रैंक सुधारों के लिए जोखिम उत्पन्न होगा। साथ ही, इतने बड़े कि विफल नहीं हो सकते (टीबीटीएफ) के मुद्दे के प्रभावी निपटान की चर्चा जारी हैं (बॉक्स 3.1)। विनियमों के लगातार कमजोर पड़ने

बॉक्स: 3.1: टीबीटीएफ (इतने बड़े कि विफल नहीं हो सकते) - लाभ किसे मिल रहा है ?

एफएसआर के पूर्ववर्ती अंकों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि विनियमाकीय उपायों के बावजूद दुनिया भर में 'बड़े' बैंकों के तुलन-पत्र का आकार लगातार बढ़ रहा है। (अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं एवं समाधान ढांचा, जो 'विद्यमान वसीयतो' की ओर आगे बढ़ते हैं)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अप्रैल 2014[5] को जारी अपनी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में दर्शाया था कि सरकारों द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों को संकट से उबारने की उच्च-प्रायिकता अभी भी सभी क्षेत्रों में बनी हुई है।

टीबीटीएफ (इतने बड़े कि विफल नहीं हो सकते) का दर्जा मिलने से जुड़े विवाद - (पहला, संबंधित बैंक को बीमा प्रीमियम का भुगतान किए बिना, कर दाता से चूक के बदले बीमा प्राप्त होता है और दूसरा, बीमा के साथ आने वाला नैतिक संकट जो अपेक्षाकृत जोखिमपूर्ण सर्वोत्तम निर्णय लेने के संबंध में बैंक प्रबंध को प्रोत्साहित करता है) के साथ ही साथ, सैद्धांतिक रूप से टीबीटीएफ का दर्जा प्राप्ते होने की इस अतिरिक्त सुरक्षा (बीमा पॉलिसी) से बैंकों का मूल्यांकन बेहतर हो जाएगा। हालांकि, यदि ऐसा होता है तो टीबीटीएफ का दर्जा प्राप्त बैंक अपनी धन-संपत्ति का अंतरण नए खरीदारों से मौजूदा इक्विटी/ ऋण धारकों को करते हैं। अन्य प्रकार से कहा जाए तो, नए खरीदार टीबीटीएफ बीमा के प्रीमियम का भुगतान उच्चतर इक्विटी एवं उच्च बांड मूल्यों के रूप में करते हैं। "संक्षेप में टीबीटीएफ का दर्जा मिलने का महत्व फर्म के इक्विटी एवं उसके बांड मूल्य में वृद्धि के रूप में परिणत होता है। टीबीटीएफ का दर्जा हासिल करने के समय शेयर धारकों और ऋणदाताओं को अप्रत्याशित पूंजी लाभ प्राप्त होता है। किंतु उसके बाद, इक्विटी और ऋण (डेट) के नए क्रेता टीबीटीएफ की हैसियत को बनाए रखने की कीमत चुकाएंगे। फलस्वरूप, किसी संस्था को टीबीटीएफ का दर्जा मिल जाने के बाद यह निर्धारित करना कि किसको वित्तीय मदद (बेल आउट) मिली, उससे भी अधिक मुश्किल कार्य हो जाता है जितना कि वह प्रतीत होता है" (वॉलर, क्रिस्टोफर, 2016) ।

इस बात के कुछ साक्ष्य हैं कि टीबीटीएफ का दर्जा न सिर्फ निधीयन की कम लागत के रूप में प्रकट होता है बल्कि उनकी पूंजी (स्टॉक) पर प्रतिलाभ (जोखिम के प्रति समायोजन कर देने से) भी असामान्य रूप से घट जाते हैं (गांधी एंड लस्टिंग 2015) । इस तरह के साक्ष्य जर्मन बैंक की पूंजी के संबंध में देखे जा सकते हैं (निट्स्चक, थॉमस, 2016)। इससे भी अधिक रोचक मामला यह हो सकता है कि ऋण और उससे संबद्ध प्रसंविदाओं की भूमिका उनके प्रबंधन को नियंत्रित करने की भी होती है, किंतु सरकारी संस्थाएं जिनके पास अंतर्निहित राजकीय गारंटी होती है, उनके लिए प्रसंविदाओं पर जोर दिए जाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कर्ज को नियंत्रित करने की भूमिका जोखिम में पड़ सकती है। इसका एक अपवाद दीर्घावधि विदेशी मुद्रा कर्ज हो सकता है। वस्तुतः, एक निर्धारित सीमा के बाद इन संस्थाओं को विनियामकीय लाभ (रेग्युलेटरी कैप्चर) मिलने का जोखिम उत्पन्न होने लगता है क्योंकि प्रणालीगत स्थिरता के संबंध में उनकी सौदेबाजी की शक्तियां बढ़ जाती हैं। ऐसा होने के परिणामस्वरूप एक अन्य आर्थिक समस्या से संबंधित 'लेखांकन' एवं 'विनियामकीय' समाधान (सहनशीलता/रियायत) की जरूरत पड़ सकती है।

इस बहस के जारी रहते हुए, वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने (एफएसबी) वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब)[6] और वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं (जी-एसआईआई)[7] की 2016 की सूचियां प्रकाशित की है। वर्ष 2016 की सूचियों में 30 बैंक और 9 बीमाकर्ता कंपनियां वही हैं जो वर्ष 2015 की सूची में थीं, किंतु जी-सिब की सूची में चार बैंकों को उच्चतर दर्जा प्राप्त हुआ है तथा तीन बैंकों को निम्नतर दर्जा प्रदान किया गया है, जो अतिरिक्त पूंजी बफर के अपेक्षित स्तरों से अनुरूप हैं। घरेलू मोर्चे पर भी, वर्ष 2016[8] में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-सिब) के रूप मे चिह्नित बैंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

संदर्भ:

1. वॉलर, क्रिस्टोफर, (2016): हू इक्जेक्टली बेनिफिट्स फ्रॉम टू बिग टु फेल?, इकोनॉमिक रिसर्च, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सेंट लुइस, 2016, सं.13 (2017-06-27 को पोस्ट किया गया)

2. गांधी और लस्टिंग, (2015): साइज एनामैलीज इन यूएस बैंक स्टॉक रिटर्न्स, दि जर्नल ऑफ फाइनैंस, अप्रैल 2015, खंड 70, अंक 2.

3. निट्स्चक, थॉमस (2016): इज देयर ए टू बिग टु फेल डिसकाउंट इन एक्सेस रिटर्न्स ऑन जर्मन बैंक्स स्टॉक्स ? इंटरनेशनल फाइनैंस ।

[5] आईएमएफ (2014) वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल । यह https://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2014/01/pdf/c3.pdf पर उपलब्ध है ।
[6] वित्तीय स्थिरता बोर्ड 2016, जी-एसआईबी की सूची, नवंबर । यह http://www.fsb.org/2016/11/fsb-publishes-2016-g-sib-list/ पर उपलब्ध है ।
[7] वित्तीय स्थिरता बोर्ड 2016, जी-एसआईआई की सूची, नवंबर । यह http://www.fsb.org/2016/11/fsb-publishes-2016-g-sii-list/ पर उपलब्ध है ।
[8] भा.रि.बैं; (2016), प्रेस प्रकाशनी । 'भा.रि.बैं. ने 2016 में एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी के रूप में मान्यता दी' अगस्त । यह https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37872 पर उपलब्ध है ।

से सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और बज़ट पर प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है जिससे विनियामकीय बदलावों[9] के लिए कभी-कभार किंतु कैलेंडर आधारित आवधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

3.3 बासेल III सुधारों के धीरे-धीरे कार्यान्वयन से पूंजी और चलनिधि (चार्ट 3.1 देखें) के मामले में बैंक अधिक लचीले प्रतीत होते हैं, किंतु दूसरी तरफ विनियामकीय और लाभ दबावों[10] के बीच, इन्होंने उन गतिविधियों में कमी कर दी है जिनको वाणिज्यिक रूप से चालू रखना बहुत खर्चीला माना जाता है। उदाहरण के तौर पर विनियामकीय और लाभ की चिंताओं के कारण कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा प्रतिनिधि बैंकिंग की गतिविधियों में कमी औपचारिक वित्तीय मध्यस्थता चैनलों को विश्व के वित्तीय रूप से अल्पसेवारत हिस्सों में पहुंच बनाने के लिए हतोत्साहित कर सकती है। बैंकों की बढ़ती संवीक्षा और उन्नत पूंजी प्रावधानों के साथ, बैंक संकट के समय से ज्यादा मजबूत बन गए हैं, किंतु एक विचार उत्पन्न हो रहा है कि क्या बाजारों में जोखिम बढ़ रहा है। उन संस्थाओं की जोखिम लेने की चाहत और जोखिम वहन-क्षमता (वर्तमान संरचना इस अंतराल के आधार पर पूंजी अपेक्षाओं को निर्धारित नहीं करती है) के बीच अंतराल बढ़ने और इसके समाधान की पुनर्विनियामकीय प्रक्रिया की पर्याप्तता पर भी अनिश्चितता बनी हुई है, जो एक तरफ सभी वित्तीय क्षेत्रों में परिचालित हैं और दूसरी ओर, ऋण और चलनिधि जोखिमों में स्पष्ट रूप से अंतर कर रही हैं और उन्हें संभाल रही हैं (परसौद, अविनाश 2016)।

3.4 भारत में बैंकों के लिए बीसीबीएस मानकों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े एक्सपोज़रों (एलई) से संबंधित संरचना पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें 31 मार्च 2019 तक क्रियान्वित किया जाना है (सारणी 3.1)। शून्येतर जोखिम भारांक पर लागू होने वाले तथा बैंकों के सरकारी एक्सपोज़र पर बड़े एक्सपोज़र नियमों की छूट की अनुमति नहीं देने संबंधी बीसीबीएस के प्रस्तावों पर अभी भी कार्य किया जा रहा है, किंतु रिज़र्व बैंक ने अपनी एलई संरचना में एलई सीमाओं से सरकारी एक्सपोजरों के लिए छूट देने की अनुमति दी है, जो बीसीबीएस के अप्रैल 2014 एलई मानकों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, बासेल III पूंजी संरचना को 1 अप्रैल 2018[11] से चयनित रूप से चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) पर लागू किया जाएगा।

चार्ट 3.1 : समूह 1 के बैंकों के लिए चयनित पूंजी और चलनिधि अनुपात

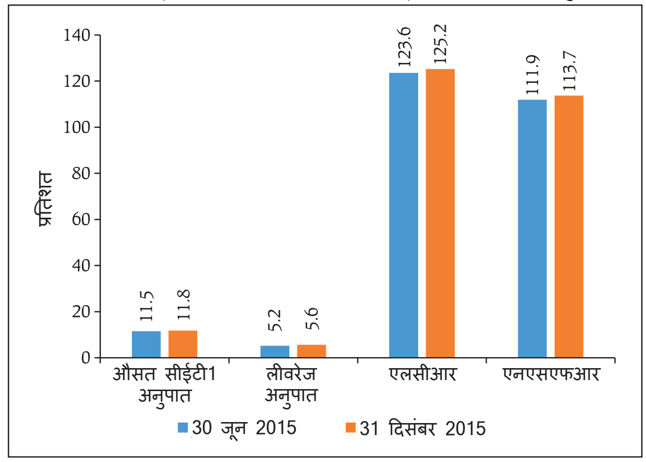

स्रोत: बासेल III निगरानी रिपोर्ट सितंबर 2016 https://www.bis.org/bcbs/publ/d378.pdf

[9] उदाहरण के लिए, इस संदर्भ में, निरंतर विनियामकीय परिवर्तनों की समीक्षा के लिए अमेरिका में कुछ आवाजें उठी हैं। यूएसजीएओ (2016) नवंबर, वित्तीय सेवा समिति, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। यह http://www.gao.gov/assets/690/681020.pdf पर उपलब्ध है ।

[10] 'वित्तीय समावेशन एवं फिनटेक क्रांति : पर्यवेक्षण एवं निगरानी से संबंधित प्रभाव' विषय पर तीसरे जीपीएफआई-एफएसआई सम्मेलन में मानक निर्धारक संस्थाओं एवं नवोन्मेषी वित्तीय समावेशन के संबंध में जैमे करुआना (2016), बीआईएस का भाषण । यह http://bis.org/speeches/sp161026.htm एवं जोखिम कम करने (डी-रिस्किंग) की जांच-पड़ताल के संबंध में विश्व बैंक समूह सर्वेक्षण पर उपलब्ध है। यह http://www.worldbank.org/en/topic/financialmarketintegrity/publication/world-bank-group-surveys-probe-derisking-practicesaspx?prid=37872 पर उपलब्ध है ।

[11] एआईएफआई वर्तमान में बासेल-I पूंजी संरचना के अंतर्गत कार्य करते हैं ।

II. प्रतिभूति बाजार

3.5 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) की वृद्धि और उभरते बाजारों की समिति (जीईएमसी) ने 'उभरते बाजारों में कॉर्पोरेट अभिशासन'[12] पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, *निदेशकों की स्वतंत्रता* के मुद्दे पर चर्चा की गई है जो (i) स्वयं *'स्वतंत्रता' की संकल्पना, (ii) विभाजनकारी हुए बिना रचनात्मक आलोचना करने की निदेशकों की योग्यता* पर आधारित है।

3.6 सेबी ने घरेलू प्रतिभूति बाजार के लिए अनेक विनियामकीय सुधारात्मक उपाय (सारणी 3.1) किए हैं जिनमें इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों को कड़ा करना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) की नीतियों में पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आईओएससीओ ने हाल ही में अन्य सीआरए उत्पादों (ओसीपी) पर परामर्शी रिपोर्ट[13] प्रकाशित की है। चूंकि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी अपनी पहुंच और दायरा व्यापक कर लिया है तथा अपनी सहायक संस्थाओं, जो शायद विनियमित न हों, के माध्यम से अनेक सेवाएं मुहैया कराती हैं, उनके लिए रिपोर्ट की विषय-वस्तु और उद्देश्य बहुत ही प्रासंगिक हैं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के ऐसे उत्पादों और सेवाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और लाभों को समझने में उपयोगी होंगे।

III. बीमा

3.7 अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) ने हाल में एक दस्तावेज[14] प्रस्तुत किया है जिसमें गैर-पारंपरिक गैर-बीमा (एनटीएनआई) की परिभाषा में आईएआईएस द्वारा संशोधन करने का औचित्य तथा संभावित प्रणालीगत बीमा उत्पाद विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम और समष्टि आर्थिक एक्सपोजर की धारणा को संशोधित और स्पष्ट भी किया गया है।

IV. हाल की विनियामकीय पहल और उनका औचित्य

3.8 हाल की कुछ विनियामकीय पहल, जिनमें विवेकपूर्ण और उपभोक्ता संरक्षण उपायों को उनके औचित्य के साथ सारणी 3.1 में दिया गया है।

सारणी 3.1: महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण और उपभोक्ता संरक्षण उपाय तथा उनका औचित्य जुलाई-दिसंबर 2016

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
1. भारतीय रिज़र्व बैंक		
14 जुलाई	फिन टेक और डिजिटल बैंकिंग पर एक अंतर-विनियामकीय कार्यसमूह का गठन किया गया।	i. संभावनाओं का पता लगाने के लिए (स्कोपिंग एक्सरसाइज) कार्रवाई करना जिससे कि प्रमुख फिन टेल नवोन्मेषों/गतिविधियों, प्रतिपक्षियों/संस्थाओं, शामिल प्रौद्योगिकीय मंचों और बाजारों एवं विशेषकर वित्तीय क्षेत्र द्वारा नए डिलीवरी चैनलों, उत्पादों और तकनीकों को अपनाने के तरीकों की आम समझ प्राप्त हो सके। ii. डिजीटलीकरण से वित्तीय प्रणाली के लिए उत्पन्न अवसरों और जोखिमों का आकलन करना। iii. वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न कार्यों के निहितार्थ और चुनौतियों का आकलन करना जिसमें मध्यस्थता, समाशोधन, गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया गया भुगतान शामिल है। iv. सीमापार पद्धतियों की जांच करना। v. उभरती चुनौतियों और जोखिम आयामों को संभालते हुए फिन टेक / डिजीटल बैंकिंग से जुड़े अवसरों को बढ़ाने के लिए विनियामकीय दिशानिर्देशों और सांविधिक प्रावधानों को पुनः एकरूपता लाने / पुनः व्यवस्थित करने की दृष्टि से उचित विनियामकीय प्रतिक्रियाओं के लिए खांका तैयार करना।

[12] ओआईसीयू-आईओएससीओ (2016) कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट, अक्तूबर । यह http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD544.pdf पर उपलब्ध है ।

[13] ओआईसीयू-आईओएससीओ (2016) मीडिया विज्ञप्ति, 'आईओएससीओ का अन्य सीआरए उत्पादों तथा बाजार के प्रतिभागियों द्वाा उनके प्रयोग के संबंध में विमर्श', नवंबर । यह http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS443.pdf पर उपलब्ध है ।

[14] आईएआईएस जून (2016), 'बीमा उत्पाद की विशेषताओं से प्रणालीगत जोखिम' (पहले इनका उल्लेख गैर-परंपरागत, गैर-बीमा गतिविधियों एवं उत्पादों के रूप में किया जाता था)।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
21 जुलाई	बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंदर चलनिधि कवरेज़ अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एमएएलएलसीआर) के अंतर्गत अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के और एक प्रतिशत तक को उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को अपने चलनिधि कवरेज़ अनुपात (एलसीआर) के परिकलन हेतु स्तर 1 उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में मान सकते हैं। इस प्रकार, बैंकों के पास उपलब्ध एसएलआर से प्राप्त कुल राशि उनकी एनडीटीएल का 11 प्रतिशत होगी।	भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III सुधारों के अंतर्गत जनवरी 2015 से 60 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा के साथ एलसीआर को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है जिसे प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की धीरे-धीरे वृद्धि के साथ जनवरी 2019 से 100 प्रतिशत पर पहुंचाना है। चूंकि भारत में पहले से ही सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) विद्यमान था और एलसीआर ने बैंकों द्वारा एचक्यूएलए धारित करने की आवश्यकता को काफी बढ़ा दिया, एचक्यूएलए अपेक्षाओं को कुछ सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों की दोनों अनुपातों में गिनती द्वारा दो अनुपातों में युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस उपाय से बैंकों को अन्य आस्तियों के वित्तपोषण को कायम रखते हुए बढ़ती हुई न्यूनतम एलसीआर को पूरा करने में मदद मिलेगी।
4 अगस्त	जमाराशियों के अवैध संग्रह पर काबू पाने के लिए 'सचेत' वेबसाइट शुरू की गई।	भारत एक विशाल देश है जिसमें वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं के लिए अलग-अलग विनियामकों की उपस्थिति, विनियामक भूमिकाओं का दोहराव (ओवरलेपिंग), विनियामक अंतरालों की उपस्थिति और आम जनता के बीच वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर पर आम आदमी के लिए विनियमित और अविनियमित संस्था के बीच अंतर करना और ऐसी संस्थाओं के साथ किए जाने वाले लेनदेनों से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए उचित मंच को ढूंढ़ना मुश्किल बना देता है। इस पहल से जनता उन संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगी जिन्हें जमाराशि स्वीकार करने के लिए अनुमति दी गई है। इसके अलावा, जनता को शिकायतें दर्ज करने और बेइमान संस्थाओं द्वारा अनधिकृत रूप से जमाराशि स्वीकार करने के संबंध में सूचना भी साझा कर सकती है। इस वेबसाइट से विनियामकों और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय भी बढ़ेगा और इस प्रकार से यह प्रयास बेइमान संस्थाओं द्वारा अनधिकृत रूप से जमाराशि स्वीकार करने की घटनाओं पर काबू पाने में उपयोगी होगी।
4 अगस्त	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन के संबंध में विनियामकीय दिशानिर्देश जारी किए गए। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं 1 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करेंगी, तुलनात्मक आंकड़ों के लिए 31 मार्च 2018 या इससे बाद समाप्त होने वाली अवधियों के लिए अनुपालन किया जाएगा।	एमसीए ने जनवरी 2016 में बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, चुनिंदा अखिल भारतीय मीयादी उधार और पुनर्वित्त संस्थाओं तथा बीमा संस्थाओं के लिए भारतीय लेखांकन मानकों में एक स्थान पर एकत्रित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के कार्यान्वयन हेतु रूपरेखा तैयार की। 1 अप्रैल 2018 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करना है। दिशानिर्देशों में एआईएफआई को व्यापक रूप से भारतीय लेखांकन मानक लागू करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है।
25 अगस्त	बाजार क्रियाविधि के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों में एक निश्चित सीमा से परे बैंकिंग क्षेत्र से उधार लेने के लिए हतोत्साहित करने हेतु 'विनिर्दिष्ट उधारकर्ता' और 'सामान्य रूप से अनुमत उधार सीमा' (एनपीएलएल) की संकल्पना प्रारंभ की गई। इस एनपीएलएल से अभिप्राय विनिर्दिष्ट उधारकर्ता द्वारा संदर्भ तारीख वाले वित्तीय वर्ष के बाद के वित्तीय वर्षों में संदर्भ तारीख को उसकी कुल संस्तुत ऋण सीमा (एएससीएल) से ऊपर जुटाई गई वृद्धिशील निधियों के 50 प्रतिशत से है। हतोत्साहित करने की क्रियाविधि के अंतर्गत 2017-18 से प्रस्तावित विवेकपूर्ण उपायों के अनुसार विनिर्दिष्ट उधारकर्ता को एनपीएलएल से परे बैंकिंग प्रणाली के वृद्धिशील एक्सपोज़र पर उच्चतर जोखिम माना जाएगा जिसे अतिरिक्त प्रावधानीकरण (लागू प्रावधान से 3 प्रतिशत अंक अधिक) और उच्चतर जोखिम भारांक (एक्सपोज़र के लिए लागू जोखिम भारांक से 75 प्रतिशत अंक अधिक) के माध्यम से मान्यता दी जाएगी।	एकल और समूह संस्थाओं को दिए गए ऋण से अलग-अलग बैंकों के लिए संकेंद्रण जोखिम का समाधान करने के लिए विनियामकीय उपाय 1989 से मौजूद हैं, फिर भी विशिष्ट प्रतिपक्षियों को किए गए बैंकों के सामूहिक एक्सपोज़र से बैंकिंग प्रणाली स्तर पर संकेंद्रण जोखिम का बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है। ये दिशानिर्देश एक सीमा बिंदु से परे बैंकिंग प्रणाली से किसी उधारकर्ता द्वारा समग्र उधार को हतोत्साहित करके इस चिंता का निवारण करते हैं।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
25 अगस्त	'कॉर्पोरेट बांडों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन' (पीसीई) पर अपने अनुदेशों की आंशिक समीक्षा करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली से किसी विशिष्ट बांड के लिए समग्र एक्सपोज़र सीमा उस बांड के निर्गम की राशि के मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर बांड के निर्गम की राशि के 50 प्रतिशत तक करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, समग्र सीमा के अंदर अलग-अलग बैंकों के लिए बांड निर्गम की राशि के 20 प्रतिशत तक की सीमा की अनुमति दी गई है।	आंशिक क्रेडिट संवर्धन (पीसीई) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 24 सितंबर 2015 के परिपत्र के माध्यम से किसी विशेष बांड निर्गम के लिए पीसीई हेतु सभी बैंकों के समग्र एक्सपोज़र सीमा पर बांड निर्गम की राशि के 20 प्रतिशत की सीमा लगाई। कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास में और अधिक सहायता देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्चतर एक्सपोज़र सीमा की अनुमति दी है।
1 सितंबर	बैंकों द्वारा दबावपूर्ण आस्तियों की बिक्री के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए	अर्थव्यवस्था में दबावपूर्ण आस्तियों को पुनरूज्जीवित करने के लिए ढांचे के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्रचना कंपनियों (आरसी) को अनर्जक आस्तियों की बिक्री से संबंधित विशिष्ट दिशानिर्देशों को पहले ही संशोधित किया गया है । वर्तमान दिशानिर्देशों को जारी करने का मकसद बैंकों की दबावपूर्ण आस्तियों को प्रभावी ढंग से निपटाने की बैंकों की कार्यक्षमता को अधिक मजबूत बनाना एवं बैंकों द्वारा एससी/आरसी/अन्य बैंकों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थानों इत्यादि को बिक्री निर्धारित करने करने वाले बेहतर ढांचे को स्थापित करना है ।
27 अक्तूबर	एक ढांचा जारी किया गया जिसमें एडी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गई कि स्टार्ट-अप्स 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वित्तीय वर्ष उसमें समतुल्य राशि की सीमा तक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटा सकते हैं।	ऐसा स्टार्ट-अप्स के लिए ईसीबी के माध्यम से निधियाँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है।
10 नवंबर	“दबावग्रस्त आस्तियों के लिए योजनाएं - संशोधन” जारी करना जिसमें विभिन्न पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों अर्थात दबावग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने की रूपरेखा, परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, कार्यनीतिगत ऋण पुनर्संरचना योजना, दबावग्रस्त आस्तियों की वहनीय संरचना की योजना आदि के अंतर्गत कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया।	इन दिशानिर्देशों में बदलाव निम्निलिखत उद्देश्यों के साथ किए गए हैं: (i) अन्य दिशानिर्देशों के साथ कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना में लागू स्थिर खंड का समन्वय; (ii) वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की अनुमानित तारीख पर स्पष्टीकरण; और (iii) दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में इन साधनों का उपयोग करने से प्राप्त अनुभव और हिस्सा धारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और निर्माण क्षेत्र की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशानिर्देशों का आंशिक संशोधन।
21 नवंबर	विनियमित संस्थाओं (आरई) की ऋण आस्तियों को अवमानक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अल्पकालिक स्थगन की अनुमति दी गई। इस अनुदेश के अंतर्गत, किसी ऋण खाते को अवमानक मानने के लिए संबंधित विनियमित संस्था के लिए लागू सीमा से 60 अतिरिक्त दिनों की अनुमति प्रदान की गई है। यह छूट 1 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच देय भुगतान पर ही उपलब्ध होगी।	भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मौजूदा ₹500 और ₹1000 के नोटों (एसबीएन) का वैध मुद्रा दर्जा वापस लेने के परिणामस्वरूप, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण चुकाने के लिए कुछ और समय देने की आवश्यकता को देखते हुए, अपने आय को मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसी) मानदंडों में इस अल्पकालिक परिवर्तन की अनुमति दी है।
1 दिसंबर	बड़े एक्सपोजरों (एलई) (अप्रैल 2014) पर 31 मार्च 2019 से बीसीबीएस मानकों को लागू करने की दृष्टि से बड़े एक्सपोजरों से संबंधित प्रारूप संरचना पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए। बड़े एक्सपोजरों से संबंधित संरचना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं : 1. प्रत्येक प्रतिपक्ष और अंतर्सबद्ध प्रतिप्रक्षों के समूह के संबंध में बड़े एक्सपोज़रों की सीमा को पात्र पूंजी आधार के क्रमशः 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाएगा। 2. पात्र पूंजी आधार को वर्तमान के पूंजी निधि की तुलना में बैंक की टियर 1 पूंजी के रूप में निर्धारित किया जाएगा। 3. अंतर्सबद्ध प्रतिप्रक्षों के समूह को 'नियंत्रण' और 'आर्थिक निर्भरता' मानदंडों के आधार पर चिह्नित किया जाएगा।	कुछ एकल या अंतर्सबद्ध प्रतिप्रक्षों के लिए बैंकों के बड़े एक्सपोजर से उत्पन्न संकेंद्रण जोखिम चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 1989 से इस संबंध में एकल और समूह एक्सपोज़र मानदंड निर्धारित किए हुए हैं। बड़े एक्पोज़रों के निपटान के लिए व्यापक विविध राष्ट्रीय विनियमों के बीच एकरूपता विकसित करने के लिए, बीसीबीएस ने अप्रैल 2014 में 'बड़े एक्सपोज़रों का आकलन करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए पर्यवेक्षी ढांचे' के संबंध में मानक जारी किए थे। रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकों के लिए इन मानकों को उचित ढ़ंग से अपनाने का निर्णय लिया है। ये मानक नियंत्रण और आर्थिक अंतरनिर्भरता के आधार पर अंतर्सबद्ध प्रतिप्रक्षों के समूह को 'नियंत्रण' के आधार पर परिभाषित करने और ऐसे समूहों के लिए एक्सपोज़र सीमा को कम करने का प्रस्ताव करते हैं। इन मानकों में सामूहिक निवेश उपक्रमों (सीआईयू), प्रतिभूतिकरण माध्यमों (वीकलों) और अन्य संरचनाओं के लिए “लुक थ्रू अप्रोच” (एलटीए) को अपनाने का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे कि संबंधित प्रतिपक्षियों का निर्धारण किया जा सके।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)		
1 सितंबर	राष्ट्रीय पण्य व्युत्पन्नी बाजारों के लिए जोखिम प्रबंध के अतिरिक्त मानक जारी किए गए। इनमें जोखिम का कम से कम 2-दिवसीय मार्जिन, सुपुर्दगी अवधि, बहियों को पुन: समामेलित करने के लिए उठाए गए कदम, संकेंद्रण मार्जिन एवं राष्ट्रीय पण्य व्युत्पन्नी बाजार के लिए डिफॉल्ट वाटरफाल्स शामिल होंगे ।	जोखिम प्रबंध ढांचे को सरल और सुदृढ़ बनाना तथा राष्ट्रीय पण्य व्युत्पन्नी बाजारों में किसी भी प्रकार के प्रणालीगत जोखिम को टालना।
7 सितंबर	सूची से अनिवार्य रूप से हटाई गई कंपनियों, जिनके शेयरधाकों के छोड़ने के प्रस्ताव (इक्जिट ऑफर) पूर्णता के लिए लंबित है, के प्रवर्तकों और पूर्ण-कालिक निदेशकों पर पाबंदी लगाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए।	सूची से अनिवार्य से हटाए जाने के मामले में सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए छोड़ने के प्रस्ताव (इक्जिट ऑफर) का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
20 सितंबर	समेकित लेखा विवरण (18 मार्च 2016 के दिशानिर्देशों के सह-पठित 20 सितंबर 2016 के दिशानिर्देश) में बढ़े हुए प्रकटीकरण (अर्थात वितरकों को भुगतान किया गया कमीशन, औसत कुल व्यय अनुपात) पर दिशानिर्देश	निवेशकों को प्रदान की जाने वाली सूचना में पारदर्शिता बढ़ाना।
23 सितंबर	पण्य व्युत्पन्नी दलालों के लिए विनियामकीय ढांचा जारी किया गया।	इक्विटी और पण्य व्युत्पन्नी बाजारों में दलालों के लिए विनियामकीय प्रावधानों को समरूप बनाना।
10 अक्तूबर	गैर-अमान्यताप्राप्त/गैर-परिचालनरत/बहिर्गमित शेयर बाजारों की विशेष रूप से सूचीबद्ध कंपनियों (ईएलसी) को प्रसार बोर्ड (डीबी) के समक्ष रखा गया।	विशेषरूप से सूचीबद्ध कंपनियों (ईएलसी) के शेयरधारकों को बहिर्गमन (एग्जिट) विकल्प प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करना।
26 अक्तूबर	'सूचीकरण विनियमों के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के डीमैट खातों की फ्रीजिंग' पर दिशानिर्देश जारी किए गए।	सेबी सूचीकरण विनियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने और विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के कारोबार के निलंबन और निरसन के लिए मानक परिचालनात्मक प्रक्रिया के लिए निर्धारित 'एकरूप स्पष्ट संरचना' के संबंध में प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
1 नवंबर	'क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के लिए संवर्धित मानक' जारी किए गए। इनका लक्ष्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की नीतियों में अधिक पारदर्शिता लाना, उद्योगों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का संवर्धन करना, और इस प्रकार निवेशकों के लिए रेटिंग की समझ को सहज बनाना है। इस परिपत्र में व्यापक रूप से निर्गमकर्ता के असहयोग के मामले में नीतियों, रेटिंग समिति के सदस्यों की जवाबदेही और उनके हितों के टकराव को व्यवस्थित करना, सीआरए द्वारा जारी की जाने वाली प्रेस प्रकाशनियों के प्रारूप का मानकीकरण तथा अन्य बातों के बीच उनकी वेबसाइटों पर प्रकटीकरण को कवर किया गया है।	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वित्तीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर यांत्रिकी निर्भरता कम करना वैश्विक वित्तीय संकट के समय में वित्तीय स्थिरता बोर्ड का प्रमुख सुधार एजेंडा था। तथापि, साख के वैकल्पिक मानकों को ढूंढ़ने की चुनौतियों और जोखिम आकलन के अपर्याप्त वैकल्पिक आंतरिक मानकों के कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत और अन्य विकासशील देशों में क्रेडिट रेटिंग की महत्वपूर्ण प्रदाता बनी हुई हैं। इस पृष्ठभूमि में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की प्रक्रियाओं और नीतियों में उच्चतर पारदर्शिता से ऐसी रेटिंगों के उपयोगकर्ताओं द्वारा इन्हें दी गई रेटिंगों की बेहतर समझ में वृद्धि हो सकती है।
23 नवंबर	सेबी के बोर्ड का निर्णय - एफपीआई को गैर-सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।	गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में निवेशकों का आधार बढ़ाना
23 नवंबर	सेबी बोर्ड का निर्णय - सूचीबद्ध निवेशी कंपनियों के प्रवर्तकों, निदेशकों और महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्षतिपूर्ति करार करने वाले निजी इक्विटी फंडों के लिए प्रकटीकरण और शेयरधारकों के अनुमोदन को लागू करने के लिए सूचीकरण विनियमों में संशोधन	संभावना-युक्त अनुचित तरीकों पर रोक लगाना।
3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)		
12 जुलाई	भुगतान जारी करने के लिए अग्रिम चुकौती वाउचर का आग्रह नहीं करना	पॉलिसी धारकों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण ने जीवन बीमा धारकों को सूचित करते हुए "अग्रिम चुकौती वाउचर के गैर-निष्पादन के कारण भुगतान को रोकने अथवा विलंब नहीं करने और अपनी संविदागत प्रतिबद्धताओं के निष्पादन के लिए पॉलिसी धारकों को पॉलिसी का भुगतान करने" के विषय में दिशा-निर्देश जारी किए है।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
18 जुलाई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016	• पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त मानक • स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में नवोन्मेष की संभावना को बढ़ाना • पॉलिसीधारक के अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करने की पद्धति विकसित करना • समूह स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।
05 अगस्त	प्राधिकार ने आईआरडीएआई (सूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनियां) दिशा-निर्देश, 2016 जारी किए गए। ये दिशा-निर्देश उन सभी बीमाकर्ताओं पर लागू है जिन्होंने अपने इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कर दिया है या वे अपने शेयरों को सूचीबद्ध करवाने की प्रक्रिया के अधीन है। ये दिशानिर्देश आईआरडीए (जीवन बीमा कारोबार करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी जारी किया जाना) विनियमन, 2015 एवं आईआरडीए (जीवन बीमा से इतर कारोबार करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी जारी किया जाना) विनियमन 2015 के अतिरिक्त हैं, और इनके अंतर्गत प्रवर्तक की न्यूनतम शेयर धारिता एवं शेयरों के अंतरण से संबंधित प्रावधान आते हैं। यदि ऐसे बीमा मध्यस्थ अपने राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बीमा के कारोबार से प्राप्त कर रहे हों, तो ये दिशानिर्देश किसी प्राधिकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ पर भी लागू होंगे।	इन दिशा-निर्देशों को परिचालनगत पहलुओं जैसे कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की निगरानी, शेयर हस्तांतरण के अनुमोदन, निवेशकों के विभिन्न वर्गों की धारिता सीमा इत्यादि, बीमाकर्ताओं के सूचीबद्ध करने संबंधी समाधान के लिए जारी किया गया है।
07 नवंबर	जीवन बीमा के लिए बिक्री केंद्र के (पीओएस) व्यक्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश	ये दिशा-निर्देश बिक्री केंद्र के व्यक्तियों द्वारा सामान्य सरल उत्पादों के विपणन की अनुमति प्रदान करते है जो बड़ी संख्या में लोगों तक जीवन बीमा की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने और बीमा की व्यापकता तथा घनत्व बढ़ाने पर केंद्रित है।
07 नवंबर	जीवन बीमा के लिए बिक्री केंद्र के (पीओएस) उत्पादों के संबंध में दिशा-निर्देश	ये दिशा-निर्देश बिक्री केंद्र के (पीओएस) व्यक्तियों द्वारा बिक्री करने के लिए उपयुक्त उत्पादों से संबंधित है।
4. पेंशन निधि विनियामकीय और विकास प्राधिकरण (पीएफडीआरए)		
04 नवंबर	अभिदाता की आयु और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार विभिन्न आस्ति श्रेणियों के अंतर्गत आस्तियों का पूर्व-नियोजित विविधीकरण प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के अभिदाताओं हेतु उपलब्ध जीवन चक्र निधि के अतिरिक्त दो नई लाइफ साइकिल निधियां (एलसी 75 और एलसी 25) प्रारंभ की गई है।	विवेकपूर्ण निवेशक व्यवस्था में अभिदाता की जोखिम वहन क्षमता के अनुसार उचित निधि-आयु आबंटन और आस्ति श्रेणियों में विवधीकरण किया जाता है। तथापि, आस्ति आबंटन के विकल्पों का चयन करने में असमर्थ और अनिच्छुक लोगों के लिए लाइफ साइकिल फंड न सिर्फ निधि प्रबंध का एक आसान और पेशेवर तरीका उपलब्ध करवाते हैं अपितु निवेशक को उसकी आयु के आधार पर जोखिम स्तर के अनुसार अपने पोर्टफोलियो के पर्याप्त रूप से विविधीकरण और पुनर्सन्तुलन का एक पूर्व-नियोजित अवसर भी प्रदान करते है। लाइफ साइकिल फंड वैश्विक स्तर पर स्वीकृत सर्वोतम प्रथा 'बढ़ती आयु के साथ घटती जोखिम वहन क्षमता' पर आधारित है। वर्तमान में, एनपीएस अभिदाताओं को एनपीएस के अंतर्गत एक लाइफ साइकिल फंड विकल्प प्रदान किया जाता है जिसमें इक्विटी आंबटन को आरंभ में 50 प्रतिशत रखा जाता है जिसे कम करके सेवानिवृत्ति के समय तक 10 प्रतिशत कर दिया जाता है। यह लाइफ साइकिल फंड निजी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए भी एक डिफॉल्ट विकल्प है। अब, बाजपेयी समिति की सिफारिशों के अनुसार दो और लाइफ साइकिल फंडों को प्रारंभ किया गया है, (क) महत्वाकांक्षी लाइफ साइकिल फंड - जिसमें पहली बार के अभिदाता को 75 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश की अनुमति होगी जिसको सेवानिवृत्ति के समय तक कम करके 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा (ख) परंपरागत लाइफ साइकिल फंड - जिसमें इक्विटी में अधिकतम एक्सपोजर 25 प्रतिशत होगा जिसमें अभिदाता के सेवानिवृत्ति के समीप पहुंचने पर 5 प्रतिशत तक कम कर दी जाएगी।

दिनांक	उपाय	औचित्य/प्रयोजन
04 नवंबर	एक अलग आस्ति श्रेणी "ए" (वैकल्पिक निवेशों के लिए) बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसमें निजी क्षेत्र के एनपीएस अभिदाताओं के लिए मौजूदा आस्ति श्रेणी ई, सी और जी के अतिरिक्त एक अलग आस्ति श्रेणी 'ए' (वैकल्पिक निवेशों के लिए) का सृजन किया जाना है। आस्ति श्रेणी 'ए' में किए गए निवेश में निम्नलिखित शामिल होगें - 1. वाणिज्यिक बंधक आधारित प्रतिभूतियां अथवा आवासीय बंधक आधारित प्रतिभूतियां 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित स्थावर संपदा निवेश न्यास द्वारा जारी इकाइयां 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां 4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित आधारभूत संरचना निवेश न्यासों की इकाइयां । 5. सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ श्रेणी I एवं II)	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भविष्य निधि जैसे संस्थागत निवेशक वैकल्पिक निवेशों को विविधीकरण के एक उपकरण के रूप में उनके लाभ (पोर्टफोलियो में अन्य परंपरागत आस्तियों के साथ कम अथवा नकारात्मक सहसंबंधों के कारण), कम अस्थिरता और उच्चतर जोखिम समायोजित प्रतिलाभों की वजह से एक संभावना-युक्त राजस्व अर्जक मानते है। वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश से जोखिम विविधीकरण और प्रतिलाभ अधिकतम करने में सहायता मिलती है क्योंकि इन आस्ति श्रेणियों के प्रतिलाभ परंपरागत आस्ति श्रेणियों के प्रतिलाभों से प्रत्यक्ष तौर पर सहसंबंधित नहीं है। अन्य आस्ति श्रेणियों में किसी भी प्रकार के डाउनट्रेंड की इन लिखतों और अन्य के पारस्पारिक अर्जित प्रतिलाभ से कुछ हद तक क्षतिपूर्ति हो सकती है। इसलिए, वैकल्पिक निवेश निधियों के प्रारंभ और एक अलग आस्ति श्रेणी - ए (वैकल्पिक निवेश) के सृजन से पेंशन निधियों को पोर्टफोलियो विविधीकरण की अनुमति मिलेगी और इस प्रकार विशेष परंपरागत आस्ति श्रेणियों से संबंधित जोखिम में कमी होगी तथा उनको अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्ति में भी सहायता प्राप्त होगी।

खंड 'ख'

अन्य गतिविधियां

I. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)

3.9 जून 2016 में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक (5 जुलाई 2016 को एफएसडीसी की 15वीं बैठक) आयोजित की जा चुकी है जिनमें बैंकों के एनपीए, सरकार की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाओं के लिए मजबूत विनियामकीय ढांचा विकसित करने, वित्तीय क्षेत्र के सभी उप-क्षेत्रों में से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों (एसआईएफआई) की पहचान करने के लिए समग्र योजना तथा एफसीएनआर में जमाराशियों के बदले 2013 में हुई छूट-प्राप्त अदला-बदली की परिपक्वता के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित दबाव के मुद्दों पर चर्चा की गई।

3.10 एफएसडीसी की उप समिति ने 29 अगस्त 2016 को बैठक (एफएसडीसी-एससी की 18वीं बैठक), जिसमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) - भारत की समकक्ष समीक्षा (पीअर रिव्यु) रिपोर्ट, भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट, सांविधिक आंकड़ा प्रबंध केंद्र (एफडीएमसी)[15] की स्थापना संबंधी प्रस्तावित विधेयक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत निश्चित न्यूनतम प्रतिलाभ योजना (एमएआरएस) एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्पॉट एक्सचेंजों के मुद्दों पर चर्चा की गई। उप समिति द्वारा विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों (एसएलसीसी) की कार्य पद्धति और उनकी सहायता करने वाले तकनीकी समूहों की कार्य प्रणाली की भी समीक्षा की गई। अप्रैल 2016 को आयोजित उप समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने स्वर्ण से संबंधित मुद्दों पर एक कार्यदल की स्थापना की है और सेबी द्वारा सुप्रबंधकता संहिता (स्टीवार्डशिप कोड) पर एक समिति का गठन किया गया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनटेक तथा डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-विनियामकीय कार्य दल की स्थापना के साथ-साथ घरेलू वित्त पर एक अन्य समिति की भी स्थापना की है।

II. बैंकिंग क्षेत्र

क्षमता निर्माण

3.11 विनियामकीय उद्देश्यों के कार्यान्वयन और पूर्ति के लिए विनियमित संस्थाओं में प्रभावी और समर्थ मानव संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) द्वारा बैंकों और गैर-बैंकों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण मध्यवर्तन (ट्रेनिंग इंटरवेंशन) को युक्तिसंगत बनाने और बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के संबंध में परिवर्तन

[15] वित्त मंत्रालय, वित्त मामलों के प्रभाग ने मई 2016 में भारत में वित्तीय आंकड़ों के प्रबंध के विधिक ढांचे का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही सार्वजनिक की जाएगी।

संबंधी सुझावों के विषय में की गई गैर-विधायी सिफारिशों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक 'क्षमता निर्माण समिति' (जुलाई 2014) का गठन किया है। अगस्त 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और एआईएफआई की क्षमता निर्माण करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है, जिनमें समिति की कुछ अनुशंसाओं को स्वीकार करने को कहा गया है। बैंकों को महत्वपूर्ण उतरदायित्वों को संभालने के लिए तैनात किए जाने वाले स्टाफ के प्रमाणीकरण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा इसकी शुरूआत निम्नलिखित के लिए अनिवार्य प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने की आवश्यकता से की जा सकती है - (i) ट्रेजरी परिचालन - डीलरों, मध्यवर्ती कार्यालयों के परिचालन; (ii) जोखिम प्रबंधन - ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम, पूर्ण-उदयम में व्याप्त जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम : (iii) लेखांकन - वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य; और (iv) ऋण प्रबंधन - ऋण मूल्यांकन, रेटिंग, निगरानी, क्रेडिट अभिशासन।

बैंक पर्यवेक्षण - चिंताएं और गतिविधियां

प्रौद्योगिकी में धोखाधड़ी और परंपरागत बैंकिंग वातावरण

3.12 हाल के दिनों में, प्रौद्योगिकीय वातावरण में एटीएम पर मालवेयर के हमलों, एटीएम में स्किमिंग धोखाधड़ी, कर्मचारियों द्वारा स्विफ्ट (एसडब्लूआईएफटी) संदेशों के दुरुपयोग और किसी बैंक के स्विफ्ट संदेश प्रणाली पर हमलों के मध्यम धोखाधड़ियों में बढ़ोतरी हुई है। अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में एटीएम की मौजूदगी और जन धन योजना के अंतर्गत एटीएम कार्ड धारक नए ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि एटीएम का परिचालन सुरक्षित माहौल में किए जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस विषय में चेतावनी और विशेष अनुदेश जारी किए हैं तथापि, बैंकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

3.13 आयात अग्रिम / भुगतान के रूप में व्यापक स्तर पर विदेशी मुद्रा विप्रेषण के कई मामले सामने आए हैं। बैंकों का इस प्रकार के पक्षों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रेषण करने वाली पार्टियों से कोई क्रेडिट एक्सपोजर नहीं है, परन्तु इस प्रकार के विप्रेषणों के लिए बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय है और इसलिए बैंकों को व्यापक अभिशासन की सहायता के लिए अपने आंकड़ों के विश्लेषण में सतर्कता और रिपोर्टिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करना होगा। रिज़र्व बैंक ने इस विषय में अपने नियामकीय और पर्यवेक्षी अनुदेशों को और मजबूत किया है और भारत में कई बैंकों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत जारी अनुदेशों के उल्लंघन के लिए दंडित भी किया है। इसी प्रकार से, चालू खाता खोलने के संबंध में आरबीआई के अनुदेशों का उल्लंघन और बैंकों द्वारा उन ग्राहकों को जो उनके नियमित उधारकर्ता नहीं हैं, को गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं (बिल/एलसी पुनर्भुनाई/ गारंटी) प्रदान किए जाने की घटनाओं पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

बैंकों का साइबर सुरक्षा जोखिम लेखा-परीक्षा की दिशा में कदम

3.14 भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर बड़ी साइबर सुरक्षा घटनाओं के संभावित प्रभाव को स्वीकार करते हुए 2015 में साइबर सुरक्षा और आईटी परीक्षण (सीएसआईटीई) कक्ष की स्थापना की। जून 2016 में, सर्वोत्तम प्रथाओं को समाहित करते हुए "बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे" के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बैंकों की साइबर अवसंरचना और अभिशासन प्रथाओं की सुदृढ़ता का आकलन करने के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण से स्वतंत्र आईटी परीक्षण और विषय-क्षेत्र-संबंधी अध्ययन किए गए। बैंकों में साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी - इन) के साथ मिलकर साइबर ड्रिल भी किए गए।

वर्ष की समाप्ति तक आरबीएस के अंतर्गत पूर्ण कवरेज

3.15 वर्ष 2012-13 में प्रारंभ किए गए जोखिम और पूंजी आकलन के पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) को भारत में परिचालनरत सभी बैंकों के लिए तीन पर्यवेक्षी चक्रों के दौरान सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया जिसमें बैंकिंग सिस्टम की 65 प्रतिशत से अधिक आस्तियों और देयताओं को शामिल किया गया है। जबकि नए लाइसेंस प्राप्त बैंक प्रारंभ से ही वर्ष 2016-17 के पर्यवेक्षी चक्र से इस पर्यवेक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल होंगे जबकि सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को एसपीएआरसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है।

III. भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) का कार्यान्वयन

3.16 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने फरवरी 2015 में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 अधिसूचित किया है। एमसीए ने जनवरी 2016 में बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, चुनिंदा अखिल भारतीय आवधिक ऋण प्रदान करने वाली और पोषण पुनर्वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं और बीमा संस्थाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस), को समाहित करने वाले भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप का खाका तैयार किया है। भारत के वर्तमान लेखांकन ढांचे को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया इस वित्तीय वर्ष के दौरान विशिष्ट कॉर्पोरेट श्रेणियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानक अपनाने के साथ प्रारंभ हो चुकी है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी एवं अगस्त 2016 में जारी निर्देशों के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एआईएफआई को, 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधि से, भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने होंगे।

3.17 बीमा कंपनियों को भी 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानकों के आधार पर तैयार करना होगा। आईआरडीएआई ने भारतीय मानकों के कार्यान्वयन की उलझनों की जांच, कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के समाधान और भारतीय बीमा क्षेत्र में भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप बनाने के संबंध में परिचालनगत दिशा-निर्देशों के निरूपण के अधिदेश के साथ लेखाकारों, बीमांकिकों, उद्योग विशेषज्ञों और प्राधिकरण के अधिकारियों के एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया है।

IV. भुगतान और निपटान प्रणालियां

3.18 भुगतान और निपटान प्रणालियां (पीएसएस) वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना (एफएमआई) के भाग के रूप में सक्षम तथा स्थिर वित्तीय प्रणाली और समग्र अर्थव्यवस्था के सुचारु तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि एफएसआर के पूर्व अंकों में बताया जा चुका है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और वैश्विक नियामकीय सुधारों के कार्यान्वयन में सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है जिसमें एफएमआई के साथ संबंधित प्रणालीगत जोखिमों के पर्याप्त समाधानों की अपेक्षा की जाती है।

3.19 रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली[16] (स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आने वाली प्रणालियों के अलावा) के लिए नियामकीय और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के रूप में बड़ी संख्या में भुगतान संबंधी लेनदेन, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक (गैर नकदी) रूप में उच्च मूल्य के लेनदेन करने के लिए आसान बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। कुल लेनदेन में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का हिस्सा मात्रा के रूप में 74.6 प्रतिशत से बढ़कर 84.4 प्रतिशत हो गया है जो मूल्य के रूप में 95.2 प्रतिशत से अधिक होता है। इन लेनदेन के एक बड़े हिस्से को आरटीजीएस और सीसीआईएल द्वारा किया जाता है, किंतु खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों और मोबाइल भुगतानों के हिस्से में भी लगातार वृद्धि हो रही है (चार्ट 3.2)।

चार्ट 3.2 : भुगतान प्रणालियों* में विभिन्न श्रेणियों की हिस्सेदारी

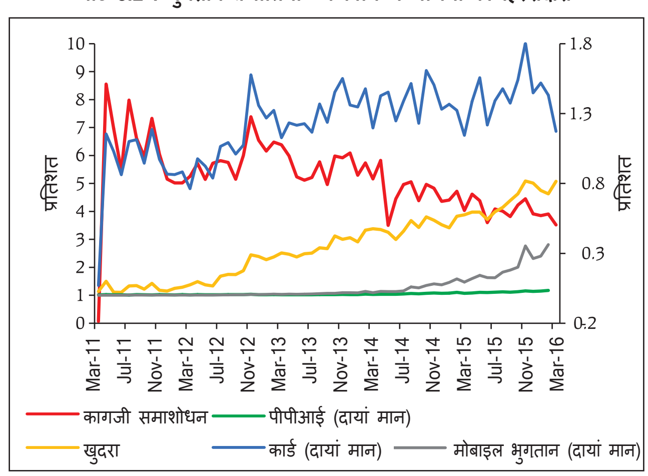

टिप्पणी :* आरटीजीएस और सीसीआईएल के हिस्से को छोड़कर।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

[16] भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन ।

Chart 3.3: Trends in usage of credit cards and debit cards

3.20 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में लेनदेन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत भुगतान के लिए कार्ड (क्रेडिट और डेबिट कार्ड) के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है (चार्ट 3.3)।

3.21 नकदी अर्थव्यवस्था के आकार को कम करने की दिशा में उठाए गए हाल के कदमों से डिजिटल मुद्रा एवं इसके समतुल्यों का प्रयोग तेजी से बढ़ने की संभावना है। रिज़र्व बैंक ने अपने 'विजन 2018' दस्तावेज में पुन:आश्वस्त किया है कि "कम नकदी" वाले समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह समाज के सभी तबकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आगे और कदम उठाएगा । सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सुलझाने के अलावा वर्तमान भारतीय संदर्भ में नकदी के प्रति झुकाव को कम करने के लिए अपेक्षाकृत बड़े 'सांस्कृतिक' परिवर्तन लाने के लिए अन्य उपाय किए जाने की जरूरत होगी । भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को नकदी लेनदेन के करीब लाने के लिए लेनदेन के इलेक्ट्रॉनिक और नकदी प्रकारों के बीच उत्पन्न होने वाले टकराव को न सिर्फ सहजता बल्कि लागत की दृष्टि से भी सुलझाए जाने की आवश्यकता है ।

चार्ट 3.3 : क्रेडिट एवं डेबिट कार्डों के अनुप्रयोग की प्रवृत्ति

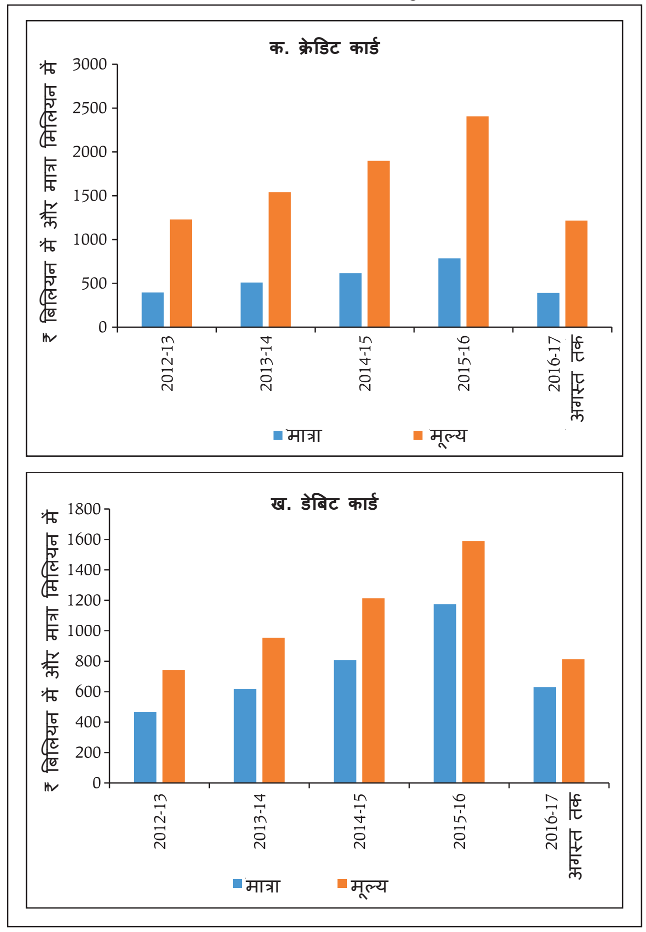

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

V. वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिन टेक) और विनियामक प्रौद्योगिकी (रेग टेक)

3.22 वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। बाजार के प्रतिभागी, विशेषकर प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप्स के साथ ही नियामक और केंद्रीय बैंकों में भी वित्तीय सेवाओं के संबंध में प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लक्षित, जोखिम-आधारित निर्णय लेने में गति, गुणवत्ता एवं सूचना की समग्रता में सुधार लाने संबंधी वित्तीय विनियमन, पर्यवेक्षण और नीति निर्माण का भविष्य प्रौद्योगिकी और आंकड़ों के प्रयोग पर निर्भर है। रेग टेक से वित्तीय संस्थानों के लिए अनुपालन की लागत कम हो सकती है और प्रणाली में सहभागिता के लिए ग्राहक का भरोसा मजबूत हो सकता है । दुनिया भर में विनियामक विनियामकीय प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकीय एप्लीकेशनों को अपनी आवश्यकतानुरूप तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकीय फर्मों के साथ अग्रसक्रिय होकर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं । बहुत से अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत नए उत्पादों/सेवाओं की परख करने तथा विनियामित के साथ ही साथ गैर-विनियामित संस्थाओं को सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विनियामकीय सेंडबॉक्स तथा नवोन्मेषी हब स्थापित किए गए हैं। विशिष्ट रुप से उन्नत अधिकार क्षेत्रों ने "नवोन्मेष त्वरकों" की स्थापना की है जो वृद्धि को तेज करने के लिए नवोन्मेषकर्ताओं/फिन टेक प्रदाताओं और/या पदग्राही फर्मों तथा आधिकारिक क्षेत्र के प्राधिकारियों के बीच एक भागीदारी व्यवस्था होती है। विनियामकों द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी, जो रेग टेक के नाम से लोकप्रिय है, की चर्चा बॉक्स 3.2 में की गई है।

बॉक्स 3.2 : विनियामक प्रौद्योगिकी (रेग टेक)

उन्नत एप्लीकेशन, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉक-चेन और मशीन लर्निंग (जिन्हें सामूहिक रूप से 'फिन टेक' कहा जाता है) के माध्यम से वित्तीय आंकड़ों और लेनदेन की अखंडता का संरक्षण करते हुए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में अभिकलनात्मक और नेटवर्क प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से वित्त कारोबार को पूर्ण रूप से एक नया दृष्टिकोण मिला है। कारोबारी फर्मों, ग्राहकों के साथ-साथ नीति निर्माताओं और विनियामकों को फिनटेक क्षेत्र की प्रवृत्तियों और विकास को पहले कदम की अनिवार्य शर्त के रूप में निहित जोखिमों सहित समझने और अपनाने की आवश्यकता है। इसने प्राधिकरणों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है चूंकि दक्षता और वित्तीय समावेशन में सुधार की इसकी संभावना, त्वरित नवोन्मेषों (अर्थात् वर्चुअल मुद्रा, पी2पी ऋण) ने जहां एक ओर आंकड़ों की सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण के संबंध में जोखिमों और चिंताओं को जन्म दिया है वहीं दूसरी ओर स्वयं मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता पर संभावनायुक्त दूरगामी प्रभाव डाला है। ये विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है परन्तु डिजिटल मुद्राओं पर प्रारंभिक चिंता के बाद विश्व-भर के कई केंद्रीय बैंक अपनी स्वयं की डिजिटल मुद्राएं बनाने की व्यवहार्यता की जांच कर रहे हैं।

फिन टेक को मुख्यतः नई वेव प्रौद्योगिकीय स्टार्ट-अप्स द्वारा लाई गई प्रतिस्पर्धी ताकतों द्वारा आगे बढ़ाया गया है किंतु विनियामकीय और पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग के बदलते परिवेश विशेषकर अधिकार-क्षेत्र संबंधी और प्रायः असंगत अथवा भिन्न विनियामकीय फ्रेमवर्क के साथ तारतम्य स्थापित करने में वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों के साथ ही विनियामकों को भी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विनियमित कंपनियों के लिए अनुपालन की बढ़ती लागत के अतिरिक्त जटिलता और सूचना सघन पर्यवेक्षण की आवश्यकता भी विनियामकों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जिनको सूचनाओं के भंडार में अपना विवेक प्रयोग करना होगा।

रेगटेक जो, फिनटेक का विस्तारित रूप है, ऐसी चुनौतियों के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया है। आईबीएम द्वारा हाल ही में प्रामन्टोरी, जो एक अग्रणी 'जोखिम प्रबंधन और विनियामक अनुपालन' परामर्शदात्री फर्म है और जिसके स्टाफ में एसईसी, फेड और अन्य विनियामकों के पूर्व कर्मचारी शामिल हैं, का अधिग्रहण रेगटेक बाजार की आवश्यकताओं को एक मानव-मशीन की सहजीविता (मानव के विशेषज्ञ ज्ञान और संज्ञानात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफार्म) के माध्यम से पूरा करने का एक प्रयास है।

एक परिप्रेक्ष्य से, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम (यूके)[1] के वित्तीय आचार प्राधिकार (एफसीए) द्वारा परिभाषित किया गया है, रेगटेक को फिनटेक के संसार के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसके संदर्भ में कहा गया है, "वह प्रौद्योगिकी जो नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी मौजूदा क्षमताओं को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने में सहायक हो" । तथापि, एक बृहद् परिप्रेक्ष्य में रेगटेक को वित्तीय सेवा विनियमन के अगले तार्किक विकास के रूप में देखा जा सकता है, "…. जो अनवरत निगरानी क्षमता की संभावना प्रस्तुत करती है, जो गहन अध्ययन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों की कार्य-प्रणाली के संबंध में वास्तविक समय के समान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है किसी घटना के बाद सिर्फ प्रवर्तनात्मक कार्रवाई करने की बजाय पहले ही समस्या को चिह्नित करती है"[2]

अंतर्राष्ट्रीय वित संस्थान (आईआईएफ)[3] की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रेगटेक समाधान के विकास से जोखिम आंकड़ों के समेकन संबंधी प्रक्रिया; मॉडलिंग, परिदृश्य विश्लेषण (सिनारियो एनालिसिस) और पूर्वानुमान लगाने; भुगतान अंतरणों की निगरानी, ग्राहकों और विधिक व्यक्तियों को पहचानने, किसी वित्तीय संस्थान की आंतरिक संस्कृति और व्यवहार की निगरानी, वित्तीय बाजारों में कारोबार करने, और वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू नए विनियमों की पहचान करने में सहायता मिलेगी।

नियामक विकास के अलावा फिनटेक प्रक्रिया ने वित्तीय उद्योग को साइबर हमलों और अन्य प्रकार की साइबर धोखाधड़ियों के लिए अधिक असुरक्षित बना दिया है। रेगटेक को ऐसे खतरों और जोखिमों की प्रतिक्रिया के रूप मे देखे जाने की आवश्यकता है। 'अपने ग्राहक को जानिए' और 'धन-शोधन निवारण' से संबंधित प्रक्रियाओं के स्वचालन को रेगटेक के साधारण उपयोग का एक उदाहरण समझा जा सकता है।

रेगटेक का विषय-क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है क्योंकि फिनटेक में धन के डिजिटलीकरण से लेकर आंकड़ों, नियामकीय फ्रेमवर्क विशेषतः सूक्ष्म विवेकपूर्ण नीति साधनों के मुद्रीकरण से संबंधित चुनौतियों जैसे कि आंकड़ो की सत्यता, आंकड़ों की संप्रभुता और गणितीय (एल्गोरिथ्म) पर्यवेक्षण से निपटने के लिए रेगटेक के विकास के माध्यम से सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

1. (एफसीए), यूके 'काल फॉर इनपुट : सपोर्टिंग द डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ रेग टेक' (https://www.fca.org.uk/news/news-stories/call-input-supporting-development-and-adoption-regtech)

2. आर्नर, डगलस डब्लू, जेनॉस बारबेरिस एवं रॉस पी. बकले (आगामी) "फिन टेक, रेग टेक एंड रिकांसेप्चुअलाइजेशन ऑफ फाइनेंसियल रेग्युलेशन", (http://ssrn.com/abstract=2847806)

3. "वित्तीय सेवाओं में रेगटेक : अनुपालन और रिपोर्टिंग के लिए प्रौद्योगिकीय सुविधा" आईआईएफ रिपोर्ट, मार्च 2016 (https://www.iif.com/…/regtech-financial-services-solutions-compliance-and-reporting)

3.23 डिजिटल भुगतान क्षेत्र में प्रीपेड लिखत (पीपीआई) तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह अपरिहार्य होगा कि इस विषय में नई गतिविधियों में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मुद्दों का ध्यान रखा जाए। हाल ही में, अमेरिका में ग्राहक वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो (सीएफपीबी) ने वित्त की इस सबसे तेजी से बढ़ती चिंताओं में एक का विनियमन करने का निर्णय लिया है। चिंताएं इसलिए प्रकट हुईं क्योंकि ग्राहक को "तकनीकी समस्याओं" के कारण कभी-कभी अपना धन और खाता में शेष राशि नहीं मिल पा रही थी। पीपीआई जारीकर्ता के पास उपलब्ध निधि का मुक्त प्रवाह इस क्षेत्र में परिचालन का मुख्य आकर्षण है और इसका दुरुपयोग होने की आशंका है विशेषतः अप्रयुक्त निधि जब्त हो सकती है। अधिकांश उन्नत अधिकार क्षेत्रों के मामले में राजसात होने संबंधी खंड स्पष्ट हैं जिनमें मौजूदा कानूनों के अनुसार अप्रयुक्त निधि को दावारहित संपत्ति के रूप में सरकार को हस्तांतरित करना होता है, कार्ड कंपनियां ग्राहक के अनुरोध पर कार्ड को निष्क्रिय करेंगी तथा उसके मालिक को निधि उपलब्ध करवाएंगी और नया कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

VI. ऋण-शोधन अक्षमता का उदय और समाधान ढांचा

3.24 केंद्रीय बजट 17-2016 में किए गए प्रस्ताव के अनुसरण में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक विशेषीकृत समाधान प्रणाली के विकास के संबंध में 'वित्तीय फर्मों के समाधान पर संहिता' तैयार करने के लिए मार्च 2016 में एक समिति की गठन किया गया। समिति ने अभी तक सिर्फ वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा (एफआरडीआई) विधेयक2016 [17] के प्रारूप को आम जनता की टिप्पणियों के लिए रखा है।

3.25 विधेयक के प्रारूप में एक बीमा निगम (आरसी) की स्थापना प्रस्ताव है जो भारत में वर्तमान समाधान प्रणाली से संबंधित विधिक ढांचे, समाधान प्रणाली, परिसमापन, कंपनियों की कवरेज, सीमा पार सहयोग और निगरानी ढांचा की बीच अंतर को कम करके वित्तीय संस्थानों[18] के लिए प्रभावी समाधान दौर में वित्तीय स्थिरता बोर्ड के मुख्य बिंदुओं के बृहद अनुपालन में भारत की सहायता करेगा। प्रस्तावित आरसी में डीआईसीजीसी की भूमिका भी सम्मिलित होगी जो वर्तमान में केवल 'भुगतान बॉक्स' का अर्थात् असफल बैंकों के जमाकर्ताओं को बीमाकृत राशि की प्रतिपूर्ति कार्य करता है। यह फ्रेमवर्क आरसी को इस तरह स्थापित करेगा कि वह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। एफआरडीआई विधेयक 2016 की अन्य मुख्य विशेषताएं बॉक्स 3.3 में दी गई हैं।

[17] http://dea.gov.in/sites/default/files/Press_FRDI_Bill28092016.pdf : वित्त मंत्रालय की समिति का मसौदा (2016), 'वित्तीय संकल्प और जमाराशि बीमा विधेयक' http://www.finmin.nic.in/fslrc/FRDI%20Bill-27092016.pdf

[18] वित्तीय स्थिरता बोर्ड (2014), 'वित्तीय संस्थानों के लिए प्रभावी संकल्प के दौर की मुख्य विशेषताएं', अक्तूबर। यह http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf पर उपलब्ध हैं ।

बॉक्स 3.3 : वित्तीय समाधान और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक, 2016

1. बोर्ड का गठन : आरसी बोर्ड में ग्यारह सदस्य होंगे जिसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करेंगे, इसमें वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए से पांच पदेन सदस्य होने के साथ-साथ तीन पूर्णकालिक सदस्य और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

2. दायरा : इस प्रस्तावित आरसी के दायरे में वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, धारक (नियंत्रक) कंपनियां, वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं और समाधान (रिजॉल्यूशन) के प्रयोजन से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्था को शामिल करने का विचार है, जबकि जमाराशि बीमा को केवल बैंकों तक ही सीमित कर दिया जाएगा। ऐसी संस्थाएं जिन्हें आरसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, उदाहरण के लिए, समाधान के प्रयोजन से कवर्ड सेवा प्रदाता (सीएसपी- उपर्युक्त वर्णित सभी संस्थाएं) और जमा बीमा के प्रयोजन से बीमाकृत सेवा प्रदाता (आईएसपी- केवल बैंक)।

3. आरसी की शक्तियां और कार्य : आरसी इस विधेयक में वर्णित अन्य कार्यकलापों के अलावा जमा बीमा उपलब्ध कराएगी, किसी सीएसपी की संभाव्यता जोखिम तय करेगी, किसी सीएसपी की जांच, समाधान करेगी और किसी सीएसपी के लिए परिसमापक का कार्य करेगी।

4. जांच-पड़ताल, छानबीन, अभिग्रहण और निरीक्षण की शक्तियां: ऐसी कोई सीएसपी जिसे किसी उपयुक्त विनियामक या आरसी द्वारा आसन्न या संवेदनशील श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया हो, तब आरसी के पास ऐसे सीएसपी की छानबीन, अभिग्रहण और जांच-पड़ताल करने की पर्याप्त शक्तियां होंगी। जब किसी उपयुक्त विनियामक के साथ उस संस्था को महत्वपूर्ण श्रेणी में वर्गीकृत करने को लेकर मतभेद हो, तब आरसी को उस संस्था का स्वतंत्र निरीक्षण करने का अधिकार होगा। किसी संस्था के आसन्न अवस्था में होने पर आरसी निरंतर उसका निरीक्षण कर सकती है।

5. संभाव्यता जोखिम को परिभाषित करना : कुछ मानदंडों के आधार पर सीएसपी के लिए पांच स्तरीय "व्यवहार्यता जोखिम ढांचे" का प्रस्ताव किया गया है, उदाहरण के लिए (i) निम्न, (ii) मध्यम, (iii) भारी/अत्यधिक (मैटेरियल), (iv) आसन्न, और (iv) संवेदनशील। यह बोर्ड उपयुक्त विनियामक के साथ परामर्श करके कवर्ड सेवा प्रदाता को उक्त पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करने हेतु वस्तुपरक मानदंड निर्दिष्ट करेगा। प्रथम दो चरण (निम्न जोखिम व्यवहार्यता और मध्यम जोखिम व्यवहार्यता) इस प्रकार की होगी कि सीएसपी के विफल होने की संभावना स्वीकार्य स्तर से नीचे हो। इन चरणों में, आरसी को सीएसपी की जांच-पड़ताल, छानबीन या अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। इसमें केवल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं अपवाद होंगी जो अपनी वित्तीय स्थिति की कोई भी हालत होने के बावजूद "समाधान प्लान" प्रस्तुत करेंगी और इससे इन प्रतिष्ठानों के लिए सर्वोत्तम समाधान रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, किसी भी समय प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं का संयुक्त निरीक्षण संबंधित विनियामकों और आरसी द्वारा किया जा सकेगा।

6. संभाव्यता के प्रति जोखिम : ऐसे कवर्ड सेवा प्रदाता जिन्हें भारी जोखिम व्यवहार्यत में श्रेणीबद्ध किया गया है, वे निम्न और मध्यम जोखिम संभाव्यता वाले सेवा प्रदाताओं के मुकाबले जोखिम लेंगे। यह श्रेणी विफलता की स्वीकार्य संभावना सीमा का पहला उल्लंघन होने का साथ-साथ विवेकपूर्ण विनियमों की अपेक्षाओं में हुए उल्लंघनों को भी दर्शाती है। जब किसी कवर्ड सेवा प्रदाता को "भारी जोखिम संभाव्यता श्रेणी" में वर्गीकृत किया जाता है तब उस सीएसपी को एक समाधान प्लान तैयार कर उसे आरसी को भेजना होता है। उस सीएसपी को एक पुनरुद्धार योजना भी तैयार कर विनियामकों को भेजना होता है।

7. संभाव्यता के प्रति जोखिम व्यवहार्यता : कवर्ड सेवा प्रदाता की स्थिति विफलता की स्वीकार्य संभावना के काफी ऊपर है। किसी कवर्ड सेवा प्रदाता को इस प्रकार की जोखिम संभाव्यता के तहत भी वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह समाधान योजना या पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत/कार्यान्वित करने में विफल रहती है या यह निर्धारित हो जाता है कि फर्म में बड़ी धोखाधड़ी हुई हैं जिससे सीएसपी की संभाव्यता काफी प्रभावित हुई है।

8. संभाव्यता के प्रति संकटपूर्ण जोखिम: इस अवस्था में लिखित आदेश द्वारा वर्गीकरण किया जाता है। जैसे ही यह पूरा हो जाता है, वह आरसी सीएसपी की प्रशासक हो जाएगी।

9. समाधान उपाय (टूल्स) : इस विधेयक में समाधान के चार बड़े उपायों की परिकल्पना की गई है, जिन्हें तब प्रयोग किया जाएगा, जब सीएसपी को " संकटपूर्ण संभाव्यता जोखिम" श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जो इस प्रकार हैं : (i) किसी अन्य संस्था को बिक्री या उसके साथ विलय; (ii) योजक (ब्रिज) सेवा प्रदाता को आस्तियों और देयताओं का अंतरण; (iii) अबरने (बेल इन), और (iv) परिसमापन। इन समाधान साधनों से आरसी के अधिदेश को 'पे बॉक्स' से 'पे बॉक्स प्लस' में ले जाने में मदद मिलेगी। परिसमापन विकल्प पर केवल तभी विचार किया जाए जब अन्य समाधान साधन सर्वोत्तम न हों। समाधान प्रणाली के तहत निश्चित समयसीमा निर्धारित की गई है।

VII. पूंजी बाजार

म्यूचुअल फंडों का मोचन

3.26 म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियों में सितंबर 2016 में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹15,801 बिलियन हो गई, जबकि सितंबर 2015 में यह ₹11,873 बिलियन थी (चार्ट 3.4)। तथापि, अप्रैल 2015 से जुलाई 2016 की अवधि में मोचन के रुझान कुल नए संग्रहण के काफी करीब रहे हैं, वे अचानक और काफी बड़े मोचन दबाव की स्थिति के मद्देनजर बाजार संतुलन पर पड़ने वाले जोखिम की ओर इशारा करते हैं।

3.27 बड़े मोचन से होने वाले प्रणालीगत जोखिम को टालने के लिए, एएमसी को प्राधिकृत किया गया कि वे आस्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) के निदेशक मंडल और न्यासियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी विशिष्ट योजना में मोचन पर अनंतिम प्रतिबंध लगा सकें। मोचन पर प्रतिबंध के पहले के दिशानिर्देश सामान्य प्रकार के थे, और इन दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं था कि किन परिस्थितियों में मोचन पर प्रतिबंध लगाया जाना है, जिसके कारण इस उद्योग में विवेकपूर्ण प्रथाएं चल पड़ीं। इनमें और स्पष्टता लाने के साथ-ही-साथ निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए, सेबी ने मई 2016 में उन परिस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश जारी किया जिनके अंतर्गत एएमसी मोचनों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। ऐसी परिस्थितियां जिससे प्रणालीगत जोखिम होता हो, या ऐसे हालात जिससे बाजार की चलनिधि या बाजार के सुचारु परिचालन में काफी दबाव होता हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है जैसे (i) चलनिधि संबंधी मुद्दे- जब समग्र रूप से बाजार में चलनिधि की कमी हो जाए और वह किसी जारीकर्ता की विशिष्ट प्रतिभूति को प्रभावित करने के बजाय लगभग सभी प्रतिभूतियों को प्रभावित करने लगे, (ii) बाजार विफलताएं, शेयर बाजार बंद होने - जब बाजार अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित हो गया हो, जिससे शेयर बाजार के परिचालन या नियमित लेनदेन प्रभावित हो रहा हो, (iii) परिचालनगत मुद्दे - जब किसी अपरिहार्य घटना, अपूर्वानुमेय परिचालनगत समस्या और तकनीकी विफलता के कारण कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी निर्धारित किया गया कि ₹0.2 मिलियन तक का कोई भी मोचन अनुरोध ऐसे किसी प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा

चार्ट 3.4 : म्यूचुअल फंडों का जुटाव एवं मोचन

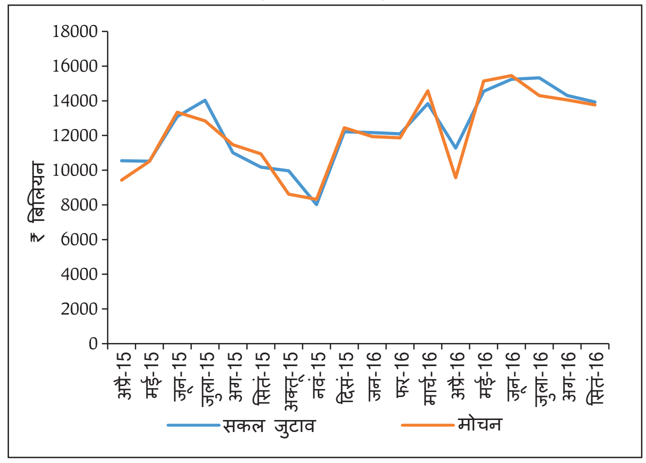

स्रोत: सेबी

और मोचन पर प्रतिबंध 90 दिवस की किसी भी अवधि में 10 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगा। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में किसी निवेशक के मोचन के अधिकार को प्रतिबंधित करने की संभावना के लिए यह जानकारी योजना के संबंधित दस्तावेजों में प्रमुखता से प्रकट किया जाना आवश्यक है।

पीएन/ओडीआई के जरिए निवेश

3.28 अपतटीय डेरिवेटिव लिखत (ओडीआई)/सहभागित नोट्स (पीएन) के जरिए होने वाले निवेश के दुरुपयोग की संभावना को दूर करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इस जरिए देश में आने वाले निवेश के स्रोत और उसके इरादे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जाए। अपतटीय डेरिवेटिव लिखत/पार्टिसिपेटरी नोट्स के निर्गम को प्रभावी रूप से विनियमित करने के लिए सेबी द्वारा समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते रहे हैं। ऐसे ही उपायों को जारी रखते हुए सेबी ने हाल ही में काले धन पर गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) की अनुशंसाओं पर उपयुक्त तरीके से विचार करते हुए अपतटीय व्युत्पन्नी लिखत (ओडीआई) के निर्गमन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।

3.29 अगस्त 2007 में पीएन का कुल मूल्य विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की अभिरक्षाधीन आस्तियों (एयूसी) के भाग के रूप में लगभग 51 प्रतिशत था, जो दिसंबर 2008 में कम होकर लगभग 20 प्रतिशत हो गया; आगे यह फिर 20 प्रतिशत के भीतर ही रहा और

धीरे-धीरे कम होकर जनवरी 2011 में 16.5 प्रतिशत हो गया। बाद में अक्तूबर 2016 में यह और कम होकर 8.8 प्रतिशत रह गया। यह स्पष्ट रूप से बीते वर्ष में सेबी द्वारा लिए गए नीतिगत प्रयासों का प्रभाव था जिनमें हाल ही में दिनांक 10 जून 2016 के परिपत्र और सेबी (विदेशी संविभाग निवेशक) विनियमन, 2014 में किए गए संशोधन शामिल हैं। यह दर्शाता है कि बढ़ती पारदर्शिता अपेक्षाओं के साथ ही, इस जरिए काले धन को लाना अप्रासंगिक हो गया है।

VIII. बीमा क्षेत्र

साधारण बीमा

3.30 भारत में प्राकृतिक आपदा/त्रासदी/संक्रामक रोग का बार-बार से घटित होना चिंता का विषय रहा है। जनता में साधारण बीमा को लेकर अल्प जागरूकता और छोटे कारोबारों का गैर-जीवन बीमा तक कम पहुंच के मद्देनजर, इस तरह की आपदाओं से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

बीमा पूल - आतंकवाद पूल एवं आणविक बीमा पूल

3.31 बीमा पूल बीमा कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करती है और त्रासदी, आंतकवाद, आणविक आदि जैसे कुछ जोखिमों से बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले दावों के प्रति सुरक्षा उपलब्ध करवाकर वित्तीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करता है। भारतीय संदर्भ में, दो ऐसे महत्वपूर्ण पूल का निर्माण किया गया जहां पर अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमा उपलब्ध नहीं था।

3.32 9/11 के बाद अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा आतंकवाद सुरक्षा वापस ले लिए जाने के बाद, भारत की सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अप्रैल 2002 में की गई पहल के फलस्वरूप भारतीय बाजार में आतंकवाद जोखिम बीमा पूल का निर्माण हुआ । इस पूल का प्रबंधन जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है और इसमें संपत्ति बीमा नीतियों के तहत आतंकवाद जोखिम बीमा को शामिल किया गया है। 01 अप्रैल 2014 से प्रत्येक स्थल की क्षतिपूर्ति सीमा पहले के ₹10 बिलियन के स्तर से बढ़ाकर ₹15 बिलियन कर दी गई है और इसमें संशोधन करते हुए प्रीमियम दरों में कमी की गई है।

3.33 वैश्विक स्तर पर बीमा के पारंपरिक रूप में आणविक जोखिम सामान्यत: शामिल नहीं है और इन अपेक्षाओं को आणविक पूल बनाकर पूरा किया जाता है। आणविक परिचालकों से अपेक्षित है कि वे नागरिक एवं आणविक देयता अधिनियम, 2010 के तहत ₹15 बिलियन का बीमा कवरेज/वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें। चूंकि भारत के पास आणविक जोखिम कवर का कोई पूल नहीं है, इसलिए उक्त अपेक्षा को पूरा करने के लिए दिसंबर 2015 में भारतीय पुनर्बीमाकर्ता जीआईसी आरई ने अन्य भारतीय साधारण बीमा कंपनियों के साथ मिलकर आणविक पूल का निर्माण किया। इस पूल का प्रबंधन जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है।

स्वास्थ्य बीमा

3.34 आईआरडीएआई द्वारा 29 जुलाई 2016 को स्वास्थ्य बीमा कारोबार में उत्पाद शुरू करने और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में मानकीकरण से संबंधित दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त मानदंड भी शामिल हैं। ये मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ, बीमाकर्ताओं के लिए यह भी निर्धारित करते हैं कि वे अपनी अंतर्निहित नीति को इस प्रकार डिजाइन करने का प्रयास करें कि उसमें निम्न-स्तरीय जीवन यापन कारने वाले लोगों को भी सुरक्षा (कवर) मिल सके। प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना अंतिम प्रयास होना चाहिए। तथापि, पहले से मौजूद बीमारियों के कारण दावे का अभी भी एक प्रमुख चिंता का विषय है।

व्यापार ऋण बीमा

3.35 अर्थव्यवस्था, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में व्यापार ऋण बीमा की बढ़ी हुई आवश्यकता के मद्देनजर, आईआरडीएआई ने मार्च 2016 में व्यापार ऋण बीमा के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में व्यापार ऋण कारोबार के दायरे को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं और साथ ही इनमें कुछ अंतर्निहित एहतियाती मानदंड भी शामिल हैं ताकि निम्मलिखित कुछ प्रतिबंधों के साथ इसके दुरुपयोग को रोका जा सके, जैसे - (i) बीमाकर्ता के लिए ऐसे किसी खरीदार के ऋण जोखिम का आकलन करने की अनिवार्यता जिसने बीमाधारक के कुल टर्नओवर के 2 प्रतिशत से अधिक अंशदान किया है, (ii) व्यापार ऋण नीति में प्रत्येक खरीदार से व्यापार प्राप्तियों के 85 प्रतिशत से अधिक की क्षतिपूर्ति की मंजूरी नहीं दी जाए; और (iii)

व्यापार ऋण बीमा के संबंध में बीमाकर्ता की समग्र निवल धारण करने की शक्ति निवल मालियत के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

IX. पेंशन क्षेत्र

एनपीएस में हुई वृद्धि

3.36 राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) अभिदातायों की संख्या और साथ ही प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के संदर्भ में अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर रही। मार्च 2015 में, इसके कुल अभिदाताओं की संख्या 8.75 मिलियन थी जो मार्च 2016 में बढ़कर 12.12 मिलियन हो गई। अक्तूबर 2016 में यह संख्या 13.77 मिलियन हो गई । मार्च 2015 में प्रबंधनाधीन आस्तियां ₹809 बिलियन मूल्य की थीं जो मार्च 2016 में बढ़कर ₹1,177 बिलियन हो गईं और अक्तूबर 2016 में यह ₹1,539 बिलियन रहीं ।

अटल पेंशन योजना के जरिए अंसगठित क्षेत्र के कवरेज में वृद्धि

3.37 भारत में कार्यबल का काफी बड़ा एक भाग (88 प्रतिशत) असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत है जिसका श्रम बाजार से संबंध बहुत थोड़ा है, मौसमी रोजगार ही मिलता है, आय स्तर निम्न है और इसलिए पेंशन समावेशन का मार्ग बहुत चुनौतीपूर्ण है। वित्त मंत्री ने 2015-16 अपने बजट भाषण में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा की जो प्रधानमंत्री के वित्तीय समावेशन योजना की तीन योजनाओं, यथा प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडेवाई), और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेएसबीवाई) का एक हिस्सा है। अटल पेंशन योजना के तहत, अभिदाताओं के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह नियत न्यूनतम ₹1,000 से ₹5,000 तक पेंशन मिलेगी जो उनके अंशदान, एवं एपीवाई में शामिल होते समय उनकी आयु के हिसाब से अलग-अलग होगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। यदि अभिदाता 31 मार्च 2016 के अंत से पहले इस योजना में शामिल होता है तब केंद्र सरकार ऐसे प्रत्येक पात्र अभिदाता, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं है और जो आयकर दाता नहीं है, के खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात् 2015-16 से 2019-20 तक) अभिदाता के अंशदान का 50 प्रतिशत या प्रति वर्ष ₹1,000, जो भी कम हो, सह-अंशदान करेगी। 22 अक्तूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार 394 बैंकों में कुल 36.15 लाख अभिदाता पंजीकृत हुए हैं जिनका कुल एयूएम ₹12.4 रहा ।

X. उपभोक्ता संरक्षण

3.38 फिशिंग और विशिंग से उपभोक्ताओं को होने वाले भारी जोखिम बने हुए हैं, फिर भी ऐसी धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई हैं जहां अविनियमित संस्थाओं ने अपने आप को एक विनियमित संस्था के रूप में प्रदर्शित किया। यह आवशयक है कि विनियमन के अलग-अलग स्तर और डिग्री वाली विनियमित संस्थाओं के बारे में लोगों की समझ को बनाए रखा जाए और उपभोक्ताओं को यह समझने में भ्रम न हो के वे सभी एक ही श्रेणी में आती हैं।[19]

3.39 अपेक्षित विनियामक अनुमोदन के बगैर सामूहिक निवेश योजनाओं, बहुस्तरीय विपणन और डीम्ड सार्वजनिक निर्गमों के प्रस्तावों[20] के रूप में जोखिमों से निपटने के लिए एसएलसीसी[21] ने एक वेब-पॉर्टल 'सचेत' शुरू किया है जिसके जरिए जनता ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगी जिन्हें जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, और उनकी शिकायत भी दर्ज

[19] उदाहरण के लिए, कुछ शहरी सहकारी बैंकों द्वारा, यह सूचित करने के लिए कि वे सहकारी बैंक न कि वाणिज्यिक बैंक, संक्षिप्त नामों का प्रयोग करने से कुछ सीधे-सादे ग्राहकों के लिए अस्पष्ट प्रत्याशाएं उत्पन्न हो सकती हैं ।

[20] कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रतिभूतियों का कोई प्रस्ताव या आबंटन तब सार्वजनिक निर्गम माना जाएगा, यदि कंपनी अधिनियम, 1956 में किए गए उल्लेख के अनुसार किसी वित्त वर्ष में प्रस्ताव/आबंटन पाने वालों व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक हो, जबकि कंपनी अधिनियम, 1956 में अधिकतम संख्या 49 निर्धारित की गई थी । कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई निर्गमकर्ता इन प्रतिभूतियों को तब तक सार्वजनिक निर्गम नहीं बनाएगा जब तक कि उसने पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज में इन प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का आवेदन न किया हो और आरओसी/स्टॉक एक्सचेंज/सेबी आदि के पास प्रस्ताव दस्तावेज फाइल न कर दिया हो। निर्गमकर्ता से यह भी अपेक्षित है कि वह निर्गमकर्ता कंपनी, प्रवर्तक, जोखिम कारकों आदि के बारे में जानकारी दे।

[21] अनैतिक संस्थाओं द्वारा अनधिकृत रूप से जमा स्वीकार करने की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सभी राज्यो में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समितियां (एसएलसीसी) विनियामकों, नामत: भा.रि.बैं, सेबी, आईआरडीए, एनएचबी, पीएफआरडीए, कंपनी पंजीयक (आरओसी) इत्यादि तथा राज्य की प्रवर्तन ऐजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर संयुक्त फोरम के रूप में कार्य करती हैं ।

सारणी 3.2: सेबी द्वारा पारित अंतरिम एवं अंतिम आदेश

क्र.सं.	वित्त वर्ष	अंतरिम आदेश			अंतिम आदेश		
		आदेशों की संख्या (सीआईएस)	आदेशों की संख्या (डीपीआई)	कुल	आदेशों की संख्या (सीआईएस)	आदेशों की संख्या (डीपीआई)	कुल
1	2014-15	51	108#	159	14	9	23
2	2015-16	13	90	103	34	80	114
3	2016-17*	0	6	6	8	24	32
कुल		64	204	268	56	113	169

* सितंबर 2016 तक सीआईएस - सामूहिक निवेश योजना; डीपीआई- मानद (डीम्ड) सार्वजनिक निर्गम।
# 2013-14 में जारी किए गए 5 अंतरिम आदेश शामिल हैं।
स्रोत: सेबी।

कराई जा सकेगी। इस पोर्टल में अनैतिक संस्थाओं द्वारा गैर-कानूनी रूप से जमाराशि स्वीकार करने की सूचना भी साझा की जा सकेगी । जैसाकि सेबी द्वारा ऐसी संस्थाओं के लिए अंतरिम और अंतिम आदेश पारित करने की संख्या में आई गिरावट से ऐसी गतिविधियों में कमी आई प्रतीत होती है, जिसमें उन्हें निदेश दिया गया है कि वे अनधिकृत योजनाओं[22] के तहत निवेशकों से निधि जुटाना बंद कर दें (सारणी 3.2)। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में सेबी के पास अनधिकृत धन उगाही की गतिविधियों की शिकायतों की संख्या में कमी आई है।

[22] सेबी सामूहिक निवेश योजना को विनियमित करता है, जैसा कि सेबी अधिनियम की धारा 11 ए में परिभाषित किया गया है। कई अन्य विनियामक/विधि प्रवर्तन ऐजेंसियां भी हैं, जैसे राज्य सरकारें, आर्थिक अपराध खंड, भारतीय रिज़र्व बैंक, एमसीए आदि, जो अनधिकृत धन संग्रहण को उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विनियमित करते हैं।

अनुबंध 1

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

वित्तीय प्रणाली के समक्ष प्रमुख जोखिमों के संबंध में बाजार के प्रतिभागियों सहित विशेषज्ञों की राय जानने के लिए अक्तूबर-नवंबर 2016[1] में प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (एसआरएस) किया गया, जो इस श्रृंखला का ग्यारहवां सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के परिणाम यह सूचित करते हैं कि वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले वैश्विक जोखिम मध्यम जोखिमों के रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान सर्वेक्षण में समष्टि आर्थिक स्थितियों और संस्थागत स्थितियों को मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। बाज़ार जोखिमों और अन्य जोखिमों को भी इस सर्वेक्षण में निम्न जोखिम की श्रेणी में रखा गया है (चित्र 1)।

चित्र 1 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षणों में चिह्नित किए गए प्रमुख जोखिम समूह (अक्तूबर 2016)

ए. वैश्विक जोखिम	बी. समष्टि आर्थिक जोखिम	सी. वित्तीय बाजार जोखिम	डी. संस्थागत जोखिम	ई. सामान्य जोखिम
(पीला)	(पीला)	(नीला)	(पीला)	(नीला)

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी

(लाल)	(नारंगी)	(पीला)	(नीला)	(हरा)
बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम

स्रोत : भा.रि.बैं. प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्तूबर 2016) ।

वैश्विक जोखिम के अंतर्गत वैश्विक संवृद्धि, सरकारी संक्रामकता और पण्य मूल्यों के कारण जोखिमों को मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समष्टि आर्थिक जोखिमों के समूह के भीतर कारपोरेट क्षेत्र जोखिम और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की तीव्रता के कारण इन्हें उच्च जोखिम श्रेणी के तहत अनुमानित किया गया है जबकि घरेलू संवृद्धि, घरेलू मुद्रास्फीति, पूंजी प्रवाहों और घरेलू बचतों आदि के कारण वर्तमान सर्वेक्षण में इन्हें मध्यम जोखिम की श्रेणी के तहत विचारार्थ रखा गया है। उत्तरदाताओं ने विदेशी मुद्रा जोखिम, ईक्विटी मूल्य उतार-चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम को वित्तीय बाजार से संबंधित जोखिमों के भाग के रूप में मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा है। संस्थागत जोखिमों के बीच बैंकों की आस्ति गुणवत्ता, पूंजी आवश्यकताओं के कारण जोखिम, क्रेडिट संवृद्धि और सायबर जोखिम को उच्च जोखिम घटकों के रूप में निरूपित किया है(चित्र 2)।

[1] ये सर्वेक्षण अर्ध-वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। पहला सर्वेक्षण अक्तूबर 2011 में किया गया था।

चित्र 2 : प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्तूबर 2016) में चिह्नित किए गए विभिन्न जोखिम

	जोखिम की मद	
ए. वैश्विक जोखिम	वैश्विक वृद्धि	
	सरकारी जोखिम/संक्रमण	
	निधीयन जोखिम (बाहरी उधार)	
	पण्य मूल्य जोखिम (कच्चे तेल की कीमत सहित)	
	अन्य वैश्विक जोखिम	
बी. समष्टि आर्थिक जोखिम	घरेलू वृद्धि	
	घरेलू मुद्रास्फीति	
	चालू खाता घाटा	
	पूंजीगत अंतर्वाह/बहिर्वाह (एफआईआई का लौटना, एफडीआई में कमी)	
	सरकारी रेटिंग में गिरावट	
	राजकोषीय जोखिम	
	कॉर्पोरेट क्षेत्र का जोखिम	
	आधारभूत संरचना के विकास की कमी/धीमी गति	
	स्थावर संपदा के मूल्य	
	पारिवारिक इकाइयों की बचत	
	राजनीतिक जोखिम/शासन/नीति कार्यान्वयन	
	अन्य समष्टिआर्थिक जोखिम	
सी. वित्तीय बाजार संबंधी जोखिम	विदेशी मुद्रा दर का जोखिम	
	इक्विटी मूल्य में उतार-चढ़ाव	
	ब्याज दर जोखिम	
	चलनिधि जोखिम	
	बाजार संबंधी अन्य जोखिम	
डी. संस्थागत जोखिम	विनियमन जोखिम	
	आस्ति गुणवत्ता में कमी	
	बैंकों की अतिरिक्त पूंजी संबंधी आवश्यकता	
	बैंकों द्वारा निधीयन पहुँच	
	ऋण वृद्धि का स्तर	
	साइबर जोखिम	
	परिचालनात्मक जोखिम	
	संस्थागत अन्य जोखिम	
ई. सामान्य जोखिम	आतंकवाद	
	जोखिम संबंधी की परिस्थितियां	
	सामाजिक अशांति (बढ़ती हुई असमानता)	
	अन्य सामान्य जोखिम	

टिप्पणी :
जोखिम श्रेणी

बहुत अधिक	अधिक	मध्यम	कम	बहुत कम

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्तूबर 2016)।

सर्वेक्षण के वर्तमान दौर में अधिकतर प्रतिभागियों ने यह महसूस किया कि अल्पावधि में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च प्रभाव वाली किसी घटना के घटने की संभावना है और मध्यावधि में इसकी संभावना मध्यम है जबकि अधिकतर ने यह महसूस किया कि घरेलू वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार की किसी घटना के उत्पन्न होने की संभावना कम है। अधिकतर उत्तरदाताओं का वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अच्छा विश्वास बना रहा जबकि वर्तमान सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनके उच्च विश्वास को परिलक्षित करता है (चार्ट 1)।

चार्ट1 : उच्च प्रभाव वाली घटनाएं होने के प्रति धारणा और वित्तीय प्रणाली में विश्वास

उत्तरदाता (प्रतिशत)

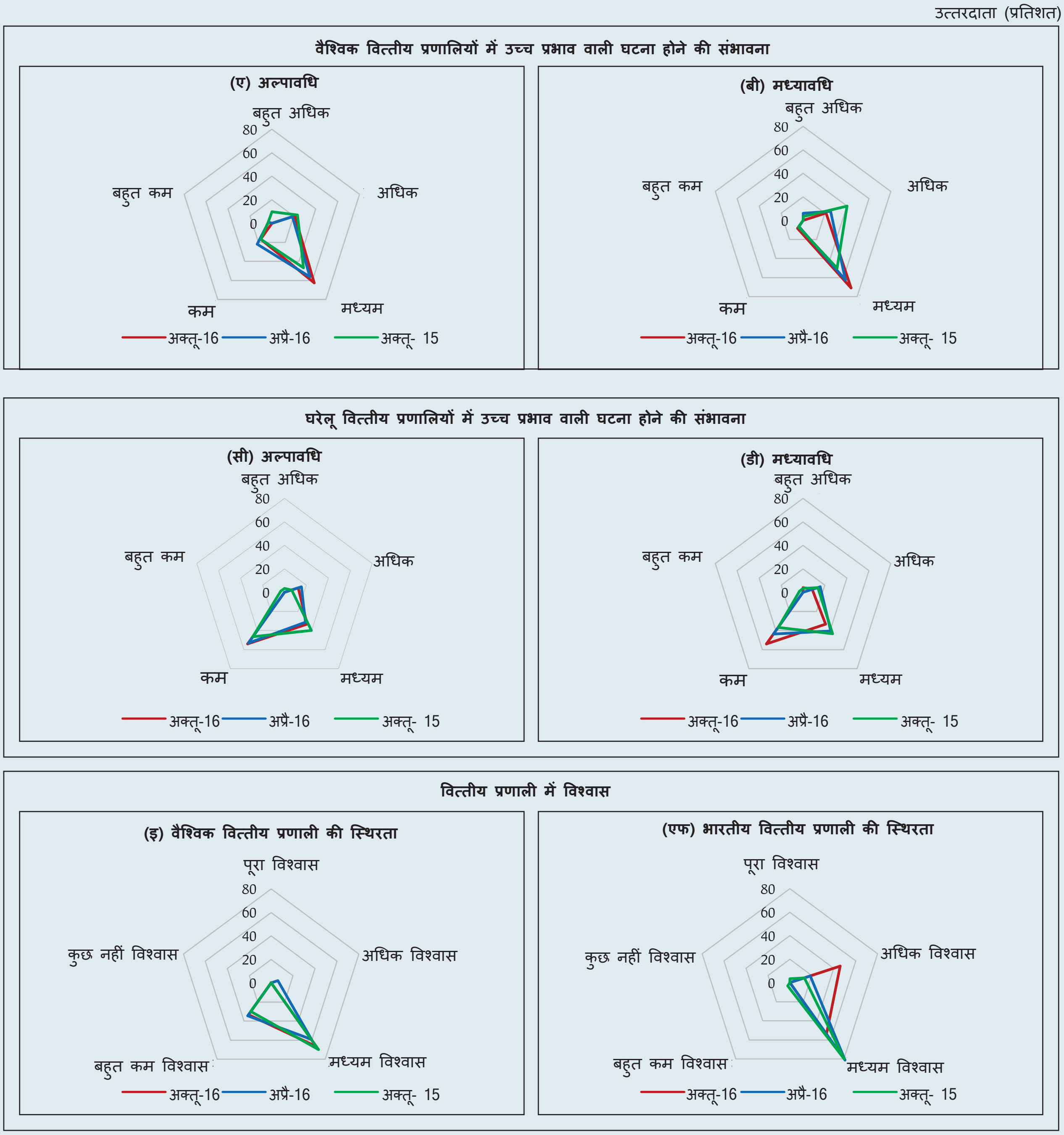

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - (अक्तूबर 2015, अप्रैल-2016 और अक्तूबर 2016)

अगले तीन महीनों में क्रेडिट की मांग में होने वाले परिवर्तन के मुद्दे पर अधिकतर उत्तरदाताओं का यह दृष्टिकोण था कि इसमें मामूली वृद्धि हो सकती है अथवा यह अपरिवर्तित बनी रहेगी। अधिकतर उत्तरदाताओं ने यह दर्शाया कि अगले तीन महीनों में क्रेडिट की औसत गुणवत्ता अपरिवर्तित बनी रहेगी यद्यपि कुछेक उत्तरदाताओं का यह भी अनुमान है कि इसमें गिरावट आ सकती है (चार्ट 2)।

चार्ट 2 : ऋण की मांग तथा उसकी गुणवत्ता संबंधी संभावना (अक्तूबर 2016)

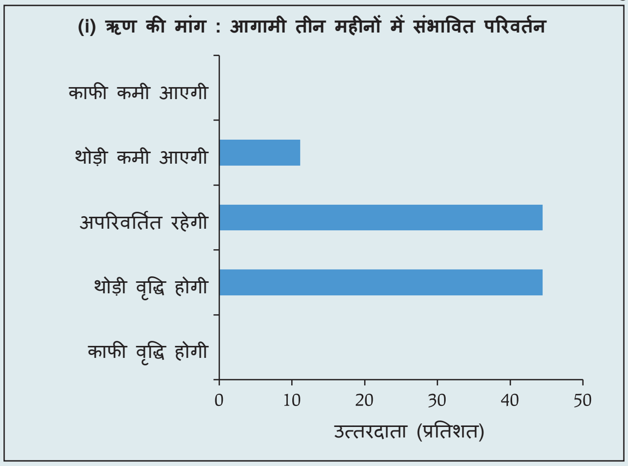

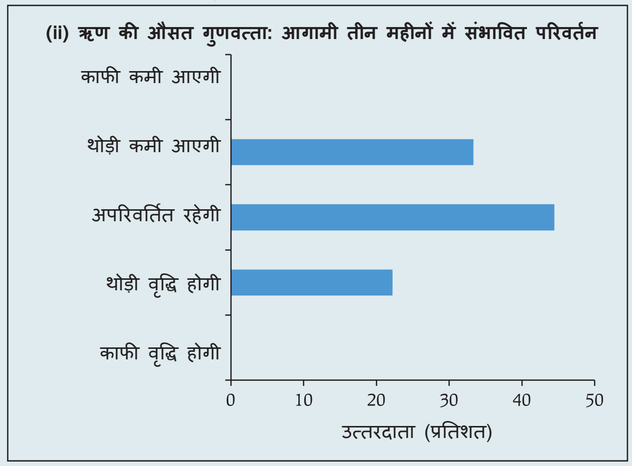

स्रोत : भा.रि.बैं., प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (अक्तूबर 2016)

अनुबंध 2
कार्यप्रणालियां

2.1 कारपोरेट सेक्टर

कारपोरेट सेक्टर स्थिरता संकेतक और मानचित्र

कारपोरेट सेक्टर स्थिरता संकेतक और मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित पद्धति का उपयोग किया गया है:-

आंकड़े: गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सार्वजनिक लि. कंपनियों के तुलन-पत्र के आंकड़े।

आवृत्ति: वार्षिक (1992-93 से 2011-12)। 2012-13 से 2016-17 तक अर्द्ध वार्षिक तुलन पत्र में मौजूद आंकड़ों का उपयोग विश्लेषण के लिए किया गया है।

प्रत्येक आयाम (डायमेंशन) में प्रयुक्त अनुपात सारणी-1 में दिए गए हैं।.

सारणी 1: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और बैंकिंग स्थिरता संकेतक बनाने के लिएप्रयुक्त अनुपात

आयाम	अनुपात
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिलाभ (सकल लाभ/कुल आस्तियां) #, परिचालन लाभ/बिक्री #, कर पश्चात लाभ/बिक्री #
लीवरेज	ऋण/आस्तियां, ऋण/ईक्विटी; (ऋण को कुल उधारियों के रूप में लिया गया है)
व्यवहार्यता	ब्याज कवरेज अनुपात (ब्याज व्यय के प्रति ईबीआईटी)) #, ब्याज व्यय/कुल व्यय;
चलनिधि	द्रुत आस्तियां/ वर्तमान देयताएं(द्रुत अनुपात) #;
टर्न-ओवर	कुल बिक्री/ कुल आस्तियां #.

ऋणात्मक रूप से जोखिम से संबंधित है।

सर्वप्रथम, अनुपातों को मानक सामान्य विचर में परिवर्तित किया जाता है [$z = \frac{x-\mu}{\sigma}$]। उसके बाद, संगत दूरी रूपातंरण का उपयोग करते हुए z को 0 और 1 के बीच परिबद्ध किया जाता है [$d = \frac{z-\min(z)}{\max(z)-\min(z)}$]। (जोखिम से) ऋणात्मक रूप से संबद्ध अनुपातों के लिए एक सम्पूरक का उपयोग किया गया। संगत d के सामान्य औसत के रूप (मौलिक अवयव विश्लेषण (पीसीए) भी समान भार प्रदान करता है) में प्रत्येक आयाम के लिए एक संयुक्त सूचकांक पर पहुंचा गया। प्रत्येक आयाम के लिए संयुक्त सूचकांक का उपयोग करते हुए मानचित्र बनाया गया है।

समग्र कारपोरेट सेक्टर स्थिरता संकेतक 5 आयामों का भारित औसत है। पीसीए का उपयोग करके भारों को प्राप्त किया गया है। 5 आयामों के लिए प्राप्त भारित औसत निम्नानुसार हैं:-

लाभप्रदता	लीवरेज	व्यवहार्यता	चलनिधि	टर्न-ओवर
25%	25%	25%	10%	15%

2.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक किसी दी गई अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले स्थितियों और जोखिम घटकों में होने वाले परिवर्तनों का समग्र अनुमान प्रदर्शित करता है। बैंकिंग स्थिरता मानचित्र एवं इस्तेमाल पांच संयुक्त सूचकांक सुदृढ़ता, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि एवं कुशलता के पांच

आयामों को दर्शाता है। प्रत्येक संयुक्त सूचकांक बनाने में जिन अनुपातों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सारणी-2 में दिया गया हैः-

सारणी 2: बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक बनाने के लिए प्रयुक्त अनुपात

आयाम	अनुपात			
मजबूती	सीआरएआर #	टिअर II पूंजी के प्रति टिअर-I पूंजी #	पूंजी और आरक्षी के प्रति कुल आस्ति के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति-गुणवत्ता	कुल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	कुल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति अवमानक अग्रिम #	मानक अग्रिमों के प्रति पुनःसंरचित-मानक-अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिफल #	निवल ब्याज मार्जिन #	लाभ में वृद्धि #	
चलनिधि	कुल आस्तियों के प्रति चलनिधि आस्तियां #	कुल आस्तियों के प्रति ग्राहक जमा राशियां #	ग्राहक की जमाराशियों के प्रति गैर-बैंक अग्रिम	कुल जमाराशियों के प्रति 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियां
कार्यकुशलता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ खर्च की तुलना में व्यवसाय (क्रेडिट+ जमाराशि) #		कुल खर्च की तुलना में स्टाफ व्यय

नोट: # जोखिम से ऋणात्मक रूप से संबंधित।

प्रत्येक संयुक्त सूचकांक जो बैंक की कार्यप्रणाली के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, वह शून्य और 1 के बीच का मान लेता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के दौरान एक संबंधित पैमाना होता है जिसमें उच्च मान का अर्थ होता है कि उस आयाम में जोखिम अधिक है। अतः किसी विशेष आयाम में सूचकांक का मान बढ़ना यह दर्शाता है कि उस आयाम में अन्य अवधियों की तुलना में संबंधित अवधि में जोखिम में वृद्धि हुई है। किसी आयाम के लिए प्रयोग में लाए गए प्रत्येक अनुपात द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारित औसत निकाला जाता है जिसमें भारों को बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों की तुलना में किसी बैंक की व्यक्तिगत आस्तियों के अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। किसी नमूना अवधि के लिए प्रत्येक सूचकांक का सामान्यीकरण निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है :

$$\frac{X_t - min\,(X_t)}{max(X_t) - min\,(X_t)}$$

जिसमें Xt अनुपात के मूल्य को t समय पर प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आयाम के संयुक्त सूचकांक की गणना, उस आयाम के लिए प्रयुक्त सामान्यीकृत अनुपातों के भारित औसत के रूप में की जाती है जहां भार, सीएएमईएलएस रेटिंग के अनुमान हेतु निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। इन पांच संयुक्त सूचकांकों के सामान्य औसत के रूप में बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण किया जाता है।

हानि का अनुमान: संभावित हानि, असंभावित हानि और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का संभावित घाटा

इन हानियों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित मानक परिभाषाओं का प्रयोग किया गया हैः

संभावित हानि (ईएल) : ईएल वह औसत क्रेडिट हानि है जिसकी संभावना बैंकिंग प्रणाली के अपने क्रेडिट एक्सपोज़र से उत्पन्न होती है।

असंभावित हानि (यूएल) : 100(1-α) प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्तर पर वह हानि होती है जो संभावित हानि को घटाकर हानि वितरण के α-क्वान्टाइल (α-quantile) पर हो सकती है।

संभावित घाटा (ईएस) : जब हानि (Z) का वितरण निरंतर होता है, 100(1-α) प्रतिशत के विश्वास स्तर(ESα (Z)) पर होने वाली संभावित घाटे को, $ES_\alpha(Z) = E[Z \mid Z \geq VaR_\alpha(Z)]$ संभावित हानि को घटाकर)] के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः, होने वाला संभावित घाटा, हानि की सशर्त संभावना है यदि VaR स्तर से संभावित हानि घटाने पर हानि अधिक हो जाती है

इन हानियों का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता हैः = PD X LGD X EAD

जहां, ईएडी = चूक की स्थिति में एक्सपोज़र (एक्सपोज़र एट डिफॉल्ट) है, जो बैंकिंग प्रणाली का कुल अग्रिम होता है। ईएडी में केवल तुलन पत्र से संबंधित मदें शामिल होती हैं क्योंकि चूक की संभावना (पीडी) केवल तुलन-पत्र पर मौजूद एक्सपोज़र के लिए ही निकाला जा सकता है।

एलजीडी= चूक के कारण हुई हानि (लॉस्ट गिवेन डिफॉल्ट) है। आधारभूत परिदृश्य के तहत, 'पूंजी पर्याप्तता-क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने के लिए दि आईआरबी एप्रोच' पर भरिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार औसत एलजीडी को 60 प्रतिशत के रूप में माना जाता है। मध्यम और गंभीर मैक्रोइकोनॉमिक परिदृश्यों के तहत एलजीडी को क्रमशः 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत माना गया।.

पीडी = चूक की संभावना (प्रॉबेबिलिटी ऑफ डिफाल्ट)। पीडी को कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन अग्रिमों के रूप में परिभाषित किया गया है।चूककर्ता खातों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण पीडी का पता लगाने के लिए चूककर्ता खातों (अर्थात् सकल गैर-निष्पादन आस्ति संबंधी राशि) के आकार को उपयोग में लाया गया है।

ईएल, यूएल और ईएस हानियों को एक कृत्रिम पीडी वितरण प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया। पहले कदम के रूप में केरनल डेंसिटी एस्टीमेट का प्रयोग करते हुए पीडी के अनुभव जन्य वितरण का अनुमान लगाया गया; उसके बाद अनुभवजन्य संभाव्यता घनत्व कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए मान्टे कार्लो कृत्रिमता पर आधारित 20,000 यादृच्छिक संख्याएं निकाली गईं और अंत में ईएल, यूएल और ईएस की गणना की गई जिसमें पीडी को,पीडी के 99.9 प्रतिशत वीएआर तक औसत के रूप में लिया गया गया और 99.9 प्रतिशत वीएआर से अधिक के औसत पीडी को क्रमशः हानि माना गया।

मैक्रो-दबाव परीक्षण

मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रति बैंकों की समुत्थानशक्ति सुनिश्चित करने के लिए, क्रेडिट जोखिम के लिए मैक्रो दबाव परीक्षण किया गया। मैक्रोइकोनॉमिक चरों के कार्य के रूप में एक क्रेडिट जोखिम संकेतक का निर्माण किया गया जिसमें विविध अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया जो चुनिंदा बैंकिंग प्रणाली को समग्रतः मैक्रोइकोनॉमिक चरों से संयुक्त करता है। जिन समय-श्रृंखला अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गया वे इस प्रकार हैः (i) बहुविचर रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ,(ii) वेक्टर स्वरीग्रेशन (वीएआर)को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (iii) क्वान्टाइल रीग्रेशन को नमूना प्रणाली स्तरीय विपथन अनुपात के साथ, (iv) बहुविचर रीग्रेशन को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात के साथ, (v) वीएआर को नमूना बैंक समूह-वार विपथन अनुपात के साथ, और (vi) क्षेत्रगत सकल एनपीए के लिए बहुविचर रीग्रेशन। समग्र बैंकिंग प्रणाली में विपथन अनुपात (स्लिपेज रेश्यो) के मौजूदा और पिछले मान शामिल होते हैं जबकि मैक्रोइकोनॉमिक चरों में आधार कीमत पर सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए) संवृद्धि, भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर), सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात $\left(\frac{Ex}{GDP}\right)$, जीडीपी अनुपात की तुलना में चालू खाता शेष $\left(\frac{CAB}{GDP}\right)$, और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा शामिल $\left(\frac{CAB}{GDP}\right)$ होते हैं।

जहां बहुविचर रीग्रेशन, बैंकिंग प्रणाली के सकल जीएनपीए और पूंजी पर चुनिंदा मैक्रोइकोनॉमिक चरों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है वहीं वीएआर नमूना, बैंकों की पूंजी और एनपीए अनुपात पर समग्र आर्थिक दबाव स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है और यह फीडबैक प्रभाव को भी संज्ञान में लेता है। इन पद्धतियों में, विपथन अनुपात[1] के सशर्त मध्यमान का अनुमान लगाया जाता है और यह माना जाता है कि क्रेडिट गुणवत्ता के स्तर में परिवर्तन होने के बावजूद क्रेडिट गुणवत्ता पर मैक्रो-चरों का प्रभाव समान रहेगा, जो कि हमेशा सत्य नहीं रह सकता है। इस अनुमान में छूट देने के लिहाज से क्रेडिट गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वान्टाइल रीग्रेशन को अपनाया गया, जिसमें सशर्त मध्यमान के स्थान पर सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाया जाता है और इस प्रकार यह छुद्र जोखिमों का सामना कर सकता है और यह समष्टिआर्थिक आघातों के गैर-रैखिक प्रभावों का भी ध्यान रखा जाता है।

[1] किसी समयावधि के दौरान स्लीपेज एनपीए के लिए नवीन वृद्धि होता है। स्लीपेज अनुपात = नवीन एनपीए / अवधि के प्रारंभ में मानक अग्रिम।

नमूना ढांचा

जीएनपीए अनुपात और/अथवा स्लिपेज अनुपात (एसआर) पर मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित बहुविचर नमूने अपनाए गए:

प्रणाली स्तरीय नमूने

प्रणाली स्तरीय जीएनपीए का अनुमान लगाने के लिए तीन भिन्न परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग किया गयाः बहुविचर रीग्रेशन, वीएआर और क्वान्टाइल रीग्रेशन। इन नमूनों से प्राप्त प्रक्षेपणों के औसत का उपयोग सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया है।

- *बहुविचर रीग्रेशन*

यह विश्लेषण संपूर्ण वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए समग्र स्तर पर विपथन अनुपात के संबंध में किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 \Delta CPI_{t-4} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2}$$

जहां, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ and $\beta_6 > 0$.

- *वेक्टर स्वतःरीग्रेशन (वीएआर) मॉडल*

अंकन रूप में, मध्यमान-समायोजित वीएआर के क्रम order p (VAR(p)) को इस प्रकार लिखा जा सकता हैः

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \ldots\ldots + A_p y_{t-p} + u_t \quad ; t=0,1,2,3,\ldots.$$

जहां, $y_t = (y_{1t},\ldots\ldots,y_{Kt})'$ समय t पर चर का एक वेक्टर(K×1), A_i (i=1,2,...p) निर्धारित (K×K) कोएफीशिएंट मैट्रिक्स हैं और $u_t = (u_{1t},\ldots\ldots,u_{Kt})'$एक K-आयामी व्हाइट न्वाइज़ या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

अनुमान लगाने के लिए वीएआर मॉडल, विपथन अनुपात, डब्ल्यूएएलआर, सीपीआई(संयुक्त) मुद्रास्फीति, आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि और जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का चुनाव किया गया। न्यूनतम सूचना दृष्टिकोण आधार पर और अन्य उपचारों के साथ ही वीएआर के समुचित क्रम का चुनाव किया गया और इसके लिए क्रमांक 2 उचित पाया गया। तदनुसार, क्रम 2 के वीएआर (VAR(2)) का अनुमान लगाया गया और एआर की बहुपदीय अभिलाक्षणिक मूल के आधार पर नमूने की स्थिरता की जांच की गई। चुने गए वीएआर के संवेग अनुक्रिया प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के मैक्रो इकोनॉमिक आघातों के प्रभावों का निर्धारण किया गया।

- क्वान्टाइल रीग्रेशन

0.8 पर विपथन अनुपात के सशर्त क्वान्टाइल का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित क्वान्टाइल रीग्रेशन का प्रयोग किया गयाः

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-5}$$

बैंक समूह स्तरीय पद्धति

बैंक समूह-वार विपथन अनुपात(एसआर) का अनुमान दो अलग-अलग परंतु आपस में सम्पूरक अर्थमितीय नमूनों का उपयोग करते हुए लगाया गयाः बहुविचर रीग्रेशन और वीएआर। इन नमूनों से प्राप्त प्रक्षेपणों के औसत का उपयोग सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने में किया गया।

- *बहुविचर रीग्रेशन*

  विभिन्न बैंक समूहों के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विभिन्न बैंक समूहों के लिए निम्नलिखित बहुविचर रीग्रेशन का उपयोग किया गयाः

  सरकारी क्षेत्र के बैंक

  $$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-2} + \beta_3 WALR_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{CAB}{GDP}\right)_{t-3} + \beta_5 \Delta CPI_{t-1} + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-2}$$

  निजी क्षेत्र बैंक :

  $$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GVA_{t-1} + \beta_3 RWALR_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-1}$$

  विदेशी बैंकः

  $$SR_t = \alpha_1 + \beta_1 SR_{t-1} + \beta_2 WALR_{t-2} + \beta_3 \Delta CPI_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{EX}{GDP}\right)_{t-5} + \beta_5 \mathrm{Dummy}$$

- *वेक्टर स्वतः रीग्रेशन मॉडल*

  विभिन्न बैंक समूहों के विपथन अनुपात का नमूना बनाने के लिए, विविध क्रमों के विभिन्न वीएआर नमूनों के अनुसार अनुमान लगाया गया जो निम्नलिखित मैक्रो चरों पर आधारित थेः

  सरकारी क्षेत्र के बैंकः आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि, सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर, जीडीपी अनुपात की तुलना में सीएबी और क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में जीएफडी।

  निजी क्षेत्र के बैंकः आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धि, वास्तविक डब्ल्यूएएलआर और क्रम 1 के जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात।

  विदेशी बैंकः सीपीआई (संयुक्त) मुद्रास्फीति, क्रम 2 के जीडीपी अनुपात की तुलना में डब्ल्यूएएलआर और सीएबी।

क्षेत्रगत मॉडल्स

क्षेत्रगत बहुविचर रीग्रेशन

विभिन्न क्षेत्रों पर मैक्रोइकोनॉमिक आघातों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए बहुविचर रीग्रेशन नमूने का उपयोग किया गया जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग से समग्र जीएनपीए अनुपात का उपयोग किया गया। आश्रित चरों में पिछले जीएनपीए, आधारभूत कीमत पर जीवीए संवृद्धु (समग्र या क्षेत्र-वार), सीपीआई(संयुक्त) मुद्रास्फीति, डब्ल्यूएएलआर और जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात शामिल था।

स्लिपेज से जीएनपीए का अनुमान

स्लिपेज अनुपातों से निकाले गए जीएनपीए जिनका अनुमान उपर्युक्त उल्लिखित क्रेडिट जोखिम अर्थमितीय मॉडलों द्वारा प्रक्षेपित किया जाता था, वे निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थेः 10 प्रतिशत की क्रेडिट संवृद्धि, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 3.9 प्रतिशत, 3.0 प्रतिशत, 2.2 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत की दर से रिकवरी होना, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 5.5 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत, 1.8 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत की दर से बट्टे खाते डालना; मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर तिमाहियों में क्रमशः 3.2 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत की दरों से गैर-श्रेणीकरण (अन-ग्रेडेशन)।

कर पश्चात लाभ (पैट) का अनुमान

बैंकों के पैट के कई घटक होते हैं, जैसे कि ब्याज से आय, अन्य आय, परिचालनगत खर्च और प्रावधान। इन घटकों का विभिन्न समय श्रृंखलाओं पर आधारित अर्थमितीय नमूनों (जैसा कि नीचे दिया गया है) के आधार पर अनुमान लगाया जाता है।

अंत में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए पैट का अनुमान लगाया जाता है।

पैट=एनआईआई+ओओआई-ओई-प्रावधान-आयकर

जहां, एनआईआई- निवल ब्याज आय, ओओआई- अन्य परिचालनगत आय और ओई- परिचालनगत खर्च है।

निवल ब्याज आय (एनआईआई): ब्याज से आय और ब्याज पर खर्च के बीच का अंतर एनआईआई होता है, उसे निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग कर निकाला जाता हैः

$$LNII_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LNII_{t-1} + \beta_2 \times LNGVA_SA_{t-1} + \beta_3 \times Adv_Gr_{t-1} + \beta_4 \times Spread_t$$

एलएनआईआई, एनआईआई का लॉग है। एलएनजीवीए_एसए सांकेतिक जीवीए का मौसमी रूप से समायोजित लॉग है। एडीवी_जीआर अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष होने वाली संवृद्धि दर है। स्प्रैड, ब्याज कमाने वाली आस्तियों पर कमाए गए औसत ब्याज दर और ब्याज देने वाली देयताओं पर दिए गए औसत ब्याज के बीच का अंतर है।

अन्य परिचालनगत आय (ओओआई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ओओआई को निम्नलिखित रीग्रेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गयाः

$$LOOI_t = -\alpha_1 + \beta_1 \times LOOI_{t-1} + \beta_2 \times LNGDP_SA_t$$

जहां एलओओआई, ओओआई का लॉग है

परिचालनगत खर्च (ओई): अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ओई को स्वतःपरावर्तित संचरित औसत (एआरएमए) मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किया गया।

प्रावधान: अपेक्षित प्रावधानों का अनुमान निम्नलिखित रीग्रेशन कर उपयोग कर दिया गयाः

$$P_Adv_t = \alpha_1 + \beta_1 \times P_Adv_{t-1} - \beta_2 \times RGVA_Gr_{t-2} + \beta_3 \times GNPA_{t-1} - \beta_4 \times Dummy$$

पी_एडीवी, कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में किया गया प्रावधान है। आरजीवीए_जीआर वास्तविक जीवीए की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर है। जीएनपीए कुल अग्रिमों के अनुपात की तुलना में सकल गैर-निष्पादन आस्तियां हैं। डमी, कल्पित समयावधि है।

आयकर: लागू आयकर को कर पूर्व आय का 35 प्रतिशत माना गया है,जो कर पूर्व लाभ की तुलना में आयकर के पिछले रुझानों पर आधारित है।

पूंजी पर्याप्तता पर जीएनपीए का प्रभाव

निष्कर्षतः, सीआरएआर पर पड़ने वाला प्रभाव का अनुमान, पूर्व भाग में उल्लिखित अनुमानित पैट के आधार पर लगाया गया। आरडब्ल्यूए संवृद्धि न्यूनतम स्तर पर 10 प्रतिशत, मध्यम जोखिम के तहत 12 प्रतिशत और गंभीर जोखिम वाली स्थिति में 14 प्रतिशत अनुमानित की गई। ऐसा माना गया कि विनियामकीय पूंजी में संवृद्धि न्यूनतम स्तर पर बनी रहेगी क्योंकि इसके लिए यह माना गया कि लाभ का 25 प्रतिशत अनिवार्य रूप से आरक्षित खातों में अंतरित किया गया और हितधारकों द्वारा किसी प्रकार के पूंजी लगाने को विचार में नहीं लेता है। 'तुलनपत्र पद्धति' को अपनाते हुए, सकल गैर-निष्पादन आस्तियों के अनुपात के अनुमानित मूल्य को पूंजी अनुपातों के रूप में निरूपित किया गया, जिसके कारण तुलन पत्र में मौजूद पूंजी पर प्रावधानों और निवल लाभों के जरिए प्रभाव पड़ा।

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव जांच

तिमाही निगरानी करने के रूप में, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण किए जाते हैं और इन आघातों के प्रत्युत्तर में वाणिज्यिक बैंकों की समुत्थानशीलता का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के स्तर पर और प्रणाली के स्तर पर भी किया गया।

क्रेडिट जोखिम

बैंकों की समुत्थानशीलता का परीक्षण करने के लिए सभी प्रकार के पोर्टफोलिओ और कुछेक चुनिंदा सेंक्टरों में जीएनपीए के स्तरों में बढ़ोतरी करके आघात दिया जाता है। क्रेडिट संक्रेंद्रण जोखिम की जांच करने के लिए मुख्य व्यक्तिगत उधारकर्ता(कर्ताओं) और उधारकर्ता(कर्ताओं) के सबसे बड़े समूह को चूककर्ता के रूप में मान लिया गया। यह विश्लेषण समग्र स्तर पर और व्यक्तिगत बैंक दोनो ही स्तरों पर किया गया। जीएनपीए में मानी गई वृद्धि को मानक से कम, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में एनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। तथापि, क्रेडिट संकेन्द्रण जोखिम के लिए संभावित आघातों के तहत अतिरिक्त जीएनपीए पर विचार किया गया ताकि उसे केवल अवमानक श्रेणी में रखा जा सके। विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए लागू मौजूदा औसत मानदंडों के आधार पर इन दबाव जांचों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों का उपयोग किया गया। अवमानक, संदेहास्पद और हानि अग्रिमों के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को संज्ञान में लिया गया। दबाव की परिस्थितियों के तहत गणना में लिए गए अतिरिक्त जीएनपीए पर इन मानदंडों को ही लागू किया गया। जीएनपीए में मानी गई वृद्धि के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त जीएनपीए पर हुई आय की हानि को एक तिमाही के लिए प्रावधानीकरण की अतिरिक्त आवश्यकताओं के अलावा कुल हानियों में भी शामिल किया गया। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमानित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को बैंकों की पूंजी में से घटा दिया गया और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपातों की गणना की गई।

ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में आने वाले अंतर के कारण माने गए आघात के तहत, पोर्टफोलिओ की कीमत में होने वाली कमी या आय में होने वाली गिरावट के कारण होने वाली हानियों को संज्ञान में लिया गया। बैंकों की पूंजी में से इन अनुमानित हानियों को कम कर दिया गया ताकि दबावग्रस्त सीआरएआर को प्राप्त किया जा सके।

ट्रेडिंग पोर्टफोलिओ (एचएफटी+एएफएस) में ब्याज दर जोखिम के लिए मुद्दत विश्लेषण पद्धति पर विचार किया गया ताकि, कीमत के प्रभाव (पोर्टफोलिओ हानियों) की गणना की जा सके। दिए गए आघातों के आधार पर प्रत्येक कालावधि के लिए इन निवेशों पर पोर्टफोलिओ हानियों की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त हानियों/लाभों का प्रयोग इससे प्रभावित सीआरएआर पर निकालने के लिए किया गया। एचटीएम पोर्टफोलिओ में ब्याज दर आघात प्रभाव देखने के लिए अलग से एक प्रक्रिया अपनाई गई, मुद्दत पद्धति का उपयोग करते हुए, ब्याज वहन करने वाली आस्तियों पर प्रत्येक कालावधि के लिए हानियों के मूल्यांकन की गणना की गई। एचटीएम पोर्टफोलिओ पर जांच के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना यह मानते हुए की गई कि एचटीएम पोर्टफोलिओ दैनिक बाजार मूल्य पर आधारित (मार्कड्-टु-मार्केट) है।

बैंकिंग बही पर ब्याज दर जोखिम के प्रभाव का मूल्यांकन 'आय पद्धति' के जरिए किया गया। एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलिओं को छोड़कर दर संवेदनशील आस्तियों और देयताओं के एक्सपोज़र अंतर के आधार पर आघातों के प्रभाव का आकलन आय हानियों के अनुमान द्वारा प्रत्येक कालावधि के लिए अलग से केवल एक वर्ष हेतु किया गया। यह वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि पर इसके प्रभाव को दर्शाता है।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव जांच का उद्देश्य यह है कि चलनिधि के अप्रत्याशितरूप से बाहर चले जाने पर, बाहर से चलनिधि की कोई मदद लिए बगैर, बैंक की उसे वहन करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। जमाकर्ताओं के अचानक विश्वास खो देने के कारण विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जमाराशि निकासी की विविध प्रकार की संभावनाएं (जमाराशि की प्रकृति के अनुसार) सामने लाती हैं और साथ ही स्वीकृत/प्रतिबद्ध/गारंटीशुदा क्रेडिट (कार्यशील पूंजी की स्वीकृत अप्रयुक्त सीमा, प्रतिबद्ध क्रेडिट और क्रेडिट पत्रों तथा गारंटियों की अप्रयुक्त सीमा को ध्यान में रखते हुए) सीमाओं के अप्रयुक्त हिस्से के लिए मांग उत्पन्न होती है। दबाव परीक्षण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि क्रेडिट के लिए अतिरिक्त और अप्रत्याशित मांग को बैंकों की केवल चलनिधि युक्त आस्तियों की सहायता से पूरा करने की उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके। दबाव परीक्षण ऋण की अतिरिक्त एवं अचानक उठने वाली मांग को सिर्फ अपनी चलनिधियुक्त आस्तियों की मदद से पूरा कर पाने की बैंक की क्षमता का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किए गए।

चलनिधि दबाव परीक्षण की मान्यताएं इस प्रकार हैः

- यह माना गया कि बैंक केवल चलनिधियुक्त आस्तियों की बिक्री के जरिए जमाराशियों की दबावग्रस्त निकासी या क्रेडिट की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेगा।
- किए गए निवेशों की बिक्री उनके बाजार मूल्य में दस प्रतिशत के कमीशन पर कर ली जाएगी।
- दबाव परीक्षण "स्थैतिक मोड" के अंतर्गत किया गया।

चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी (डेरीवेटिव) पोर्टफोलियो का दबाव परीक्षण

दबाव परीक्षण को शीर्ष 22 बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श समूह के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियों के संबंध में केंद्रित किया गया और इसके लिए व्युत्पन्नी पोर्टफोलियों की अनुमानित कीमत ली गई। प्रतिदर्श में शामिल प्रत्येक बैंक से कहा गया कि वे अपने संबंधित व्युत्पन्नी पोर्टफोलियों के संबंध में दबाव परिस्थितियों के प्रभाव का अनुमान लगाएं।

घरेलू बैंकों के मामले में, घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के व्युत्पन्नी पोर्टफोलियों को शामिल किया गया। विदेशी बैंकों के मामले में, इस प्रक्रिया में केवल घरेलू (भारतीय) स्थिति पर विचार किया गया। व्युत्पन्नी व्यापार के लिए जहां हेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, उन्हें दबाव परीक्षण से छूट प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी प्रकार के व्यापार को इसमें शामिल किया गया।

दबाव परिस्थितियों में चार संवेदनशीलता जांचों को शामिल किया गया जिसमें स्पॉट यूएस डालर/ भारतीय रुपया की दर और घरेलू ब्याज दरें मानकों के रूप में ली गईं।

सारणी 3 : संवेदनशीलता विश्लेषण के संबंध में आघात

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 1	एक दिवसीय	**+2.5 प्रतिशत अंक**
	1 वर्ष तक	**+1.5 प्रतिशत अंक**
	1 वर्ष से अधिक	**+1.0 प्रतिशत अंक**

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 2	एक दिवसीय	**-2.5 प्रतिशत अंक**
	1 वर्ष तक	**-1.5 प्रतिशत अंक**
	1 वर्ष से अधिक	**-1.0 प्रतिशत अंक**

	विनिमय दरें	
आघात 3	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	**+20 प्रतिशत**

	विनिमय दरें	
आघात 4	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	**-20 प्रतिशत**

2.3 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण- दबाव परीक्षण

क्रेडिट जोखिम

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में उनके क्रेडिट जोखिम के बारे में दबाव परीक्षण किया गया। यह जांच एक घटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थी। ऐतिहासिक मानक विचलन (एसडी) का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया था:

अनुमानित परिदृश्य निम्नलिखित थे :

- परिदृश्य I: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य II: जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (अवमानक अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य III: जीएनपीए पर 1 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत).
- परिदृश्य IV: जीएनपीए पर 2 मानक विचलन (एसडी) का आघात (हानि अग्रिमों में वर्गीकृत).

चलनिधि जोखिम

1-28 दिन की कालावधि में नकदी के प्रवाह के आधार पर एक चलनिधि दबाव परीक्षण भी किया गया जिसमें बहिर्वाह के 20 प्रतिशत से अधिक असंतुलन [नकारात्मक अंतर (नकदी बर्हिवाह की तुलना में नकदीप्रवाह का कम होना)] होने की स्थिति में इसे दबावग्रस्त माना गया।

- परिदृश्य I : 1-28 दिन की कालावधि में नकदी बहिर्वाह का 50 प्रतिशत तक जाना (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन न होना)
- परिदृश्य II : 1-28 दिन की कालावधि में नकदी बर्हिवाह का100 प्रतिशत तक होना (नकदी अंतर्वाह में कोई परिवर्तन न होना).

2.4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण-दबाव परीक्षण

क्रेडिट जोखिम

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार नहीं करने वाली -दोनों प्रकार की और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल थीं) पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में दबाव परीक्षण किया गया। ये परीक्षण एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। ऐतिहासिक मानक विचलन के आधार पर तीन विभिन्न परिस्थितियों के तहत सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया:

- परिदृश्य I: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 0.5 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोतरी।
- परिदृश्य II: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 1 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोतरी।
- परिदृश्य III: मौजूदा स्तर से जीएनपीए में 3 मानक विचलन(एसडी) की बढ़ोतरी।

जीएनपीए में परिकल्पित वृद्धि को अवमानक, संदेहास्पद और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में बांट दिया गया जिस अनुपात में जीएनपीए का मौजूदा स्टॉक उपलब्ध था। प्रावधानीकरण की अतिरिक्त अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी की स्थिति से समायोजित कर दिया गया। दबाव परीक्षण व्यक्तिगत एनबीएफसी स्तर के साथ ही साथ समग्र स्तर पर भी किया गया।

2.5 अंतर-संबद्धता- नेटवर्क विश्लेषण

नेटवर्क विश्लेषण के केन्द्र में मूलत: मैट्रिक्स अल्जेब्रा होता है, जो वित्तीय क्षेत्र में निकायों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोज़रों का उपयोग करता है। प्रणाली में एक संस्था की दूसरी संस्था को दी गई उधारियों अथवा ली गई उधारियों को वर्ग मैट्रिक्स में रखा जाता है और तब उन्हें एक नेटवर्क मानचित्र में चिह्नित किया जाता है। प्रणाली में अतंर-संबद्धता के स्तर को मापने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं :

संबद्धता : यह एक सांख्यिकी होती है जो एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव श्रृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच श्रृंखलाओं की सीमा को मापती है। एक निर्देशित ग्राफ में K = $\sum_{i=1}^{N} k_i$ के बराबर बाहरी अंशों की कुल संख्या दर्शाती है और N नोड्स की कुल संख्या के रूप में है, ग्राफ की संबद्धता $\frac{K}{N(N-1)}$ के रूप में दी गई है।

क्लस्टर गुणांक : नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह माप करती है कि प्रत्येक नोड आपस में किस प्रकार अंतर-संबद्ध है। विशेष रूप से, इस बात की प्रबल संभावना होती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टरिंग गुणांक का अर्थ यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक अंतर-संबद्धता मौजूद है। *ki*, निकटवर्ती प्रत्येक बैंक हेतु उनके बीच सभी प्रकार के संभावित जुड़ावों की कुल संख्या k_i $(k_i$-$1)$ है। मान लेते हैं कि E_i एजेंट, *i* बैंक के k_i निकटवर्तियों के बीच वास्तविक संबद्धता को प्रदर्शित करता है अर्थात् जो *i* के k_i निकटवर्ती हैं वो आपस में भी निकटवर्ती हैं। *i* बैंक के लिए क्लस्टरिंग गुणांक C_i को इस सर्वसमिका (सूत्र) द्वारा व्यक्त गया हैः-

$$C_i = \frac{E_i}{k_i(k_i-1)}$$

समग्र रूप में नेटवर्क का क्लस्टरिंग गुणांक (सी) सभी C_i का औसत निम्नलिखित हैः

$$C = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_i}{N}$$

निकटतम मार्गस्थ दूरी : यह नेटवर्क के किसी एक नोड और अन्य नोडों में प्रत्येक के बीच मौजूद सीधी श्रृंखलाओं की औसत संख्या बताता है। जिन नोडों के बीच निकटतम मार्ग होता है उन्हें प्रणाली में हब के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

मध्यस्थ केंद्रीयता (इन-बिटवीननेस सेंट्रलिटी) : यह सांख्यिकी यह बताती है कि निकटतम मार्गस्थ दूरी किस प्रकार एक विशिष्ट नोड के जरिए गुज़रती है।

केंद्रीयता की आईजेनवेक्टर माप : किसी नेटवर्क में किसी नोड (बैंक) का क्या महत्व है इसे आईजेनवेक्टर केंद्रीयता के जरिए मापा जाता है। यह बताता है कि किसी नोड का पड़ोसी कितना संबद्ध हैं और यह उनकी बाहरी डिग्री या एक नोड के प्रत्यक्ष रूप से कितने 'पड़ोसी' हैं, उससे कहीं कुछ अधिक बताने का प्रयास करता है। यह अल्गोरथिम नेटवर्क के सभी नोड्स को एक संबद्ध केंद्रीयता अंक प्रदान कर देती है और किसी नोड का केंद्रीयता अंक, आपस में संबद्ध सभी नोड्स को दिए गए केंद्रीय अंक के जोड़ के समानुपातिक होता है। किसी NxN मैट्रिक्स के लिए इसमें N विभिन्न प्रकार के आईजेन मान होंगे, जिनके लिए आईजेनवेक्टर समाधान मौजूद होता है। प्रत्येक बैंक का अपना अलग आईजेन मान होता है जो प्रणाली में उसका महत्व दर्शाता है। नेटवर्क विश्लेषण में इस उपाय का उपयोग किया जाता है ताकि किसी बैंक के प्रणालीगत महत्व को स्थापित किया जा सके और यह अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है।

परतदार नेटवर्क संरचना : विशिष्ट रूप से वित्तीय नेटवर्क में परतदार संरचना का उपयोग देखा जाता है। परतदार संरचना एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की अन्य नेटवर्क के साथ विविध अंशों पर या स्तरों पर संबद्धता होती है। मौजूदा विश्लेषण में सर्वाधिक संबद्ध बैंक (केंद्रीयता के आईजेनवेक्टर माप के आधार पर) सबसे भीतरी केंद्र में होते हैं। इसके बाद बैंकों को मध्य-केंद्र, बाहरी केंद्र और परिधि में (चित्र में केंद्र के चारों ओर संबंधित

संकेंद्रिक चक्रों में) उनकी संगत संबद्धता के आधार पर रखा जाता है। बैंकों की संबद्धता की रेंज को प्रत्येक बैंक के अनुपात के अंश रूप में परिभाषित किया जाता है और बाह्य अंश को सर्वाधिक संबद्ध बैंक के अंश से विभाजित किया जाता है। जो बैंक इस अनुपात के शीर्ष 10 प्रतिशत पर आते हैं वे भीतरी केंद्र का निर्माण करते हैं। 90 और 70 प्रतिशतक के बीच आने वाले बैंक मध्य-केंद्र में आते हैं और 40 तथा 70 के बीच प्रतिशतक वाले बैंकों की एक तीसरी सतह होती है। 40 प्रतिशत से कम प्राप्त करने वाले बैंकों को परिधि के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है।

नेटवर्क चार्ट का रंग संकेत: नेटवर्क चार्ट में नीली और लाल गेंदें क्रमश: निवल उधारदाता और निवल उधारकर्ता को निरूपित करती हैं। परतदार नेटवर्क चित्र में श्रृंखलाओं के रंग संकेत नेटवर्क में मौजूद विभिन्न कतारों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं (उदाहरण के लिए हरे रंग की श्रृंखलाएं मूल कोर में स्थिति बैंकों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं)।

ऋण-शोधन क्षमता संक्रामकता का विश्लेषण

संक्रामकता का विश्लेषण एक प्रकार का दबाव परीक्षण होता है जिसमें एक या अधिक बैंकों के असफल हो जाने के कारण उत्पन्न दूरगामी प्रभावों के चलते बैंकिंग प्रणाली को होने वाले सकल घाटे का पता लगाया जाता है। इसके लिए हम राउंड बाई राउंड या अनुक्रमिक (सीक्वेंशियल) अल्गोरथिम का उपयोग करते हैं ताकि अनुरूपता संक्रामकता, जिसे अब फरफाइन (2003) से बेहतर जाना जाता है, का पता लगाया जा सके। यदि i बैंक से प्रारंभ करें जो 0 समय पर असफल होता है तो प्रत्येक चक्र या पुनरावृत्ति में जो बैंक परेशानी में आते हैं उन्हें Dq, q = 1,2, ... के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए, किसी बैंक को दबावग्रस्त तब माना जाता है जब इसका कोर सीआरएआर 6 प्रतिशत से नीचे चला जाए। प्राप्तकर्ता बैंक के लिए निवल प्राप्तियों को घाटे के रूप में माना जाता है।

चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण

जहां ऋण शोधनक्षमता संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता के विफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का आकलन करता है वहीं चलनिधि संक्रामकता विश्लेषण किसी निवल उधारदाता के विफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का अनुमान व्यक्त करता है। यह विश्लेषण बैंकों के बीच होने वाले सकल एक्सपोज़र के संबंध में किया जाता है। एक्सपोज़र में निधि आधारित और व्युत्पन्नी दोनों प्रकार के एक्सपोज़र शामिल होते हैं। इस विश्लेषण का मूलभूत आकलन यह होता है कि किसी बड़े उधारदाता के विफल होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले चलनिधि दबाव से निपटने के लिए किसी बैंक के चलनिधि युक्त रिज़र्व या बफर में पहले तो गिरावट आएगी। चलनिधि युक्त रिज़र्व के तहत विचार में ली जाने वाली मदें इस प्रकार हैं : (क) सीआरआर का अतिरिक्त अधिशेष; (ख) एसएलआर का अतिरिक्त अधिशेष और (ग) उपलब्ध मार्जिनल स्थायी सुविधा। यदि बैंक केवल चलनिधि बफर की मदद से ही दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो ऐसी स्थिति में इसका आगे कोई और संक्रमण नहीं होता है।

तथापि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं तो तब बैंक को उन सभी ऋणों को वापस लेना होगा जो 'वापस लिए जाने योग्य' हैं, जिसके परिणामस्वरूप संक्रामकता होती है। यदि विश्लेषण करने के लिए देखा जाए तो केवल अल्पावधि की आस्तियां जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही वापसी योग्य कहा जा सकता है। इसके पश्चात किसी बैंक का अस्तित्व या तो बना रह सकता है अथवा उसका परिसमापन किया जाना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं कि जहां ऋणों की वापसी होने से बैंक का अस्तित्व बच गया हो परंतु इसके परिणामस्वरूप इससे आगे संक्रामकता हो सकती है जिससे अन्य बैंकों की परेशानी बढ़ सकती है। दूसरा आकलन यह किया गया है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दिए गए ऋणों को सकल गणना के आधार पर वापस मांगा जाता है, जबकि परिसमापन किए बगैर जब बैंक द्वारा दिए गए अल्पावधि ऋणों को वापस मांगा जाता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है (इस अनुमान के अनुसार, प्रतिपक्षी अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति पहले अपनी अल्पावधि देयताओं को कम करना चाहेगा)।

संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता का विश्लेषण

औसतन किसी बैंक की कुछ बैंकों के प्रति सकारात्मक निवल ऋण प्रदान करने की स्थितियां और कुछ अन्य बैंकों के प्रति ऋणात्मक निवल उधार की स्थितियां -दोनों ही होती हैं। इस प्रकार किसी बैंक के विफल हो जाने पर ऋणशोधन तथा चलनिधि संक्रामकता दोनों साथ-साथ उत्पन्न हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित फ्लोचार्ट द्वारा बताया गया हैः

किसी बैंक के दबाव में आने के कारण संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामकता संबंधी फ्लोचार्ट

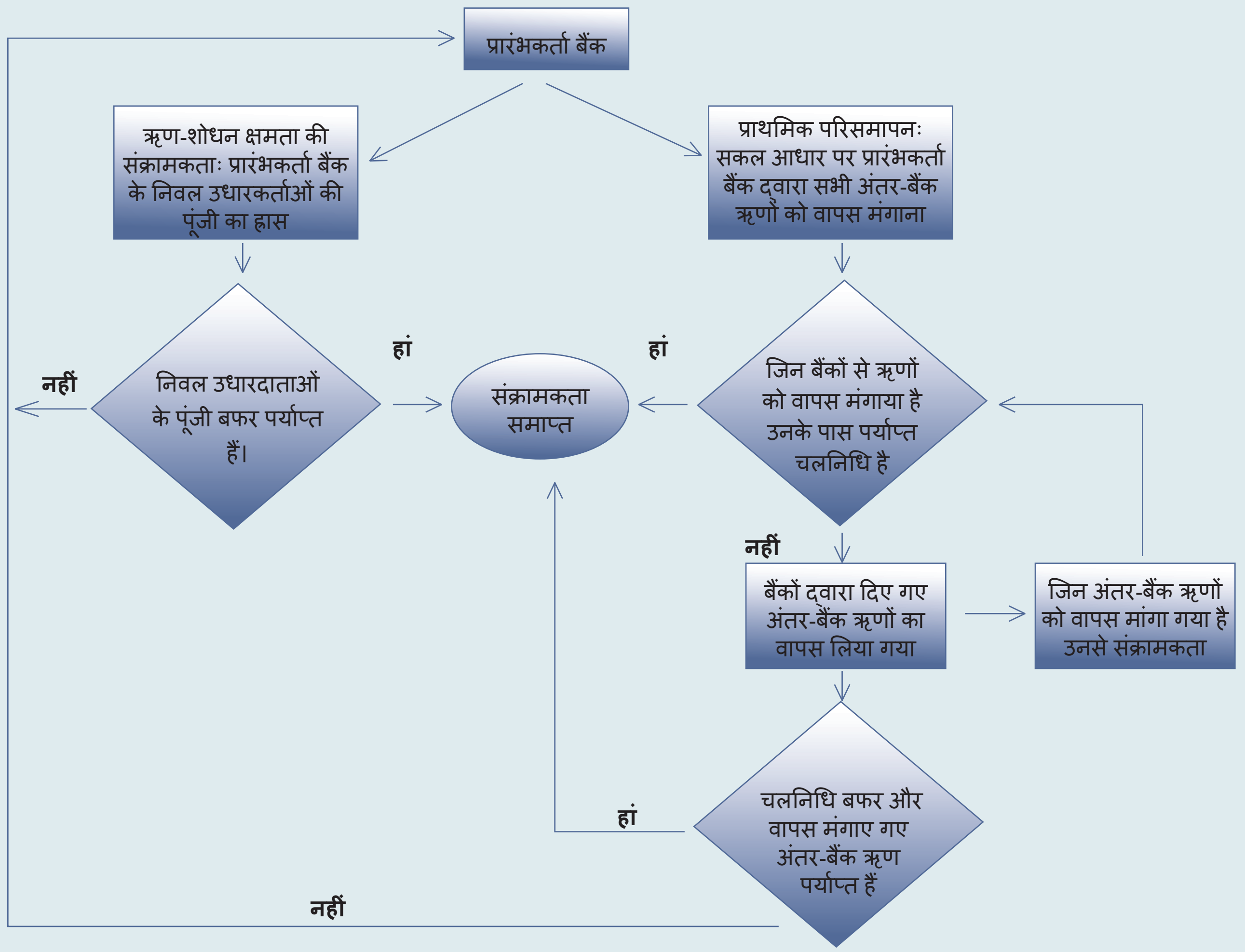

यह माना गया कि प्रारंभकर्ता बैंक कुछ अंतर्जात कारण से विफल हुआ अर्थात् यह निश्चित रूप से दिवालिया हो जाता है और इस प्रकार सभी उधारकर्ता बैंकों को प्रभावित करता है। उसी समय, यह अपनी आस्तियों को भी बेचना प्रारंभ करता है ताकि जहां तक संभव हो यह अपने दायित्वों को पूरा कर सके। परिसमापन प्रक्रिया एक चलनिधि संकट उत्पन्न करती है क्योंकि प्रारंभकर्ता बैंक अपने दिए गए ऋणों को वापस मंगाना प्रारंभ कर देता है।

उधारदाता/उधारकर्ता बैंक जो कि भली प्रकार पूंजीकृत होते हैं, वे आघात सहन कर जाते हैं और वे अपने से बाहर दूसरों को संक्रमित नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, वे उधारदाता बैंक जिनकी पूंजी एक निश्चित सीमा से कम हो जाती है वो एक नई संक्रामकता प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार के उधारकर्ता जिनकी चलनिधि बफर पर्याप्त होती है वे भी आगे कोई संक्रामकता फैलाए बिना दबाव सहन कर लेते हैं। परंतु कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो चलनिधि दबाव का सामना करने में तभी सक्षम हो पाते हैं जब वो अपनी अल्पावधि आस्तियों को वापस मँगवाते हैं। अल्पावधि आस्तियों को वापस मांगने की प्रक्रिया से वे पुनः एक नई संक्रामकता प्रारंभ कर देते हैं।

ऋणशोधन और चलनिधि दोनों ही ओर से संक्रामकता तभी रुक पाएगी/स्थिर हो पाएगी जब, प्रणाली हानि/आघातों को पूर्णतः अवशोषित कर सके और भविष्य में कोई विफलताएं न हों।